राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का प्रथम दिवस { संख्या १

सोमवार, ३० नवम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, शिक्षा, समाज कल्याण, राजस्व, खनिज, विकास, योजना, देवस्थान तथा सामान्य प्रशासन विभाग]

प्रश्न संख्या १

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल यादव।

पहाड़ी व अन्य अभावग्रस्त तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला हार्ड ड्यूटी अलाउन्स

३. **श्री अमृतलाल यादव** (जालोर-सु.) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में कई ऐसे कठिन स्थान हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में माउन्ट आबू, रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़मेर आदि, जहां के राज्य कर्मचारियों को राजस्थान के अन्य स्थानों की बनिस्बत जीवन निर्वाह का अधिक खर्चा आता है और जिसका असर खास तौर से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है।

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों के राज्य कर्मचारियों को कठिनाई अलाउन्स देने का विचार रखती है।

उप-मन्त्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जहां तक जीवन निर्वाह पर खर्च करने का प्रश्न है, सामान्यतया इन

Page No.2

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

क्षेत्रों के निवासियों व अन्य जगह के निवासियों में सरकार की दृष्टि से कोई विचारणीय अन्तर नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या दूसरी गवर्नमेंट्स में ऐसा रिवाज है, हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दो तीन जगह पर हाउस रेंट अलाउन्स और हार्ड ड्यूटी अलाउन्स वगैरह दिया जाता है। बाकी और दूसरे स्थानों के अन्दर नहीं है। राजस्थान के अन्दर तो नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : क्या जैसलमेर में दिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न है इसमें ?

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि खास अन्तर नहीं है, यह गवर्नमेंट किस आधार पर कहती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्योंकि इसमें अन्तर नजर नहीं आता है। यह उत्तर दिया है कि सामान्यतया जीवन स्तर एक सा है और जो चीजें उपलब्ध होती हैं,............

श्री अमृतलाल यादव : अन्तर नजर नहीं आता है, इसकी क्या कसौटी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कसौटी यह है कि जो प्राइसेज़ प्रिवेल करती हैं, वहां पर, वे करीब-करीब सामान्यतया एक सी हैं; जो नेसेसिटीज़ ऑफ़ लाइफ़ के लिए खर्चा होता है वह सामान्यतया एक सा है ?

श्री अमृतलाल यादव : क्या गवर्नमेंट इसकी जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या माउन्ट आबू के भावों के अन्दर फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, अन्तर हो सकता है। ऐसा ज़्यादा नज़र नहीं आता है।

श्री पी० के० चौधरी : जो कास्ट ऑफ़ लिविंग, माउन्ट आबू और दूसरे एरिया में मेन्शन किये हैं, उन दूसरी जगह की कास्ट ऑफ़ लिविंग कलेक्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिस इन्डेक्स के बारे में कहते हैं उसमें अन्तर हो सकता है और जैसा आपने बताया है....

श्री पी० के० चौधरी : My question is whether you will collect the cost of living index at Mount Abu and the places mentioned above and any other place which has an average cost of living index.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कलेक्ट कर लिया जायेगा। इसके बारे में जैसा आपने यह सुझाव दिया है वैसा कर लिया जायेगा।

श्री दलपतसिंह : इसके बारे में दो वर्ष पहले मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हिल अलाउन्स दे देंगे पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। हिल स्टेशन्स पर दूसरे स्थानों के मुकाबले में बड़ा अन्तर रहता है और इस कारण वहां रहने वालों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। स्टेट के समय भी इन लोगों को हिल अलाउन्स मिलता था। तो इस बारे में क्या जवाब है, मन्त्री महोदय बतायें। उन लोगों को हिल अलाउन्स मिलना बहुत ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार इस पर विचार करेगी।

(हंसी)

श्री रामनारायण वर्मा।

माध्यमिक शालाएं, ग्राम दीगोद तथा अयाना-कोटा

४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किन किन आधारों पर माध्यमिक शालाएं खोली जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष पीपल्दा क्षेत्र में ग्राम दीगोद तथा ग्राम अयाना में माध्यमिक शालाएं खोली जाने वाली थीं ?

(३) क्या यह भी सही है कि मिडिल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव जिला विकास समिति की बैठक में इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, कोटा द्वारा प्रस्तुत किया गया और समिति ने उसका समर्थन किया था ?

(४) क्या इसी प्रस्ताव के आधार पर तहसील केन्द्र, दीगोद के सरपंच ने अपने निजी धन द्वारा तथा अयाना में पंचायत की ओर से भवन की व्यवस्था की गई ?

(५) यदि हां, तो क्या उक्त दोनों स्थानों पर मिडिल स्कूल खोले गये ? यदि नहीं, तो इनके बजाय कहां खोले गये तथा उन स्थानों की अतिरिक्त विशेषताएं क्या हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (पूनमचन्द विश्नोई) : (१) प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) इस वर्ष ग्राम दीगोद व अयाना की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

(३) जिला विकास समिति ने अयाना स्कूल के सम्बन्ध में अनुमोदन नहीं किया और इसके बजाय सकतपुर, तहसील अटरू का नाम प्रस्तावित किया।

(४) जी नहीं।

(५) दीगोद और सकतपुर में मिडिल स्कूल खोले गये हैं। दीगोद तहसील केन्द्र होने के कारण इसको प्राथमिकता दी गई और सकतपुर में भवन पर्याप्त होने के कारण मिडिल स्कूल खोला गया, अयाना में भवन पर्याप्त नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

ज़िला जयपुर में हरिजनों को भवन निर्माण व नई बस्तियों की स्थापना हेतु दी गई सहायता

५. **श्री रामधन** (दौसा): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ज़िला जयपुर में हरिजनों को मकान बनाने व नई बस्ती बसाने के लिए कहां कहां व कितनी कितनी मदद १९५७ से आज तक दी गई ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(२) ज़िला जयपुर की ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जिन्हें इससे वंचित रखा गया ?

(३) क्या यह सही है कि कोटपूतली के पावटा ग्राम व दौसा तहसील के लिये काफी लिखा-पढ़ी करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

समाजकल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) सन् १९५७-५८ में ज़िला जयपुर की निम्न तहसीलों को भवन निर्माण सम्बन्धी सहायता नहीं दी गई :—

१. फागी २. बसवा ३. दूदू ४. चाकसू ५. बैराठ ६. लालसोट ७. दौसा ८. जमवा रामगढ़ ९. कोटपूतली १०. सिकराय ११. फुलेरा १२. बस्सी।

सन् १९५८–५९ में जयपुर ज़िले में निम्न तहसीलों में भवन निर्माण सहायता नहीं दी गई :—

१. फागी २. बसवा ३. दूदू ४. चाकसू ५. बैराठ ६. लालसोट ७. दौसा ८. जमवा रामगढ ९. कोटपूतली १०. सिकराय ११. फुलेरा।

(३) सन् १९५७–५८ में ग्राम पावटा व तहसील दौसा से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए। लेकिन सन् १९५८–५९ में ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली के ५२ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र, सरपंच, ग्राम पंचायत, पावटा द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुए थे। किन्तु इसी वर्ष (१९५८–५९) में यह तय किया गया था कि जो मकान अधूरे बने हुए हैं पहले उनको अतिरिक्त सहायता देकर पूरा किया जाये। अतः गत वर्ष जो सहायता दी गई वह केवल उन्हीं परिवारों को दी गई जिनके मकान अधूरे बने हुए थे जिससे वे उन्हें पूरा कर सकें। इस प्रकार अतिरिक्त सहायता के रूप में बजट में जो सीमित प्रावधान था वह समाप्त हो गया। अतः ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली के हरिजनों के नये मकानों की सहायता हेतु मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं था।

तहसील दौसा से हरिजनों की भवन निर्माण हेतु सहायता की मांग सन् १९५८–५९ में प्राप्त नहीं हुई थी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामधन : क्या अब उन प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५८–५९ में जो प्रार्थना-पत्र दिये हैं और जिनकी कार्यवाही पूरी हो गई उनको प्रायोरिटी दी जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पिछले प्रार्थना पत्र जिनके थे उन्हें क्या इस प्रकार की इत्तला दे दी गई है कि उनके प्रार्थना-प्रत्र स्वीकार नहीं किये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले दी गई होगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : किस आधार से सहायता दी ? किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू सहायता दी या खुद गवर्नमेंट ने दी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मकानों की सहायता गवर्नमेंट खुद ही देती है।

श्री पी० के० चौधरी : किस रेट से दी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पूरे मकान के लिये ३५० रु० दिये जाते थे, फिर वह सहायता बढ़ा दी गई। कच्चे मकानों के लिये ५०० रुपया और पक्के मकानों के लिये ७५० रुपया दिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : मकानों के लिये कहां-कहां सहायता देना आवश्यक समझा जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां से मांग आती है और जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक समझा जाता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हरिजन जातियों के अन्दर सरकार किन-किन जातियों को लेती है ?

(हँसी)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष, मकानों के लिए सहायता देने में सरकार की क्या नीति है ? मकान बनाने के लिये सहायता व्यक्तियों को दी जाती है या समूह को ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहायता तो व्यक्तियों को दी जाती है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना ऐसी है कि समूहों को इस प्रकार की सहायता देने की नीति को सरकार ने अपनाया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो सहकारी समिति बनाते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, सहायता तो व्यक्ति के नाम से दी जाती है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार की नीति इस प्रकार की सहायता देने के सम्बन्ध में बदली है कि नहीं ? हमें ऐसा कहा गया है कि समूह को सहायता देने की नीति सरकार ने अपनाई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समूह को सहायता देने की सरकार की नीति है पर व्यक्ति को भी सहायता दी जाती है।

श्री रामचन्द्र (डग-मु.) : क्या यह सहायता किसी योजना से दी जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : योजना से ही दी जाती है, ऊटपटांग थोड़े ही दी जाती है।

श्री रामचन्द्र : वह योजना क्या है और कब से लागू की गई है ?

Page No.6

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो हरिजनों के लिए प्लान में योजना है कि हरिजनों के लिये अलग बस्तियां बसाई जायं।

श्री जनार्दनराय नागर : तो क्या यह समझा जाय कि मन्त्री महोदय को कार्यवाहिक जानकारी की कमी है।

श्री अध्यक्ष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या ६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह केन।

वैगन फैक्ट्री व बिजलीघर, भरतपुर के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

७. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना-सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वैगन फैक्टरी और बिजलीघर, भरतपुर को जो भूमि दिलवाई थी उसका मुआवजा किस प्रकार और किस दर से दिलाया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): वैगन फैक्ट्री भरतपुर के लिए जो भूमि अवाप्त की गई उसका मुआवजा निम्न प्रकार से दिया गया था :—

(अ) १८२४६.४२ न० पै० :— ६५ रु० फी बीघा भूमि की कीमत तथा भूमि की कुल कीमत का १० प्रतिशत जो कि राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट, १९५३ की धारा १७ के अनुसार देय था, मालिक व काश्तकारान को दिया गया।

(ब) ५३० रु० :—मुसम्मात रामप्यारी के लड़के बृजलाल को उसके खेत में खड़े २५ वृक्षों के मुआवजे में दिये गये।

(स) २५ रुपया :—उन लोगों को दिया गया जिनकी कि फसल नष्ट हो गई थी।

बिजलीघर, भरतपुर के लिए कोई भूमि अभी तक अवाप्त नहीं की गई है। परन्तु बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने मालिक व काश्तकार आराजी से ८१ बीघा ३ बिस्वा भूमि निजी वार्ता द्वारा ६०,००० रु० में खरीदी है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह किस हिसाब से पड़ी ? वैगन फैक्टरी के लिये ६५ रुपया फी बीघा के हिसाब से लैंड एक्विजिशन एक्ट के द्वारा खरीदी, बाकी की ६०,००० में खरीदी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो ज़मीन की किस्म, स्ट्रक्चर, उस पर जो ट्रीज होंगे इन वेरियस फैक्ट्स को ध्यान में रख कर बिजली बोर्ड ने खुद बात की और ६०,००० कीमत के तय किये। इस आधार पर इन सारे फैक्ट्स को विचार कर तय किया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : इसकी पहली कीमत क्या थी, जिस कीमत पर कि सरकार से पहले उस व्यक्ति ने खरीदी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। माननीय सदस्य चाहें

(श्री दामोदर लाल व्यास)

तो मालूम करके बता सकता हूँ। किस कीमत से पहले खरीदी, इसका मुझे पता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसमें लैंड एक्विज़िशन प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट लैंड एक्विज़िशन प्रोसीडिंग्स, जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है, उसकी प्रार्थना पर करती है............

The Government does not come in the picture here.

श्री श्रीभानसिंह : Why the Electricity Board did not recommend to the Government to proceed under the Land Acquisition Act and to acquire this land instead of paying this heavy compensation.

श्री दामोदरलाल व्यास : That question may be directed to the Minister of Power.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Minister is answering on behalf of the Minister of Power.

What is the reason for this discrepancy of rates in compensation paid for Birla Factory and paying such higher compensation for this land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never admitted that this compensation is higher. I have said that it was mutually agreed to between the Electricity Board and the party and various factors were taken into consideration for determining the price Perhaps the price paid by the Electricity Board is adequate. I don't think it is higher

श्री श्रीभानसिंह : Does the Hon'ble Minister mean to state that this agreement was arrived at between the Electricity Board and it was a man of the Electricity Board who evaluated this land, or whether it was the Collector, Bharatpur who evaluated this land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This was purchased by the Electricity Board by direct negotiations. The Collector might have assisted the Electricity Board in arriving at some settlement.

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon'ble Minister state categorically whether the evaluation was done by the Electricity Board or the Collector, Bharatpur ?

श्री दामोदरलाल व्यास: My information is that the Electricity Board have arranged this settlement through Collector and they purchased the land direct from the owners.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इलेक्ट्रिक बोर्ड पैसा लगाता है वह पब्लिक मनी है या निज का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल पब्लिक मनी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसका जिम्मेदार कौन है, अगर मनी का मिस-यूज हो..........

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो हाइपोथेटिक क्वेश्चन है। मगर मैंने आपको अर्ज किया कि उन्होंने जो कुछ किया है वह ठीक मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

दौसा सब-डिविजन के अध्यापकों का बकाया वेतन

९. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

दौसा सब-डिविजन में कितने अध्यापकों का वेतन एवं एरियर बकाया है तथा वह उन्हें अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

११. अध्यापकों का वेतन एरियर बकाया है। तीन अध्यापकों के तो एरियर बिल बन चुके हैं और बाकी ८ अध्यापकों के केस में एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज से एक्स ३ कार्ड न आने के कारण वेतन का वितरण नहीं हो सका।

श्री रामधन : यह कब तक अब दे दिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: शिक्षा विभाग को लिख दिया गया है, जल्दी ही दे दिया जावेगा।

श्री रामधन : अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : कार्ड एम्पलोयमेंट एक्सचेंज से आये बिना ही नियुक्ति हो जाती है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अमूमन नहीं होनी चाहिये लेकिन इमरजेन्सी केसेज़ में ऐसा हो सकता है।

श्री रामधन : तारीख तो मुकर्रर करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

पलाना की कोयले की खानों से लाभ

१०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर की पलाना की कोयले की खानों से १९५६-५७ से अब तक प्रतिवर्ष क्या लाभ रहा है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : प्रतिवर्ष लाभ या हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं

१९५६-५७	३५५०४-८-९ लाभ
१९५७-५८	७८३२१-०-० हानि

वर्ष १९५८-५९ के लाभ हानि के लेखा पर पुन: परीक्षण किया जा रहा है अतएव अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही सूचना प्रस्तुत की जा सकेगी।

श्री तनसिंह : इसका क्या कारण है कि एक साल ३५५०५ का लाभ और दूसरे साल ७८ हजार का नुकसान हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि पहले जो ओल्डपिट पर कार्य हो रहा था वह माइनिंग इन्स्पेक्टर के निर्देशों से होता था उसको हमें छोड़ना पड़ा और उसके बाद में दूसरे नये पिट खुदवाने शुरू किये। इसके अलावा ऑल इन्डिया बेसिस पर एवार्ड हुआ उसके अन्दर माइन्स के लेबरर्स की तनख्वाह को मुकर्रर करने के बारे में तय हुआ और चुनांचे वह बहुत ज्यादा थी। हमारी सरकार को, भारत सरकार को इसके लिए निवेदन करना पड़ा और सरकार ने निवेदन किया कि अगर यह रेट यहां पर कायम की जावेगी तो वह अत्यधिक होगी और उसके बाद में भारत सरकार ने एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया और उसने फैसला किया और उसके अनुसार एक मजदूर ४॥ टक्ट काटने का एवार्ड दिया। उसके बाद में कुछ सन्डे वेजेज का भी स्टन्डिंग ऑर्डर देना पड़ा और उसके अनुसार सरकार को पैसा देना पड़ा। इसके लिये अपील की गई और उसके बाद में जो रकम उस पीरियड की थी, वह देनी पड़ी। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मैनेजर की तनख्वाह ज्यादा थी क्योंकि पहले फर्स्ट क्लास मैनेजर था। इसके अलावा कुछ लेबरर्स ने गो स्लो टेक्टीक्स अपनाई और इससे प्रोडक्शन १९५७-५८ में कम हुआ। फिर नये लोगों को भरती करना पड़ा इसलिये उसका सारा का सारा खर्चा उसमें लग गया है। इसके बाद में लेबरर्स को इन्क्रीज्ड एमिनिटीज़ का जो निर्णय किया गया, देना पड़ा चुनांचे खर्चा ज्यादा हुआ। ओवर हैड चार्जेज बराबर वैसे के वैसे ही रहे। इसके अलावा बीकानेर पॉवर हाउस १२५ टन रोजाना कन्जूम करता था लेकिन उसका ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से वह कन्जम्प्शन नहीं रहा। दूसरी जगह पलाना का कोल का कन्जम्प्शन बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। ऐसे बहुत से कारण उपस्थित हुए जिसकी वजह से यह नुकसान में गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): आपने कहा कि मजदूरों ने बहुत स्लो टेक्टीक्स शुरू कर दी। आपके यह कहने से मजदूरों पर आक्षेप लगता है। वह क्यों चली, इससे उनको क्या लाभ होता था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: इस सब का सामूहिक असर यह हुआ कि नुकसान हुआ। दूसरे लोगों को एपॉइन्ट किया उनको बोनस देना पड़ा। ओवर हैड चार्जेज़ वही रहे। नये लेबरर्स को एन्गेज़ किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मजदूरों ने स्लो टेक्टीक्स अपनाई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मेरी इन्क्वायरी के आधार पर है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी क्या इन्क्वायरी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अब भी पुराने लेबर २॥ टवक........

श्री मुरलीधर व्यास: उनको तो जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: अगर बराबर प्रोडक्शन करते तो इतने ज्यादा लेबरर्स

Page No.10

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की जरूरत नहीं रहती और ज्यादा लेबरर्स होते हैं तो उनको ज्यादा बोनस देना पड़ता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि फलाना खान कई महीनों बंद रही।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने कहा कि नये सिरे से सेस लगाया, इसलिये बंद रही।

श्री अध्यक्ष : यह भी कारण इसमें शामिल है ।

श्री मुरलीधर व्यास: यह सन्डे ऑर्डर विथ पे दिया उससे नुकसान हुआ। क्या यह आपने मिलकर ऑर्डर दिया था या बाद में उनकी इच्छा से बना ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने यह निवेदन किया कि गलती से सन्डे विथ पे का ऑर्डर दे दिया गया और उसको मंजूर कर लिया। मगर बाद में यह मालूम हुआ कि कहीं पर भी सन्डे विथ पे नहीं दिया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास: यह गलती किस की थी ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२

श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण

१३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कुल कितना कर्जा लिया है ?

(२) भारत सरकार के अतिरिक्त और कितना कर्ज लिया है ?

(३) कितना कर्जा अब तक प्रत्येक दो मदों से देय हो चुका है ?

(४) इस देय रकम में से कितना राजस्थान सरकार ने चुका दिया है तथा अब तक कितना मूलधन और ब्याज बाकी देना रहा है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से ३१-१०-५६ तक ८५७६.६१ लाख रुपया कर्ज लिया। इसके अतिरिक्त ७४४.०० लाख मार्गोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance) भी इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है जो कि वर्ष के अन्त में विभिन्न विभागों की योजनाओं के खर्च के अनुसार कर्ज व सहायता में परिवर्तित हो जायेगा।

(२) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के अतिरिक्त ३१-१०-५६ तक लगभग १०७०.०८ लाख रुपया विभिन्न संस्थाओं से (८.४५ नेशनल कोऑपरेटिव एण्ड वेयर हाउसिंग बोर्ड, से ४७.०० लाख लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से, ३८.८३ लाख रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से तथा लगभग ६७५.८० लाख जनता से) कर्ज लिया है।

Page No.11

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(३) भारत सरकार के ३१-१०-५९ तक लगभग १२६२.५१ लाख के तथा दूसरी संस्थाओं के ००.०६ लाख के कर्ज अब तक देय हो चुके हैं।

(४) भारत सरकार को १२६२.५१ लाख की देय रकम में से १०६४.६४ लाख रुपया ३१-१०-५९ तक दिया जा चुका है और १९७.८७ लाख मूलधन तथा २.२८ लाख ब्याज और दिया जावेगा। दूसरी संस्थाओं की ३१-१०-५९ तक की पूर्ण देय रकम (००.०६ लाख) दी जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : वेज़ एन्ड मीन्स के नाम से भारत सरकार से जो राशि ली गई है उसके कारण बतावें और यह रकम कब ली गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह राशि तो हर साल लेनी पड़ती है। आखिर में जाकर यह रकम एडजस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : किस माह में ली गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक माह थोड़े ही है जो बता सकता हूँ लेकिन जब जब जरूरत होती है वेज़ एन्ड मीन्स से ले सकते हैं और आगे जाकर यह रकम एडजस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने यह एक प्रोसिज़र बना रखा है कि वेज़ एन्ड मीन्स के नाम पर पैसा लिया जाकर प्लानिंग के दूसरे एक्स्पेन्डीचर में उसको शामिल कर लिया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले एडवान्स मिल जाता है और भारत सरकार से जो सहायता मिलती है उसके हिसाब से आगे जाकर वह रकम एडजस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि रकम तो वेज़ एन्ड मीन्स के पर्पज़ के लिए मिल जाती है लेकिन इस रकम को आप अपनी मर्जी के अनुसार प्लान के बाकी के एक्स्पेन्डीचर में शामिल कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : शामिल करने का प्रश्न नहीं है। भारत सरकार से जब तक सहायता आयगी उससे पहले सरकार के पास उनको मीट करने के लिए लिक्विड मीन्स नहीं हैं इसलिए यह पहले एडवान्स मिल जाती है और बाद में जाकर यह रकम एडजस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : इसी हैड के अन्तर्गत ली गई एडवान्स रकम इसमें ही जावेगी लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेन्सी आ जाती है जिसके कारण वेज़ एन्ड मीन्स के आधार पर ली गई रकम को प्लान के दूसरे आइटम्स में खर्च कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : किस आइटम पर ? यह तो प्लान के वेज़ एन्ड मीन्स को पूरा करने के लिए ही होती है।

श्री भैरोंसिंह : But this is meant only for ways and means. यह वेज एन्ड मीन्स पर ही खर्च की गई है या दूसरे आइ-टम्स पर भी खर्च की गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Hon'ble Member should know that

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

they are merely advances. Advances to be made for the purpose of spending certain amounts which are earmarked for Plan purposes.

श्री भैरोंसिंह : एडवान्स तो ली है, है फोर सरटन पर्पज़ेज........

श्री अध्यक्ष : And the purpose is to finance the Plan.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : For financing of Plan schemes.

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा निश्चित हैड नहीं बताया जाता है कि उसी हैड में ही यूज़ करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एडवान्स इसलिए होता है कि बाद में जाकर उनके अन्तर्गत यह एडजस्ट हो जाय। यह किसमें खर्च नहीं होता है यह आप बतायें ?

श्री भैरोंसिंह : वेज एन्ज मीन्स में जिसके अन्तर्गत यह ली जाती है उसमें खर्च न होकर दूसरे में खर्च होती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने बताया था कि विभिन्न २ डिपार्टमेंट की योजनायें हैं उनमें जाकर खर्च होती है और बाद में एडजस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : इसी पर्पज़ के लिए या दूसरे में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्लान की योजना में।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन दूसरे हैड में खर्च किया है।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : माननीय सदस्य, वेज़ एन्ड मीन्स के माने सड़कें समझ गये हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : जितनी समझदारी है और उसकी आवश्यकता है तो आप लेक्चर दे देवें। वेज़ एन्ड मीन्स में जितना पैसा लिया है और प्लान के वेज़ एन्ड मीन्स के आइटम्स पर खर्च हुआ है तो ठीक है लेकिन यदि दूसरे में लिया तो उसके लिए ही पूछ रहा हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरे पर्पज़ के लिए खर्च नहीं किया गया है। प्लान की योजनायें हैं जो कि राजस्थान सरकार को पूरी करनी हैं। यह रकम बाद में जाकर उनमें एडजस्ट हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि प्लान्स में जितना खर्चा हो वह वेज़ एन्ड मीन्स के नाम पर खर्चा हो ?

श्री अध्यक्ष : ४७ लैक्स लाइफ इन्श्योरेन्स पर हैं, ये क्या हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप (श्री भैरोंसिंह) मेरे चेम्बर में आ जायं तो मैं बता दूँगा कि वेज़ एन्ड मीन्स के क्या हैं........

श्री भैरोंसिंह : हाउस में जानकारी देते तो पता चलता। चेम्बर में जाने की बात नहीं है। आपकी काबलियत के बारे में मैं जानता हूँ कि आप कितने काबिल हैं। काबिल होते तो हाउस में ही जानकारी देते और चेम्बर में आने के लिए नहीं कहते।

(हंसी व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । ४७ लाख बताये वे किसके बताये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हाउसिंग स्कीम के लिए बताये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४

श्री मंगलसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५

श्री हुकमसिंह

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम धूंवा (टोंक) में मोतीसागर नामक तालाब के लिए अवाप्त भूमि का मुआवज़ा

१६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक, तहसील देवली, ग्राम धूंवा में मोती सागर के नाम से कोई तालाब बनाया गया है ? अगर हां, तो उसके पेटे में कितनी कितनी ज़मीन और चाहत काश्तकारान की डूब में आये हैं ?

(२) उपरोक्त तालाब से कितनी ज़मीन पीवल होती है और पेटे में जो जमीनें डूबी हैं उसके आय के मुकाबले में क्या सरकार की आमदनी कम हुई है ? अगर हां, तो कितनी और यह किन कारणों से है ?

(३) क्या जिन जिन काश्तकारान की जमीन और कुए डूब में आये हैं उनको मुआवज़ा मिल चुका है ? अगर हां, तो किन किन को कितना कितना ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें । अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री, (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां ।

इसके पेटे में ४९४।। ३ बीघा जमीन तथा ५६ कुए डूब में आये ।

(२) निम्नलिखित जमीन पीवल होती है :

सिंचित रकबा	१३४१।। बीघा ।
रकम	७,२६३.१४ नये पैसे ।
पेटा काश्त	३२२।३ बीघा ।
रकम	१,१८८.३६ नये पैसे ।

जो जमीन डूब में आई है उसकी आमदनी कम नहीं हुई है । आमदनी की कुल रकम ८,४५१.५० नये पैसे है ।

(३) जिन काश्तकारान की जमीनें व कुए डूब में आये हैं उनको १६,०००) रु० का मुआवज़ा दिया जा चुका है । जिसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इतने कुए डूब में

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आये हैं और १६ हजार रुपया मुआवजे का दिया है तो क्या प्रति कुआ दिया है या कुल मिलाकर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची दी है। माननीय सदस्य सूची को देख लें। हर एक का नाम जिनको मुआवज़ा दिया गया है वह इसमें बताया गया है, साथ ही सकुनत, वल्दियत भी दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इतने कुए डूबे और इतना सा ही मुआवजा दिया तो क्या माननीय मन्त्री जी समझते है कि पांच सौ, हजार रुपये में आज कुआं बन सकता है। ५६ कुओं में १६ हजार रुपया बांटे तो प्रति कुआं कितना सा रुपया आता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ कुए व ढानियां थीं उनकी कीमत थी वह दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब तक डोल मौजूद हैं, आपने मुलाहिजा की होंगी। आज वे कोटियां दस हजार और पांच हजार में भी एक नहीं हो सकती हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी खास कुए वाले की शिकायत माननीय सदस्य करें तो मैं समझ सकता हूँ। इस लिस्ट में नीयर अबाउट ५६ नेम्स हैं। किसी के लिए माननीय सदस्य की शिकायत हो तो उसके लिए मैं जानकारी दे सकता हूँ। लैंड का जो मुआवज़ा जिन जिन को दिया है उसकी सूची यहां दे ही दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसी पर्टीकुलर आदमी की बात नहीं है। ५६ कुए डूबे हैं और केवल १६ हजार मुआवजा दिया है। और जगह भी देखिये जहां कि अच्छा मुआवजा दिया है, आज इतने से रुपये में कोठियां, कुए नहीं बन सकते हैं। मोती सागर में केवल १६ हजार रुपया दिया है जब कि ५६ कुए डूबे हैं। आंसू पोंछ दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७

श्री हुकमसिंह

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के मार्फत विकास योजनाओं का निर्माण

१८. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Planning Minister be pleased to state :—

(1) Does the Government propose to utilise the agency of the Panchayat Samitis and Zila Parishads to prepare the plan frame for the 3rd Five Year Plan ?

(2) How does the Government propose to fit in the local Development Plans prepared by the Panchayat Samitis and Zila Parishads into the State Plan ?

विकास एवं योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) No. Sir,

Page No.15

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(2) Under the Panchayat Samitis and Zila Parishads Act itself the scrutiny of the budget by Zila Parishads is meant to ensure that the schemes do not run contrary to the objectives of the National Plan and State Plan.

The State Government have also constituted a Committee for purpose of giving guidance in the matter of dovetailing local plan into States and Central Plans. This Committee has been constituted under the chairmanship of Shri Mathura Das Mathur, M. P. The Report of this Committee when submitted will be considered by the Government.

श्री पी० के० चौधरी : If Panchayat Samitis and Zila Parishads are not associated in preparing of the Third Plan, how do you expect that local initiative will be able to pool in for the execution of the Plan ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Undoubtedly implementing the scheme is a different thing and the Plan frame is altogether a different thing. The Plan frame will give only the broad policies.........

श्री पी० के० चौधरी : It should be based on local will. We must ascertain the local will and it must be reflected in the Plan. If it is not reflected, how do you expect the people to implement it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The Plan frame will give only broad targets based on our resources.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) **:** From your reply, I could gather that the Government will give some sort of directions to the Panchayat Samities and Zila Parishads. These directions will be mandatory or only advisory ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : थर्ड फाइव ईयर प्लान के बनाने के लिये तीन चार ब्रॉड प्रिन्सिपल्स सामने रखे गये हैं। एक तो Plan frame दिसम्बर महीने में इश्यू किया जायगा जिसके अन्दर ब्रॉड आउटलाइन होंगी कि क्या क्या किस, किस सेक्टर में रखना चाहिये।

दूसरे प्लानिंग बोर्ड ने एक सब-कमेटी कायम की है जो अपनी तरफ से थर्ड प्लान के बारे में जो विचार है उनका एक डॉक्युमेन्ट होगा।

तीसरा अलग अलग groups बनाये गये हैं जो अपनी तरफ से डिपार्टमेन्टल पॉइन्ट ऑफ व्यू से क्या नेसेसिटी होगी वह भेजेंगे।

चौथा गवर्नमेन्ट की तरफ से पंचायत समितियां और जिला परिषदों के लेवल तक की जो बातें हैं उनके लिये वे क्या चाहती हैं, वे भी प्रोपोजल्स मांगे जायेंगे। इसके अलावा प्लान के जो निर्धारित प्रिन्सिपल्स हैं उनको भी अलटीमेटली ध्यान में रखा जायगा जिससे अलग अलग जो विचारधारायें सामने आवेंगी उन पर भी विचार किया जा सकता है।

Page No.16

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What is the nature of these proposals ? Do the Government propose to invite proposals from the Panchayat Samitis and Zila Parishads for the 3rd Five Year-Plan ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम इस सम्बन्ध में एक सरकुलर तैयार कर रहे हैं कि पंचायतें किस तरह से प्रोपोजल्स भेज सकती हैं, जिला परिषदें किस तरह से सोच सकती हैं और भेज सकती हैं। वह सरकुलर हम मेम्बरों के पास भेज देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that the Commitee which the Government has appointed, with Shri Mathur as Chairman, is not able to formulate these local Plans because the Government has not yet given any indication of the resources which will be available to the Panchayats ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : To certain extent that is true, because the plan frame should be out first. After that any other Committee or Group can consider as to what should be that size of the schemes but this Committee is primarily meant to dovetail the whole thing.

श्री पी० के० चौधरी : The Committee has tried to get the Panchayats to submit their own Plans, but the whole difficulty is that the village plans cannot be prepared unless they know the resources. The Committee can get only a charter of demands from the Panchayats. The Government is not prepared to say that these are the resources available for this and that village.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I think the Hon'ble Members would agree with me that to give resources to each Panchayat for the Five Year Plan is a matter which cannot be decided at this stage.

श्री पी० के० चौधरी : If it is not possible to let the Panchayats know their resources, then it is equally not possible for them to prepare the Plans. They can give only a charter of their demands.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It can be bassed on their own resources also. Certain schemes can be based on their own resources also.

श्री जनार्दनराय नागर : To what extent the Panchayat Samitis and Zila Parishads are free to have their Plans ? What expenditure they can expect to incur ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Is that not too early ? We are discussing as to what expenditure they will be able to incur, when we have not yet decided our own resources ?

श्री जनार्दनराय नागर : About Panchayat Samitis and Zila Parishads I envisage that the Government policy would be that these

(श्री जनार्दनराय नागर) .

would be free and autonomous in their sphere in the Third Plan within the broad framework of the Third Five Year Plan of the State. From the reply of the hon-ble Minister it is indicated that ultimately the State will give a Plan to the Zila Parishads and Panchayat Samitis and they will have no option to have their own Plans. The Panchayat Samitis and Zila Parishads will have no option to have their own Plans.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूँ इसमें एक प्रकार की भ्रान्ति हो रही है। जिला परिषदों का जो प्लान अपने जिलों के लिये होगा उसको कन्टेम्पलेट नहीं किया जा सकता। जो स्टेट प्लान होगा उस स्टेट प्लान के लिये जिला परिषदें और पंचायत समितियों की तरफ से जो भी प्रोपोज़ल्स होंगे वे स्टेट के पास आ जायेंगे। उनमें से किन किन प्लान्स को फ़ाइनेलाइज़ कर सकेंगे यह किसी भी स्टेज पर कन्टेम्पलेट नहीं किया जा सकता।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Government aware that one of the reasons for failure to get the local initiative and popular participation in our Second Plan was that the Plan was prepared from the top and the local initiative was not there. So if the resources position is not given to them, the same thing will heppen again in the Third Plan. It will not be a Plan from the people but a Plan imposed from above.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ अभी तक तो अपने प्रान्त के रिसोर्सेज़ की पोजीशन भी क्लीअर नहीं है। वैसी हालत में एक एक पंचायत के रिसोर्सेज़ की पोजीशन बतला देना बड़ा कठिन है। पंचायतों को क्या क्या आवश्यकतायें हैं और उसी बेसिस पर प्लान बनाकर पंचायत समितियों के पास भेजें।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) : क्या आप इस बात को साफ़ करने की कोशिश करेंगे कि जो प्लान बनाने की योजना है उसमें जिला परिषदें यह चाहती हैं कि हमारे जिले में फलां काम होना चाहिये क्या उनकी इच्छा के माफिक उनकी मांग को प्लान में एडजस्ट कर लिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह होता है और अब भी किया जाता है। कई मामलों में खुद भी करवा सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार का यह इरादा है कि जिला परिषदें तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपने जिलों में एक ओटोनोमस तन्त्र की तरह कार्य कर सकें इसलिये उनको भी विकास के काम का कुछ हिस्सा देने का इरादा है? क्या राज्य सरकार की ऐसी नीति होने जा रही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिला परिषदें अपने प्लान का हिस्सा अपने आप बना सकती हैं और उसको लागू कर सकती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूँ कि जिला परिषद् एक्ट इस मामले में बहुत साफ है।

Page No.18

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that the Government of India and the Planning Commission has already given an indication to the State Govrn-ment as to the approximate size of the State plan and the Central aid that can be expected by them besides the resources which the State Govern-ment will raise themselves ? In the same way is it not possible to give an indication to the Panchayats ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह का कोई आदेश आया है क्या ? प्लानिंग कमीशन ने यह बताया है क्या कि क्या क्या रिसोर्सेज होंगे और कितना देंगे ?

श्री पी. के. चौधरी : यह है। I know it.

You have already got an indication as to the approximate central aid you can receive under various heads for the Third Plan.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not to my notice and perhaps the Hon'ble Member must have read the India's Finance Minister's speech in Parliament.

श्री श्रीभानसिंह : I have read your speech. कल परसों ही आपने अखबारों को बताया था। क्या आप यह बता सकते हैं, लोकल कॉन्ट्रीब्यूशन आपने कितना रखा है ? You have calculated the overall re-sources of Rajasthan for the Third Plan. Now do you envisage in that a local contribution or the amount of local resources which you expect to collect.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लोकल रिसोर्सेज से क्या आपका मतलब राजस्थान स्टेट के रिसोर्सेज से है।

श्री श्रीभानसिंह : I mean the local resources of the local bodies.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : These are over-all resources. लोकल रिसोर्सेज के साथ में अलग अलग स्कीम्स होंगी। ओवर आल जो रिसोर्सेज होंगे उसमें बहुत सी स्कीम्स ऐसी होंगी प्राइमरी स्कूल्स की जो पंचायत समितियों को ट्रान्सफर हो चुकी हैं उनका भी उसमें शेयर होगा वह भी एडजस्ट होगा।

श्री श्रीभानसिंह : वही शेयर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो दो करोड़ नब्बे लाख के जो फिगर्स दिये उनमें कितना शेयर उनका रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका जवाब ऑफ हैन्ड यहां मैं नहीं दे सकता। पर मैं समझता हूँ कि इस सप्लीमेन्टरी के सिलसिले में जो पूछा जा रहा है वह Plan frame आने पर discuss हो सकता है।

प्रश्न संख्या १९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्रमिक बस्ती, (Labour Colony) भीलवाड़ा

२०. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Planning Minister be pleased to state :-

(1) How many rooms and family rooms and tenements have so far

(श्री पी० के० चौधरी)

been constructed in the Labour Colony at Bhilwara ? What is the total cost incurred on the Construction so far ?

(2) Is it correct that most of the houses and tenements in the Labour Colony are lying unoccupied as the Colony is located away from the main industrial units of the place ? If not, how many houses and tenements have so far been occupied by the labourers and how many are lying vacant ?

योजना मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) 400 single-roomed and 100 double-roomed tenements have been constructed, for the Industrial workers at Bhilwara under the subsidised Industrial. Housing Scheme. A sum of Rs. 13,80,926.00 has been incurred on the construction.

(2) 201 single-room and 28 double-room tenements have so far been occupied by the workers. Total number of rooms occupied being 229.

श्री पी० के० चौधरी : Why so many rooms are lying un-occupied uptil now ? More than 50 percent of the rooms are un-occupied ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए वह पूरी वहां पर कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ऑक्युपाई हो जावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : One of my questions is not replied. I have asked whether it was a fact that the rooms are lying un-occupied because the colony is away from the main industrial units of the place; that was also my question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे बहुत दूर तो नहीं हैं क्योंकि इन्डस्ट्रियल इस्टेट वहां इन्स्टाल हो रही है और दूसरे भी डवेलपमेन्ट इन्डस्ट्रियली और हो रहे हैं। एक स्टेज पर जरूर दूर था पर आज तो दूर जैसी बात नहीं रह गई है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Would you please give the reasons for the houses being not occupied ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके अन्दर पहले सारी चीजें पूरी नहीं हुई थीं। अब रोशनी-पानी का प्रबन्ध हुआ है। वाटर वर्क चालू हो गया है। बिजली मिलने लग गई है। इसके बाद काफ़ी तादाद में ऑक्युपाई हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी से बाक़ी भी हो जावेंगी।

श्री श्रीभानसिंह : Were these amenities not envisaged by the Government before constructing these houses ? Were these amenities not to be provided to the workers ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये अमेनिटीज़ भी एनविसेज की गई थीं और अब वे पानी और बिजली के रूप में पूरी कर दी गई हैं।

श्री श्रीभानसिंह : These amenities have been provided now. But not at the time of construction of the houses and, as such, the houses have remained vacant for a year or two, why

(श्री श्रीभानसिंह)

did they remain vacant ? Was it because the amenities were not provided or because the rents charged were higher ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There were so many factors...

पर सबसे बड़ा फैक्टर तो यह पानी की सप्लाई थी और इसी तरह बिजली का सवाल था और छोटी मोटी रिपेयर आवश्यक थी। इन सबके पूरा करने के बाद अब ऑक्युपाई हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

कन्या पाठशाला, ग्राम वाटिका (सांगानेर) की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

२१. **प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गर्ल्स स्कूल, वाटिका, तहसील सांगानेर की दो अध्यापिकाओं को फरवरी, मार्च व अप्रेल, सन् ५८ का वेतन नहीं मिला है ?

(२) यदि हां, तो क्यों और अब कब तक मिल जावेगा ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) क्योंकि स्थानान्तरण हो जाने पर वे अध्यापिकाएं अपने नये नियुक्ति स्थान पर नहीं गई।

इनका एरियर बिल बना कर कोषाध्यक्ष, जयपुर को भेजा जा चुका है। बिल पास होते ही रकम का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री नाथूलाल करेल (लालसोट-सु.) : बिल भेजने की कौन सी तारीख है ? बिल कब भेजा गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नवम्बर में भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री अमृतलाल यादव।

श्री नाथजी (नाथद्वारा), कल्याण जी (डिग्गी) तथा गोविन्द जी (जयपुर) के मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश

२२. **श्री अमृतलाल यादव** (जालोर-सु.): क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या नाथद्वारा में श्रीनाथजी के मन्दिर, डिग्गी में कल्याणजी के मन्दिर और जयपुर में गोविन्द देव जी के मन्दिर में हरिजन दर्शन करने जा सकते हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सार्वजनिक मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश वर्जित नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमृतलाल यादव : क्या सरकार बताने को तैयार है कि जिन मन्दिरों का मैंने प्रश्न पूछा है क्या वे सार्वजनिक हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, सार्वजनिक हैं।

श्री अमृतलाल यादव : यदि हां, तो क्या इन मन्दिरों में हरिजन जा सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब मैंने अर्ज कर दिया है आपको।

श्री अमृतलाल यादव : आपने जवाब बताया इसके लिये बहुत धन्यवाद। पर क्या सरकार आगामी हरिजन सप्ताह पर हरिजनों को वहां इन मन्दिरों में ले जाने का आयोजन करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता है नहीं जब वर्जित नहीं है। कानून ने इजाज़त दे रक्खी है। क़ानून में जो रोकता है उसे दंड मिलता है इसका भी विधान है।

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव : क्या यह सही है कि दण्ड दिया गया है आज तक इस विषय में किसी को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई बार कई जगह सजाएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मुझे एक सप्लीमेन्टरी और करने की इजाज़त दीजिये।

श्री अध्यक्ष : करिये।

श्री अमृतलाल यादव : अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कोई रोक नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है। तो सरकार जो हरिजन सप्ताह मनाती है तो उस में इस प्रकार के आइटम रखें मन्दिरों के दर्शन का, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ? एक आइटम इन मन्दिरों में हरिजनों को ले जाने का भी रक्खा जावे इस बारे में सरकार की ओर से एक निश्चित आश्वासन चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : हरिजन सप्ताह मनाया जा रहा है तो माननीय सदस्य के नेतृत्व में जत्था क्यों नहीं ले जाते ? माननीय सदस्य तो खुद कई बार मन्दिरों में गये हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड दिया जाना

२३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों को प्रशिक्षण के ठीक बाद ट्रेन्ड ग्रेड दे दी जाती है ?

(२) क्या उन अध्यापकों को जिन्होंने १९५८ में बी० एड० ट्रेनिंग पास की है, ट्रेन्ड ग्रेड दे दी गई है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) क्या यह सत्य है कि फ्रैश बी० एड० पास अध्यापकों को ट्रेन्ड इन्टर या अनट्रेन्ड इन्टर की ग्रेड में नियुक्त किया गया है ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे अध्यापक, जो विभाग में पहले से ही कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने गत वर्ष बी० एड० पास किया है, को कोई ग्रेड प्रमोशन नहीं दिया गया है ?

(६) यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उनको ट्रेन्ड ग्रेड दे दिया जावेगा ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं ।

(२) जी हां । ८० अध्यापकों को ।

(३) ओ. पी. एल. सी. से एप्रूव्ड हैं और जिनके लिए पोस्ट उपलब्ध हों उनको उनकी वरिष्ठता के अनुसार ट्रेन्ड ग्रेड दी जाती है । जो एप्रूव्ड नहीं हैं या वरिष्ठता में नहीं आते हैं उनको नहीं दी जाती है ।

(४) जी हां, ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड में ।

(५) जी हां ।

(६) जो लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए नहीं हैं या वरिष्ठता में न आते हों उनको ग्रेड नहीं दिया जा सकता ।

प्रश्न संख्या २४

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

सरकारी विभागों को बिक्री कर से छूट

२५. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) :

Will the Finance Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that the Government issued 'C' forms to the Government Departments, Viz., P. W. D. etc. to enable them to get exemption from payment of local sales tax. ?

(2) Is it correct that these Departments make their purchases from Delhi and Bombay dealers even at higher rates than those offered by local Rajasthan dealers to avoid payment of sales taxes to Rajasthan Government ?

(3) Is it also correct that certain industrial Concerns in Rajasthan are issued 'C' form, exempting them from the payment of local Sales Taxes, not only for Industrial Raw Materials but even for machinaries and equipments purchased by them from Bombay and Delhi ?

(4) Is it correct that this policy of the Government has adversely affected the business of the local Rajasthan traders and also loss of sales tax revenue to the State Exchequer and an extra boon to the Delhi and Bombay traders.

(5) Is it also correct that this policy of the Government has encouraged the activities of the Industrial Concerns in Rajasthan who export

(श्री पी० के० चौधरी)

their finished products in Delhi instead of selling them in Rajasthan and these products are then repurchased by local Rajasthan dealers from Delhi traders after obtaining 'C' form from the Government ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी नहीं। सरकारी विभागों को राजकीय बिक्री कर से मुक्त प्रदान करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा ८ के अनुसार औद्योगिक संस्थान कच्चा माल एवं मशीनरी व उपकरण 'सी' फार्म देकर रियायती दर पर राजस्थान के बाहर से क्रय कर सकते हैं।

(घ) हो सकता है कि स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो क्योंकि व्यापारियों के आंकड़े इस दृष्टिकोण से नहीं रखे जाते। फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही नहीं है कि जो गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट को 'सी' फार्म दिया जाता है यह इसलिये होता है to exempt them from paying the central sales tax ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिपार्टमेन्ट तो सीधा खरीदते ही नहीं हैं। वे तो टेन्डर मांगते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से एग्ज़म्प्ट करके गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट को यह सामान दिया जाता है, क्या यह सही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी में यह नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स को भी बाहर से बिसाइड्स दी रॉ मैटीरियल, मशीनरी आदि के खरीदने के लिये 'सी' फार्म दिया जाता है। वे लोकल सेल्स टैक्स देते नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जवाब दिया है न 'सी' में। सी फार्म दिया जाता है मशीनरी आदि उपकरण बाहर से लाने के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन्क्लूजिव ऑफ सेल्स टैक्स होता है इसलिये राजस्थान के व्यापारियों को टेन्डर की रेटें देने में, बाहर वालों की अपेक्षा नुकसान होता है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ठीक है। यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है। सरकार इस पर विचार कर रही है। दस-पन्द्रह रोज़ में फैसला हो जावेगा। व्यापारियों को इसमें नुकसान हो जाता है कभी कभी, वह नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : यहां के बिजनैस कन्सर्न्स हैं उनको जो बाहर से मंगाया हुआ सामान रिएक्सपोर्ट करते हैं, तो रिफण्ड ऑफ सेल्स टैक्स नहीं देती है सरकार ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न पर तो आश्वासन दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी : This is another supplementary.

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न में जिक्र ही नहीं है रिएक्सपोर्ट का ?

श्री पी० के० चौधरी : This is supplementary.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्नों पर होने वाला सरकारी व्यय

२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

सरकार का विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देने में औसतन करीब कितना खर्चा होता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): वैसे तो विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देने में होने वाला खर्च प्रश्नों के प्रकार पर निर्भर है परन्तु साधारणतया पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्नोत्तर श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जिनका कम से कम औसतन करीबन खर्च निम्न प्रकार है :—

(क) ऐसा साधारण प्रश्न जिसका उत्तर सचिवालय में ही सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही दिया जा सके। .... ७.६२ न० पै०

(ख) ऐसा कठिन प्रश्न जिसका उत्तर सचिवालय में ही सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही दिया जा सके। .... ९.६६ न. पै.

(ग) ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा जिलाधीश से सामग्री एकत्रित करनी पड़े (यह मानते हुए कि उनको इस सम्बन्ध में अन्य किसी कार्यालय से पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी) .... १३.७७ न० पै०

(घ) ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर के लिये राज्य के सभी जिलाधीशों अथवा विभागाध्यक्षों से सामग्री एकत्रित करनी पड़े। ... . ११५.०२ न. पै.

नोट—इन आंकड़ों में विधान सभा सचिवालय में होने वाला खर्च सम्मिलित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न पर कितना खर्च हो गया ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर न देना चाहें उसका क्या खर्चा आता है ?

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो आपने कॉस्ट वर्क आउट की है, How it has been worked out ? Whether it is worked out by a Cost Accountant or it is simply a conjecture by a Government clerk or some ingenous brain in the Secretariat ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई प्रश्नों को लिया गया और लेकर के इस मामले में सर्वे किया गया कि एक प्रश्न के ऊपर कितना समय लगता है और उस समय के लिहाज से इसको वर्क आउट किया गया। तो जो मैंने जवाब दिया जिसमें सेक्रेटेरियट वाले थे तो उसमें अलग अलग लेवल पर जानकारी करके सारी चीजों को करने में औसतन ३ घन्टे १२ मिनट लगते हैं। इस तरह से वर्क आउट करने की कोशिश की गई है और जो मैंने जानकारी अभी सदन को दी है वह इसी के आधार पर दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पूछने का मतलब था कि साल भर में कितने प्रश्न होते हैं और फिर एक प्रश्न के उत्तर में कितना खर्चा आता है इससे औसत निकल सकेगी। इस आधार पर एक प्रश्न पर कितना खर्च होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, लेकिन यह आम तौर से कुछ सवालों को लेकर पांच छः महीने के पीरियड में जितने आयें, उनको एग्ज़ामिन करके जानकारी दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो उत्तर दिया गया यह थर्ड ग्रेड के प्रश्न का होगा। यह जो सवाल पूछा गया यह तीसरी श्रेणी में आता होगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा कि थर्ड ग्रेड के प्रश्न पूछने वाले धन का दुरुपयोग न करायें। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से थर्ड ग्रेड प्रश्न के सवाल आते हैं और वह ऐसे ही लोग पूछते हैं इसलिये मैंने पूछा कि प्रश्न के ऊपर कितना खर्च होता है। साल भर में कुल कितने प्रश्न होते हैं और फिर औसतन कितना रुपया एक प्रश्न पर खर्च होता है ?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा कि औसतन कितना आता है वह बता दिया और यह भी बता दिया कि किस आधार पर यह कैलकुलेट किया है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह खर्चा जो बताया गया है इसमें क्या क्या मदें हैं जिसमें खर्च बैठता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुख्य समय की मद।

श्री जनार्दनराय नागर : कितना खर्चा, ऑफिसरों की तनख्वाह एक दिन की दो दिन की, चाय पानी का खर्चा, टेबल और डेस्क का, वीयर टीयर का खर्चा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामधन।

मौजा सिकन्दरा, तहसील सिकराय के स्वर्गवासी महन्त की सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति

२७. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मौजा सिकन्दरा तहसील सिकराय के महन्त श्री रामसेवकदास का देहान्त हो गया? यदि हां, तो उसका वारिस सरकार ने किसको मुकर्रर किया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री रामनाथ जगदीशलाल नामक एक अन्य व्यक्ति ने उसकी जायदाद पर कब्जा कर रखा है ?

(श्री रामधन)

(३) यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। सरकार ने अभी तक किसी को वारिस मुकर्रर नहीं किया है।

(२) जी हां।

(३) इस स्थान से सम्बन्धित मुआफी की जमीन महन्त श्री रामसेवकदास के देहान्त के पश्चात् दिनांक १-७-५८ को रिज्यूम हो चुकी। केवल मृतक की खुदकाश्त की भूमि बतौर खातेदारी के श्री सेडूदास को मृतक का चेला मान कर तहसील द्वारा मंजूर की गई है। किन्तु श्री सेडूदास, मृतक का वास्तव में वारिस है या नहीं और उसका कब्जा कानूनी है या गैरकानूनी, इस बारे में राजस्थान राज्य अभिगामी सम्पत्ति अधिनियम १९५६ की धारा ६ के तहत नोटिस राजपत्र में शाया करने के लिए गवर्नमेंट प्रेस को भेज दिये गए हैं और मुकद्दमे की ता० ८-१२-५९ नियत है। इसके पश्चात् आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह 'मृतक' शब्द का अर्थ मरने वाला व मर चुका है। इसके स्थान पर दूसरा शब्द उपयोग करते तो अच्छा था। 'मृतक' का अर्थ तो यह पर मरने वाला है या मर चुका से है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

२८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई व कितनी खर्च करना बकाया है ?

(२) सन् १९५९-६० में जो धनराशि रखी गई थी उसमें से अब तक कितनी किस किस जिले में खर्च की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सितम्बर, १९५९ तक ५५७९.५७ लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है व ४९४७.९९ लाख रुपये की धन राशि व्यय करना बाकी है।

(२) सन् १९५९-६० में खर्च की गई धनराशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इस वर्ष में २४०५.१६ लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी। अप्रेल, सन् १९५९ से अगस्त, सन् १९५९ तक ४४५.२५ लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है। ज़िलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इस वर्ष में जो २४ करोड़ था उसमें से ४॥ करोड़ रुपये का खर्चा बताया है तो इतना कम खर्चा होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो शुरू के महीने में हमेशा कम होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वर्ष के साल का एन्ड होता है उस हिसाब से देखा जाये तो यह खर्चा बहुत कम है। याने साल भर में जो खर्च रखा गया है और जितना समय बीत चुका है और जितना समय बाकी है उसमें ४ करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है तो इतना रुपये बचने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में कम होगा और सेकिन्ड में उससे ज्यादा होगा और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में उससे भी ज्यादा खर्चा होगा। क्योंकि बजट के बाद में सैंक्शन और दूसरी चीजें एस्टीमेट्स, टेन्डर्स कई खर्चों के बारे में मामले होते हैं तो प्रोग्रेसिवली हर साल खर्चा होता है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूँ कि १९५८-५९ का बजट था प्लान का भी उसमें अब तक जो प्लान के लिए एक्सपेन्डीचर रखा गया था, जितना उस वर्ष खर्च किया था उससे इस वर्ष इन महीनों में भी टोटल ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

एस० टी० सी० केन्द्र

२९. श्री **रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने १९ एस० टी० सी० केन्द्र राजस्थान में खोलने का निर्णय किया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसकी सूचना संचालक, शिक्षा विभाग को भेज दी थी ?

(३) इस आधार पर कुल कितने उम्मीदवारों का इन्टरव्यू हुआ ?

(४) जयपुर रीज़न में पहले कितने केन्द्र खोले जाने का आॅर्डर दिया तथा बाद में कितने खोले गये ?

(५) कितने छात्र लेने के विचार से कितनों का इन्टरव्यू लिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि लिस्ट नोटिस बोर्ड पर उनकी लगा दी थी जिनको लेना था तथा फिर उनमें से अचानक कमी किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) २,५०० का.

(४) पहले कोई विशेष संख्या में आदेश नहीं दिया, बाद में अमरसर और सामोद में खोले गये।

(५) २,५०० का इन्टरव्यू लिया गया जिनमें से १,८९० छांटे गए।

(६) जी हां, राजस्थान में १९ के बजाय ११ ही खोल सके। ५ एस० टी० सी० केन्द्र भवन की उपलब्धता व अन्य सुविधाओं के प्राप्त न होने पर नहीं खुल सके इसलिए कमी की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

ग्राम पंचायतों को म्यूटेशन करने हेतु प्रदत्त अधिकार

३०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या सरकार ने म्यूटेशन करने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकार पंचायतों को दिये जाने के उपरान्त भी नायब तहसीलदार, सोजत ने अपने इलाके में कोई म्यूटेशन किये ?

(३) यदि हां, तो किस किस गांव में कितने कितने म्यूटेशन किये व क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक ११-९-५७ द्वारा।

(२) जी हां।

(३) म्यूटेशन निम्न प्रकार किए :—

गांव	संख्या म्यूटेशन
१. बगड़ी	२
२. पांचूडा खुर्द	३
३. जिलावास	१
४. देवली कलां	७
५. रेंवडी	१
६. सुरायतां	३

सम्बन्धित नायब तहसीलदार ने किन परिस्थितियों में सरकारी आज्ञा का उल्लंघन किया, इस विषय में जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

तहसील आमेट (उदयपुर) द्वारा हरे वृक्षों को काटने हेतु जारी किये गये परमिट

३१. श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील आमेट, ज़िला उदयपुर द्वारा गत दिनों हरे वृक्ष काटने संबन्धी परमिट इश्यू किये गये ?

(२) यदि हां, तो किस किस आसामी को किस किस कार्य के लिए कितने कितने वृक्ष काटने की परमिशन दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त परमिशन के निमित्त दिये गये प्रार्थना-पत्र किसी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये थे ?

(४) इससे पूर्व गत तीन सालों में तहसील द्वारा इसी प्रकार कुल कितने वृक्ष काटने की स्वीकृति दी गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि ब्लाक विकास समिति, आमेट द्वारा तहसील की इस कार्यवाही के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया गया था ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। सन् १९५८ के अगस्त माह तक ऐसी कुल १७ परमिशन दी गई थीं जिसमें १४ प्रार्थना-पत्र एक व्यक्ति द्वारा, २ एक व्यक्ति द्वारा तथा १ अलग व्यक्ति द्वारा लिखा गया था।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सन् १९५६ में ६० वृक्ष ।

सन् १९५७ में ५६ वृक्ष ।

सन् १९५८ में १,३४२ वृक्ष

कुल १,४५८ वृक्ष

ऐसी कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री मनोहर कोठारी : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी आमेट विकास खंड से प्राप्त हुई है या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त ही नहीं की गई, उस तरह का प्रस्ताव हरे वृक्ष काटने का पारित किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन जो उत्तर मेरे पास आया उस समय तक सूचना नहीं पहुंची थी । यह विकास खण्ड से सूचना नहीं आई है ।

श्री मनोहर कोठारी : इस प्रकार के हरे वृक्ष कटवाने की जो परमिशन दी गई है और ख़ास तौर से जो सूची दी गई है उसमें बताया गया है कि फसल को नुकसान होने से और तकावी की अदायगी के लिए ३५६ हरे वृक्ष काटे गए तो क्या उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे कि हरे वृक्ष कटवाने की जरूरत पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार के ख़िलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए आदेश दे दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(२.६ म० प०

बूंदी के बीड़ी कारखाने में तालाबन्दी सम्बन्धी

स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव मुरलीधर व्यास ने बूंदी के बीड़ी कारखाने की तालाबन्दी के कारण उत्पन्न स्थिति के विषय में भेजा है । उपरोक्त विषय इतना सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सभा का पूर्व निश्चित कार्यक्रम स्थगित किया जाकर आज इस पर विचार किया जाय । अतः इसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह जो प्रस्ताव है यह खास करके इसलिए रखा गया है कि वहां १४ दिन से ताला बन्दी है और करीब २०० आदमी बिना रोजगार के बैठे हैं । मैं समझता हूँ कि विषय काफी महत्व का है और इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि यदि कोई अवैधानिक रूप से तालाबन्दी कर दे तो सरकार को इतना समय न लगे । मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही महत्व का प्रस्ताव है क्योंकि इतने आदमी बेरोजगार हो गए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) : ६ तारीख को कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स फेल हुई हैं । उसके बाद कार्यवाही की जा रही है और लॉ डिपार्टमेंट में प्रोपोजैल एग्ज़ामिन हो रहे हैं । बहुत जल्दी कार्यवाही की जा रही है । इसमें कोई देरी की बात नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती है तो स्ट्राइक लॉक-अप लीगल है या इल्लीगल है इस बारे में लॉ डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिन किया जाता है। उसके लिए जल्दी ही कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १४ नवम्बर से इस प्रकार की तालाबन्दी चल रही है और इस समय तक सरकार, लीगल है या इल्लीगल है, इस बात की जांच कर रही है। वहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होने के बाद तालाबन्दी कर दी है कि सरकार ने ऐसा कानून पास किया है इस कारण से उसने कारखाना बन्द कर दिया है और सरकार इस बारे में अभी तक मौन है तो फिर कानून का क्या महत्व है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कन्सीलियेशन की प्रोसीडिंग्स फेल हो गई हैं तो लॉ डिपार्टमेंट एग्ज़ामिन कर रहा है। इसमें न तो सरकार की शिथिलता है और न सरकार इस पर मौन है। जाप्ते की कार्यवाही होगी तभी होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कन्सीलियेशन की प्रोसीडिंग्स फेल हो गई है तो दूसरी कार्यवाही कर रहे हैं कि तालाबन्दी लीगल है या इल्लीगल है। म इस बात की जांच कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १४ नवम्बर से पहले उन्होंने सरकार को नोटिस दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है और सरकार के पास जो जानकारी थी वह आपको दे दी, और आशा करनी चाहिए कि सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व सदन के सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री महेन्द्रसिंह पंवार, विभाजन संख्या ६० ने विधान सभा की बैठकों से ३०-११-५९ से सत्र के अन्त तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव तथा सभा की प्रक्रिया के नियमों के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं ने पुलिस द्वारा होने वाले अत्याचारों के बारे में........

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन के सामने किसी बात की चर्चा करने से पहले मुझसे मिल लें। उसके बाद में उनको सन्तोष नहीं हो तो सदन के अन्दर चर्चा कर सकते हैं। बगैर किसी नोटिस के या बगैर किसी कारण से सदन का समय लेने लगें तो सम्भव नहीं है कि सदन की कार्यवाही चल सके।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दिक्कत यह हो रही है कि बगैर किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नोटिस या

(श्री श्रीभानसिंह बयाना)

नये एजोर्नमेंट मोशन मूव करें तो कैसे करें। अभी तक जो रूल्स थे वे नहीं रहे और ६१ से रूल्स फाइनेलाइज होकर सरक्युलेट नहीं हुए हैं तो किस रूल्स के तहत यह हाउस फन्क्शन करता है वह बता दें, क्योंकि फाइनल रूल्स की कॉपी अभी तक नहीं है। जब कि फाइनल रूल्स मिलेंगे जिससे कि हाउस का प्रोसीजर कन्डक्ट हो सके, नोटिस दे सकें, अटेन्शन कर सकें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: ये फाइनल रूल्स २७ मई को गजट में पब्लिश हो चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत सदन के सदस्यों को नहीं हो सकती है।

श्री श्रीभानसिंह: गजट में पब्लिकेशन से काम नहीं होता है। मेम्बर्स को हाउस में सरक्युलेट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: सदन के रूल्स एप्रूव किए हैं वे गज़ट में छप गए हैं उसके बाद कैसे समझा जाय कि माननीय सदस्यों को इत्तिला नहीं हुई। उसका हिन्दी में अनुवाद होकर हिन्दी और अंग्रेजी में रूल्स छप रहे हैं। अंग्रेजी में तैयार हो गए हैं और हिन्दी में भी जल्दी तैयार हो जायेंगे और आपके पास पहुंच जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह: But this delay is unwanted even in the Rules of Procedure and this should have been circulated to the Members. गज़ट में पब्लिश हो गया तो क्या हुआ। यों तो हर एक बिल गज़ट में पब्लिश हो जाता है फिर हाउस में क्यों सरक्युलेट किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: गजट मेम्बरों को फ्री भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): फ्री क्या होता है?

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा): If it was a publication in the Gazette for coming into force, but they should have come to us also.

श्री अध्यक्ष: उसकी व्यवस्था की जा रही है। जानकारी नहीं है तो रूल्स गज़ट में छप चुके हैं ऐसा मंत्री महोदय ने बताया है। सरक्यूलेट करने के बारे में मैंने स्थिति बता दी है कि हिन्दी में वे जल्दी ही दो चार दिनों में तैयार हो जायेंगे और आपके पास पहुँचा दिए जायेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर: अध्यक्ष महोदय गज़ट फ्री भेजे जाते हैं इसका क्या मतलब होता है? क्या यह हमारे अधिकार में नहीं है?

(हंसी)

श्री हीराभाई: रूल्स सरक्यूलेट नहीं हुए और जो कुछ घटना हुई उसके विषय में सदन में प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं कर सकेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: रूल्स आप के सामने हैं वे पेश कर दिये गये हैं। गज़ट में छप चुके है, इसलिये आप नहीं कह सकते हैं कि वे आप को मालूम नहीं है। जहां तक प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करने का सवाल है वह रूल्स के अन्दर कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेम्बर्स को रूल मिलने चाहिये गज़ट में तो प्रोसीज़र के तौर पर गवर्नमेंट ने कर दिया है। वह बराबर नहीं समझा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने बता दिया कि क्या स्थिति है उसके बारे में, and that shoud satisfy you.

श्री श्री भानसिंह: No I am not satisfied. I will be satisfied when I get a copy of fhe final Rules Sir.

श्री अध्यक्ष : Alright. that you will also have.

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स हिन्दी में सदन के सदस्यों को मिले नहीं है और जो घटना हुई है उसके बारे में प्रस्ताव आता है तो आप उसको दबाना चाहते है या ठुकरा देना चाहते हैं। प्रजातन्त्र के युग में क्या जनता को पुकार करने का अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : जनता की आवाज को खड़ी करने के नियम कायम हैं। आखिर हर चीज के नियम हैं। रूल्स आप को पढ़ने पड़ेगें और समझने पड़ेगें और उनके अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह आप निश्चित तौर से समझ लें।

श्री हीराभाई : जो कुछ घटना होती है उस घटना के विषय में नहीं सुन सकेंगे ....

श्री अध्यक्ष : रूल्स बन चुके हैं आपको स्थिति से जानकारी नहीं है।

श्री हीराभाई : वे अंग्रेज़ी में बन चुके हैं। हिन्दी में नहीं हुए है। हिन्दी ही जानने वाले जो सदस्य है ....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया आप बैठ जाइये। जो कुछ कहना हो उसकी व्यवस्था रूल्स में है और रूल्स आपके सामने हैं। वह नई चीज़ नहीं है। उसके अन्दर कार्यवाही करेंगें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हीराभाई : सरकार ने नही दिये हैं तो उसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव १०.४० और पर दिया है। आपने देखा है कि उसमें आपने क्या लिखा है ? उसकी आपने मंत्री महोदय को कॉपी नहीं भेजी है और आप चाहते हैं कि कार्यवाही की जाय।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये। मैं आपको पहले उत्तर दे चुका हूँ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष, आधा घन्टे पहले से दिया है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज़।

श्री हीराभाई : मैं माननीय अध्यक्ष, से निवेदन करूगा...........

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये मैं आप से निवेदन करूंगा ....

श्री हीराभाई : मैं निवेदन यह करूंगा कि बराबर पुलिस के ....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये।

(घंटी)

Page No.33

श्री हीराभाई : दाद नहीं ले रही है आपकी सरकार

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर देखिये।

श्री हीराभाई : अत्याचार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अव्यवस्था नहीं करें। हमें काम करना है। कुछ कहना है तो सदन के सामने नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

श्री हीराभाई : काम करना है तो हम भी यहां जनता का काम करने आये हैं। रूपरेखा बनाइये …………

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : रूपरेखा बनाने के लिए………

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये। मैं आप को वार्निंग देता हूँ कि अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो मुझे आपको सदन के बाहर भेजना पड़ेगा।

श्री हीराभाई : हम यहां पर जनता की आवाज को लेकर आये हैं। जहां तक जनता की आवाज की आवश्यकता होगी……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री हीराभाई : सदन जनता की व्यवस्था करने के लिए कायम किया गया है और वहीं पर जनता की आवाजें…………

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। आप कृपया बैठ जाइये। सदन का टाइम इस तरह से न लें।

श्री हीराभाई : 'माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में…………

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष, आपके आदेशों की अवहेलना बराबर की जा रही है। माननीय सदस्य इस तरह से एक बुरी परम्परा हाउस में डाल रहे हैं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष, इस पर………

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को फिर एक दफा वार्निंग देता हूँ कि वे अगर ठीक तौर से व्यवहार नहीं करेंगे तो मुझे उन्हें सदन के बाहर भेजना पड़ेगा।

श्री हीराभाई : जो आवाज जनता की है वह मैं पेश करना……

श्री अध्यक्ष : आप आवाज हर समय पेश नहीं कर सकते।

श्री हीराभाई : चाहे आप मुझे वार्निंग दें या कत्ल कर दें लेकिन जो जनता की आवाज है, पुकार है…………

श्री अध्यक्ष : मैं सार्जेन्ट एट आर्म्स को आज्ञा देता हूँ कि वे माननीय सदस्य को सदन के बाहर ले जायं।

श्री हीराभाई : आप कृपया बताइये….

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल गलत है। यह कोई तरीका नहीं है। यह मैंने स्पष्ट कर दिया है।

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

आप कृपया सदन से बाहर ले जाइये। (सार्जेन्ट-एट-आर्म्स माननीय सदस्य को सदन के बाहर ले जाते हैं)

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) यहां पर जो उनका प्रस्ताव है उस पर नहीं बोलेंगे तो ...

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं ने व्यवस्था दे दी है।

(घन्टी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्पष्ट....

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप कृपया बैठ जाइये।

(घन्टी)

(श्री मुरलीधर व्यास के न बैठने पर) ऑर्डर, ऑर्डर। जब मैं खड़ा होता हूँ तो आपको बैठ जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं बैठ जाता हूँ। (हँसी)। (फिर खड़े होकर) मेरे कहने का मतलब है कि...

श्री अध्यक्ष : कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आवश्यकता क्यों नहीं है। मैं प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूँ....

श्री अध्यक्ष : यह कौन सा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। यह कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के प्रस्ताव पर आपकी ओर से उत्तर मिलना चाहिये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. Ruled out.

१२. २० म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

वित्तीय लेखे, १९५७–५८ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय लेखे, १९५७–५८ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८ को सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण अध्यादेश, १९५९

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण अध्यादेश, १९५९ (अध्यादेश संख्या ४, सन् १९५९) को सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिये। आपको हमेशा बोलने का मौका देते हैं, विचार व्यक्त करने की पूरी व्यवस्था है। इस तरह से बाधा डालने से कार्यवाही कैसे चल सकती है। मैंने स्पष्ट कर दिया है उस पर संतोष होना चाहिये।

श्री भोगजी भाई : सदन में जो स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति चाही गई......

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री मोगजी भाई : कानून के नाम पर ....

श्री अध्यक्ष : आप भी अगर अपने साथी के साथ बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : ये भी उसी शान से जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : या तो आप शान्ति से बैठ जावें, या सदन के बाहर तशरीफ ले जावें।

श्री मोगजी भाई: बोलने के लिये खड़े होते हैं, और सदन में कुछ शोरगुल होता है।

आप कृपया बैठ जावें।

श्री मोगजी भाई : मैं वाक आउट करता हूँ।

१२. २२ म० प०

गत सत्र में सदन द्वारा पारित अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज़ पर रखता हूँ :—

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, 1959.

2. The Rajasthan Municipalities Bill, 1959.

3. The Rajasthan Transport Authorities (Consideration and Proceedings Validation) Bill, 1959.

4. The Dungarpur State Devasthan Nidhi (Amendment) Bill, 1959.

5. The Rajasthan Sub-Grants Resumption Bill, 1959.

6. The Rajasthan Hindu Public Trusts Bill, 1959.

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Settlement and Retrospective Application (Validation) Bill, 1959.

2. The Rajasthan Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and Production of Documents) Bill, 1959.

3. The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Bill, 1959.

कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस।

१२.२३ म० प०

राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १९५९

(पुरः स्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मन्त्री, आबकारी व कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार तथा स्वीकृति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

१२.२४ म० प०

राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १९५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मन्त्री, आबकारी व कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक क्यों लाया गया है, इसका कुछ स्पष्टीकरण मन्त्री महोदय कर दें तो अच्छा हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय :इसका स्पष्टीकरण सीधा सा है। राजस्थान सेल्स टैक्स विधेयक, १९५५ को १ अप्रेल से लागू किया गया था। लेकिन रूल्स इत्तफ़ाक से २८ मार्च को ही लागू हो गये। नियम के अनुसार एक्ट लागू होने के बाद नियम लागू होने चाहिये, लेकिन गलती से ३ दिन पहले ही ये नियम लागू हो गये। इस गलती की दुरुस्ती के लिये मैंने यह विधेयक यहां रखा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह कैसे हुआ कि नियम पहले लागू हो गये ? यह गलती किसकी हुई और कैसे हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दफ्तर से गलती हो गई।

श्री श्रीभानसिंह : जो विधेयक लेजिस्लेचर से पास नहीं हुआ, उसके नियम कैसे लागू कर दिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विधेयक लेजिस्लेचर से पास हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। पब्लिश होने में देरी हुई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): एक्ट लागू होने से पहले नियम कैसे बन गये ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : बाप के पहले बेटा कैसे पैदा हो गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गलती से रूल्स पहले लागू हो गये।

श्री श्रीभानसिंह : रूल्स पहले बन कैसे गये ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स कई विभाग वाले पहले तैयार कर देते हैं, ज्यादा फुर्ती रही इसलिये जल्दी लागू हो गये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मेरे पास इसका विश्लेषण तो नहीं है, आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चीज़ सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : सीरियस ही नहीं बहुत सीरियस है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को रेक्टिफाइं करवाना चाहते हैं कि एक्ट लागू होने से पहले रूल्स का लागू होना ठीक समझा जावे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रूल्स भी १ अप्रेल से लागू समझे जावें, एक्ट के लागू होने के बाद से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेटिंग बिल जो सदन के सामने मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हुए माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये उनके उत्तर में यदि कोई स्पष्टीकरण आ गया होता तो सम्भवतः मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इस वेलिडेटिंग बिल के द्वारा इस बात की व्यवस्था चाही गई है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट जो १ अप्रेल, १९५५ को लागू हुआ और उसके तहत रूल्स बनें वे एक्ट के लागू होने के बाद ही लागू होने चाहिये। लेकिन ये रूल्स २८ मार्च को गजट में पब्लिश होने से फ़ोर्स में आ गये और मूल कानून में लिखा था कि एक्ट के तहत रूल्स बनेंगे वे उस तारीख से लागू होंगे जो तारीख गजट में नोटिफाइ होगी। दुर्भाग्य से डेट नोटिफाइ नहीं की कि कब से फोर्स में आयेंगे। २८ मार्च का ही सवाल नहीं है, यदि वे १ अप्रेल से ही बनते हैं और तारीख नहीं होती तो भी उसमें डिफेक्ट्स रहते। इन्हीं डिफेक्ट्स के कारण राजस्थान हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन्स पेश हुई, सरकार के पास नोटिसेज़ आए, रिट पिटीशन्स काफी हुई, तब एक ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऑर्डिनेन्स जारी क्यों हुआ। इस बारे में सदन ने कई बार विचार व्यक्त किये हैं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता आती है जिससे ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। इसमें रीज़न यह दिया गया कि क्योंकि विधान सभा का अधिवेशन

Page No.38

चालू नहीं है इसलिये राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी किया। लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि विधान सभा का अधिवेशन ३० नवम्बर से शुरू होने वाला था और विधान सभा का अधिवेशन १० अगस्त से लेकर ४ सितम्बर तक हुआ, तो यह रिट पिटीशन ४ सितम्बर से पहले दाखिल की गई या बाद में की गई। मेरी जानकारी है कि आज से तीन साल पहले रिट पिटीशन दाखिल की गई, १९५६ की बात है; १९५५ में कानून लागू हुआ और उसके बाद सरकार और सरकार के विभाग सोते रह सकते हैं लेकिन जो व्यापारी हैं, वह यदि लाभ उठा सकता है तो उसे आप अदालत में जाने से नहीं रोक सकते। सरकार मेंढक की चाल चले तो वे लोग खरगोश की चाल से भागेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जब रिट पिटीशन दाखिल हो चुकी थी, तो विधान सभा के पिछले अधिवेशन में इस प्रकार का बिल, राजस्थान टैक्स रूल्स वेलिडेटिंग बिल क्यों नहीं लाया गया? क्या सरकारी विभाग सोते रहते हैं? दूसरी बात यह है कि सरकार इस प्रकार का एक्ट बना, रूल्स बने, आखिर हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट करता क्या रहता है? हमने कानून विभाग बनाया, उसमें उच्च अधिकारियों को रखा, ऊंची ऊंची तनख्वाहें उनको देते हैं, आखिर वे ये सारी बातें नहीं देख सकते? आज चार पांच साल के बाद में सरकार जगती है, जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल होती है और लोग कहते हैं कि रूल्स क्यों लागू कर दिये, एक्ट के लागू होने से पहले। २८ मार्च, १९५५ को लागू कर दिए और एक्ट पहली अप्रैल के बाद में लागू होता है और ऐसा नोटिफिकेशन नहीं होता है कि कौन सी डेट से लागू होंगे। इस प्रकार की गलतियां होती रही और बिना रूल्स के लोगों से रुपया वसूल करते रहे और बाद में एक ऑर्डिनेन्स निकालने के बाद यहां पर एक वेलिडेटिंग बिल ले आये कि इस कार्यवाही को वेलिडेट किया जाय। मैं समझता हूँ कि सरकार को और मंत्री महोदय को ध्यान रखना चाहिए कि यह बात सच है कि उनको विश्वास रहता है। मंत्री महोदय विभाग पर विश्वास करते हैं, यह भी सच है लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए और जवाब तलब करना चाहिए कि जो कानून बनाया जाता है, उसमें खामी क्यों रहती है? हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट क्या सो रहा था? क्या लॉ डिपार्टमेंट की सम्मति नहीं ली गई? क्या रूल्स फ्रेम नहीं किये गये? क्या अधिकारियों ने कानून की धाराओं को नहीं देखा, जिनके मुताबिक एक्ट लागू होगा और बजट में तारीख नोटीफाई की जायगी? मैं समझता हूं कि यह मामला साधारण दिख सकता है और साधारण तरीके से इसे ले सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस निकल गया और उसके मुताबिक विधान सभा में बिल पेश कर दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो आपने ऑब्ज़र्वेशन दिये हैं, उनके अनुसार मैं समझता हूँ कि जो खामियां रह जाती हैं, उनका वेलिडेशन, ऑर्डिनेन्स निकाल कर और हाउस के समक्ष बिल लाकर कर लिया जाता है और विधान सभा उस पर जरूर छाप लगायेगी, नहीं तो राजस्थान सरकार के समक्ष लाखों और करोड़ों रुपयों का सवाल खड़ा हो जायगा। क्योंकि सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भयंकर गलती की है, चार साल तक टैक्स वसूल करते रहे, जब कि कोई रूल्स नहीं थे, कोई

नियम नहीं थे, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी धांधली है। कहा करते हैं-

अन्धेर नगरी, अनबूझ राजा,
टका सेर भाजी, टका सेर खाजा।

उस राजा के बारे में सुना करते थे लेकिन ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदय के राज्य में अन्धेर ज्यादा है, पैसा वसूल करते हैं, जब कि नियम नहीं है, टैक्स वसूल हो रहा है, चालान हो रहे हैं, कुर्कियां हो रही हैं और चार साल के बाद में नींद खुलती है। लोग कहते हैं कि रावण का बेटा छः महीने सोया करता था लेकिन चार साल तक राज्य सरकार सोती रहती है, चार साल तक यह बात ध्यान में नहीं आई, उस समय भी ध्यान में नहीं आई जब रिट पिटीशन हो गई। उसके बाद, चार साल होने के बाद, राजस्थान के वित्त मन्त्री, राजस्थान का वित्त विभाग, लॉ डिपार्टमेंट देखता है कि टैक्स वसूल होता जा रहा है और रूल्स नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह गम्भीर मामला है और निवेदन करूंगा वित्त मन्त्री महोदय से, आपने ऑर्डिनेन्स क्यों निकाला, रिट पिटीशन कब दाखिल हुई? पुरानी विधान सभा के समक्ष कानून क्यों नहीं लिया गया? जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह गलती की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? उनसे क्या एक्सप्लेनेशन लिया गया? इसका स्पष्टीकरण वित्त मन्त्री महोदय करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बात दरअसल यह हुई कि जब रिट पिटीशन हुई, रिट पिटीशन होने के बाद बराबर यह सवाल ध्यान में रहा और जनरल क्लॉजेज एक्ट के मुताबिक यह ख्याल रहा डिपार्टमेंट को कि रिट पिटीशन में सरकार का पक्ष प्रबल होगा लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत हुआ, जब लॉ डिपार्टमेंट की राय इस किस्म की आई कि हो सकता है कि सरकार के खिलाफ भी फैसला हो जाय। क्योंकि १० नवम्बर को आखिरी तारीख थी रिट पिटीशन की, उसके पहले ऑर्डिनेन्स निकालना जरूरी हो गया, विधान सभा का अधिवेशन उन दिनों था नहीं, इसलिए ऑर्डिनेन्स निकाला गया। यह तो है फैक्ट। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकारी विभाग की ओर से जितनी सतर्कता इसमें रहनी चाहिए थी उतनी नहीं रही और सतर्कता न रहने का कारण यह है कि जनरल क्लॉजेज की धाराओं का अर्थ यह निकलता था, जिसके कारण यह ख्याल रहा कि रिट पिटीशन के बावजूद भी सरकार के पक्ष में फैसला हो सकता है। इसी बीच १० तारीख पड़ गई, जब आखिरी फैसला होने वाला है, तो यह आशंका थी कि कहीं सरकार के विरुद्ध फैसला न हो जाय और तीन साल में जो वसूली हुई, उसका नुकसान न हो जाय, इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी किया गया और अब विधान सभा का सेशन हो रहा है, इसलिए इसमें विधेयक पेश किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन कब आई कि इस प्रकार की गलती रह गई और अमेंडमेंट करना चाहिए?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तारीख तो मौजूद नहीं है कि किस तारीख को आई, लेट ध्यान आई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of clarification, Sir. अभी जिस समय माननीय मन्त्री महोदय ने यह बिल प्रस्तुत किया था, उस समय कई माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही और बताया कि राजस्थान सेल्स टैक्स रूल्स, राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट लागू होने के पहले लागू कर दिये गये, यह पोजीशन सही है? या यह पोजीशन है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा २६ (५) के अनुसार गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, और उसके पहले रूल्स लागू कर दिये गये थे। इन दोनों में कौन सी बात सही है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक्ट अमल में आया १ अप्रेल को और रूल्स २८ मार्च को लागू हो गये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है :—

"In a number of right petitions pending before the High Court the validity of the operation of the Rajasthan Sales Tax Rules, 1955 was challenged on the ground that due date was notified as contemplated by sub-section (5) of Section 26 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954.

राजस्थान सेल्स टैक्स रूल्स का राजस्थान में लागू करने के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होना चाहिये वह नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यह नोटिफिकेशन है, या उस एक्ट को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : एक्ट लागू हुआ था एक अप्रेल से। कानूनन तो ऐसा होना चाहिए था कि उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता तब रूल्स एनफोर्स करते लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे पहले ही पब्लिश करके लागू कर दिये। लीगली यह वेलिडेट नहीं है, इस प्रकार कोई भी चीज छप सकती हैं। इसके अलावा वित्त मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया है वह सही है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : एक अप्रेल को होने की वजह से एक्सक्यूजेबल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १९५९ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२.३९ म. प.

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श)

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक,

(श्री अध्यक्ष)
१९५८ पर खंडशः विचार। क्लॉज २।
श्री मोहनलाल भटनागर।

श्री मोहनलाल भटनागर(सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ पर मेरा संशोधन पार्ट २ पर इस तरह से है।

In the new clause(11B), the words "the minimum prescribed by the State Government for purpose of sub sec. 1 of Sec. 53;" be substituted by the words "3 acres of irrigated or 9 acres of unirrigated land".

[In part (iv) From the new clause (26A) the words "or holds a fragment" be detailed.]

माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्रेगमेन्ट का इसमें काफी ताल्लुक आयेगा बिल में आगे क्योंकि दो जगह इसका खास ताल्लुक पड़ेगा। एक है कि सीलिंग यदि फिक्स हो, उसके बाद होल्डर के पास फ्रेगमेन्ट रह जाता है तो उस होल्डर के पास रह जायगा। एक इस जगह सम्बन्ध आता है। दूसरी जगह सम्बन्ध वह है कि इस क्लॉज के मातहत (२६ए) में लैंडलेस की डेफिनेशन दी गई है, और होल्डर्स ए फ्रेगमेन्ट यानि जो फ्रेगमेन्ट होगा, जो निर्धारित जमीन होगी, उससे कम होगी या ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूट की जावेगी और दी जायगी। तो अब हमें देखना है कि राजस्थान के अन्दर और बड़े सारे हिन्दुस्तान में लैंड की कमी है और राजस्थान में कुछ रेगिस्तानी एरिया है, उसको छोड़ कर होल्डिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसा कि सीलिंग कमेटी ने भी बताया है :

जयपुर ११.४, सवाई माधोपुर ६.७, टौंक १०.४, झुन्झुनूं १४.० सीकर १४.० अलवर ८.० भरतपुर ६.४ और इसी तरह उदयपुर ५.६, भीलवाड़ा ५.६, चित्तौड़गढ ६.८, डूंगरपुर ४.६, बांसवाड़ा ६.०।

तो इस तरह देखते हैं तो डेज़र्ट एरिया को छोड़ कर दूसरी जगह की होल्डिंग का एरिया बहुत छोटा है इसलिये फ्रेगमेंट की दफा ५३ टिनेन्सी एक्ट को छोड़ देते हैं कि उससे कम का फ्रेगमेंट माना जाय तो बड़ी गड़बड़ी रहेगी। डिविज़न ऑफ होल्डिंग है :

Division of holding:—No holding shall be divided so as to result in holdings of less area than the minimum prescribed by the State Government for each district, or part of a district.

तो इसमें डिविज़न के बारे में है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया है कि इसके नीचे एरिया है तो फ्रेग्मेन्टेशन है। पहले ३० एकड़ किया था और बाद में जो आखिरी बार तय किया वह १५ एकड़ माना। फ्रेग्मेंट का १५ एकड़ मानते हैं तो सीलिंग का सारा पर्पज़ डिफीट हो जायगा। क्योंकि जो फ्रेग्मेंट को होल्ड करता है वह लैंडलेस टिनेन्ट माना जायगा तो १५ एकड़ से कम जमीन रखता है वह भी जमीन लेने का अधिकारी हो जायगा। जिस पर सीलिंग का लॉ एप्लाई हो रहा है उसके पास १५ एकड़ से कम है तो वह और जमीन लेने का अधिकारी हो जायगा। इस प्रकार यह जरूरी है कि इस एक्ट में फ्रेग्मेंट में कितना रकबा रखा जा सकता है इसको निश्चित कर दें। अगर गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहेंगे तो पहले काफी बदला है, इसलिये लॉ को

(श्री सोहनलाल भटनागर)

डेफिनेट करना आवश्यक है। मैंने संशोधन रखा है इसमें, ३ एकड़ इर्रिगेटेड है, ९ एकड़ अनइर्रिगेटेड है। डिविज़न का सवाल फ्रेग्मेंट से बिल्कुल भिन्न है। फ्रेग्मेंट का परपज़ हमारे यहां यह है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा भूमि नहीं देनी है जिनके पास पहले जमीनें हैं, और फ्रेग्मेंट के नाम पर वे और जमीनें ले लें। सीलिंग में जो जमीनें डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे लोग न ले सकें जिनके पास जमीनें हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है....

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन और है। श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेंसी सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल के क्लॉज २, पार्ट ४ पर लैंडलैस टिनेन्ट की डेफिनेशन ठीक नहीं दी है, इसलिए वह डेफिनेशन इस प्रकार बनाई जाय :

Part (iv) : The new clause (26A) be replaced by the following clause:-

"(26A) Landless person shall mean an agriculturist whose main profession is cultivation and who cultivates land personally but does not hold any land in his own name or in the name of any member of his joint family or holds less than the area specified in Section 42".

अध्यक्ष महोदय, इसकी मंशा यह है कि कई लोग अपने आपको लैंडलैस डिक्लेअर करवाने के लिये इन्द्राज करा लेते हैं, बाप के नाम जमीन होती है। बेटा अपने बाप के शामिल रहता है। और बेटे के नाम से अलग जमीन मांगने का मूव कर देता है और अपने आपको लैंडलैस टिनेन्ट घोषित करवा देता है, इसलिये इस अमेंडमेंट की मंशा यह है कि ऐसे व्यक्ति अपने आपको लैंडलैस टिनेन्ट घोषित न करवा दें, बाप बेटा शामिल रहते हैं, बाप के नाम से जमीन है, बेटे के पास नहीं है, तो वे जमीन लेने की कोशिश न करें। जिस वक्त लैंड का अलॉटमेंट किया जाता था तो लैंड अलॉटमेंट कमेटी के सामने ऐसी बात आ जाती थी कि बाप के नाम पर जमीन है, बेटे के नाम जमीन नहीं, बेटा काश्त का काम नहीं करता तो भी बेटे के नाम से जमीन मांग ली गई, उनकी दिलचस्पी काश्त में नहीं है, वे काश्त नहीं करते वे लोग भी इस प्रकार की लैंडलैस टिनेन्ट की परिभाषा रखने से अपने आपको लैंडलैस टिनेन्ट घोषित करवा लेंगे और जमीन लेने के लिये तैयार हो जायेंगे।

इसलिये मेरी यह मंशा है कि जिन लोगों का मेन प्रोफेशन काश्त करने का है, उन्हीं को जमीनें मिलनी चाहिये। मेरे इस अमेंडमेंट से इस क्लॉज की इस तरह की मंशा साफ हो जायेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जिस प्रकार की परिभाषा २६ ए में रखी गई है इससे सरकार के हाथों में ऐसे अधिकार दे रहे हैं कि सरकार किसी तरह इसको इस्तेमाल कर सकती है।

'Who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land...'

इसका क्या स्पष्टीकरण सरकार करेगी : 'Who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally' रीज़नेबली क्या ? आखिर सरकार को ज़मीन

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

किसी न किसी को देनी है तो फिर सरकार का इसमें पोलिटिकल मोटिव है। आज सरकार पार्टी की सरकार है, इसके कारण वह और किसी को ज़मीन नहीं बांटेगी। आज जितने विकास के काम हैं या और और काम हैं, जिनमें सरकार को अपना डिस्क्रिशन लगाना होता है तो सरकार अपने दल के, लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को प्राथमिकता देती है। तो इस प्रकार सरकार के अधिकारियों को देखना होगा कि कौन आदमी कल्टीवेट कर सकता है, इसमें भी रीज़नेबल शब्द और जोड़ दिया है। मैं काश्त करता हूं और रीज़नेबल शब्द मेरे साथ लग सकता है और इससे यह देखा जायगा कि मैं किस पार्टी का आदमी हूं। तो यह बिलकुल एम्बिग्युअस है। इससे सरकार के हाथ में इस प्रकार का हथियार दे दिया गया है कि सरकार इस हथियार का मनचाहे ढंग से दुरूपयोग कर सकती है। जुडिशियल अधिकारी के हाथ में यह अधिकार सरकार देने नहीं जा रही है कि उसके द्वारा किसी प्रकार की जांच की जायगी, गवाही ली जायगी कि इस ढंग का बना हुआ दिमाग है कि जिससे यह काश्त कर सकता है, इस प्रकार की कोई बात सरकार करना नहीं चाहती और सरकार इस प्रकार की परिभाषा रखती है तो यह उचित नहीं होगा।

इसलिये इस परिभाषा को री ड्राफ्ट करना चाहिए। एक तरफ़ तो कहा जाता है कि लोगों की हम उन्नति करना चाहते हैं, लोगों की उन्नति करेंगे, इकोनोमिक होल्डिंग्स होने चाहिए, अधिक ज़मीनें जिनके पास हैं उनसे जमीनें ले रहे हैं, क्योंकि वे उतनी ज़मीन को अच्छी तरह से काश्त नहीं कर सकते, आज राजस्थान में अधिकांश वे लोग मिलेंगे जिनके पास इकोनोमिक होल्डिंग्स नहीं हैं। तो इससे हम उन लोगों को मदद देना चाहते हैं जिनके पास कि जमीनें कम हैं, जिनके पास २० एकड़ ही है, २५ एकड़ ही है, हमने ३० एकड़ का स्टेन्डर्ड एकड़ माना है, किसी के पास ५ एकड़ है, किसी के पास १० एकड़ जमीन ही है लेकिन कन्सोलिडेशन ऑफ़ होल्डिंग्स के अन्तर्गत तो इस समस्या को कई वर्षों से सरकार हल नहीं कर पा रही है और यह समस्या कई वर्षों से चल रही है और इसका हल नहीं हो रहा है। जब इसके कारण समस्या का हल नहीं हो रहा है और हम सीलिंग लागू कर रहे हैं तो बची हुई जमीन को भी उन लोगों को दे दें जिनके पास कम ज़मीन हो। कम से कम हम उन लोगों को जिनके पास ज़मीन नही है उनको इतनी ज़मीन तो दें जिससे वे सम्मानपूर्वक अपनी जिन्दगी बिता सकें और रह सकें। मगर वह भी हम उनको नहीं देना चाहते। हम नये काश्तकार पैदा करना चाहते हैं। ये लोग जो नये काश्तकार बनेंगे क्या उनको सरकार ३० एकड़ स्टेन्डर्ड जमीन देगी। मैं समझता हूं कि यह नहीं होगा। उनको टुकड़ों में जमीन मिलेगी। यदि हम किसी को दो एकड़ भूमि देते हैं तो उसका भी काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि सरकार के हाथ में जो यह हथियार दिया जा रहा है उसको बदलना चाहिये। आगे जाकर मनमानी होगी और इस बात को देखते हुए हमें इस परिभाषा को ठीक करना चाहिए और बदलना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने इसकी परिभाषा के लिये कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो लैन्डलैस की परिभाषा रखी है उसमें यह रखा है कि 'Landless person' shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land whether in his own name or in the name of any member of his joint family or holds a fragment.' मगर हम जब देखते हैं तो यह बिल्कुल सीधी चीज नज़र आती है और लैंग्वेज है उसमें कोई खराबी नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम टिनेन्सी एक्ट को देखते हैं तो उसमें लैन्ड पर्सनली कल्टीवेटेड की डेफिनेशन है उसके अन्दर यह है कि 'Land cultivated personally, with all its grammatical variations and cognate expressions, shall mean and cultivated on one's own account, by one's own labour, or by the labour of any member of one's family, or by servants on wages payable in cash or in kind or by labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family or ones'....अगर उसके अनुसार एग्रीकल्चरिस्ट को मानते हैं तो उसमें हायर्ड लेबर भी आ जाती है। इसलिये हमको उस दृष्टिकोण से देखना है कि हमारी यह डेफिनेशन है। वह उस ढांचे में बैठती है या नहीं। जब हम सीलिंग को लेकर चलते हैं तो यह प्रश्न इसमें पैदा होता है कि राजस्थान में सीलिंग क्यों इम्पोज किया जाना चाहिये। वह इसलिये कि एक तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन वितरण कर दें और दूसरा इसलिये कि बहुत से लोगों के पास इतनी जमीन है कि वे उसका पर्सनल होल्डिंग्ज़ से या हायर्ड लेबर से भी मेक्सिमम, प्रडक्शन या ओपटिमम प्रोड्यूस उस लैन्ड से नहीं निकाल सकते। इसलिये हम उसको निकालना चाहते हैं। मेरा जो सीलिंग इम्पोज करने का आइडिया है और जब हम एक फेमिली का आइडिया लेकर चलते हैं तो जहां पर पांच व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिये यह एरिया होगा यह मेन सीलिंग का आइडिया होना चाहिये और मैं यह समझता हूं कि शायद यही उसका आइडिया है। लेकिन इस सीलिंग आइडिया में अगर हायर्ड लेबर को भी रखते हैं तो हम एक फेमिली के इकोनोमिक होल्डिंग में उसी सिस्टम को लागू करते हैं जो अभी तक है, जिसको हम कह सकते हैं कि that means labour will be exploited by another man...... मगर यह हमारा मकसद सही है। जब हम फेमिली होल्डिंग्ज की डेफिनेशन कायम करते हैं और उनको इतनी ही जमीन देते हैं जितनी उनको जरूरत है तो हायर्ड लेबर की कोई जरूरत नहीं रहती है क्योंकि आप उनको उतनी ही ज़मीन देते हैं जितनी उनके लिये जरूरत है। तो जो हम एग्रीगेरियन रिफोर्म करना चाहते हैं या जो हम समाजवाद का ढांचा लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे। उनमें इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि लोग सिटी में रहते हैं और लेबर को लगाकर काम कराते हैं। मगर वह आइडिया लैन्डलैस की डेफिनेशन में नहीं रहना चाहिये। इसलिये लैन्डलैस की डेफिनेशन में यह डिफाइन करना होगा कि पर्सनल मेनुअल लेबर करे और हायर्ड लेबर नहीं हो। अगर जरूरत हो तो हायर्ड लेबर

(श्री श्रीभानसिंह)

भी करें मगर पर्सनल मेनुअल लेबर उसकी अवश्य होनी चाहिये। अगर ऐसा होगा तभी तो सीलिंग से समाजवाद के सिद्धांतों की पूर्ति होती है परन्तु जब हम इन सिद्धान्तों को नहीं रखते और हायर्डलेबर को रखते हैं तो एग्रीगेरियन इकोनोमी उनकी है जो लैन्ड ओनर है और लैन्ड लैस लेबर से काम कराते हैं और उनकी सर्विसेज को खरीदते हैं। अगर हम फेमिली होल्डिंग्ज के आधार पर इसको कन्सीडर करते हैं तो जो सीलिंग हम इम्पोज करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी डेफिनेशन है उनको हमें चेन्ज करना होगा। लैन्डलैस टिनेन्ट की डेफिनेशन इतनी विस्तार से है कि डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट अगर उसकी व्याख्या करें तो लैन्ड लैस एक शहर में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और एक गांव में रहने वाला भी हो सकता है। एक गांव में रहने वाला भी लैन्डलैस है और शहर में रहने वाला भी लैन्डलैस है। हम यह चाहते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं और लैन्ड ओन करते हैं उसका प्रेशर कम हो जावे। मगर इससे ऐसा होगा नहीं। इससें अभी ६०%, ७०% है वह ८०%, ६०% हो जावेगा। हमारा मकसद यह है कि जो लेबरका काम करें और जो कुछ हो उसमें पर्सनल और मेनुअल लेबर करें उनको ही लैन्डलैस लिखना होगा। जिसकी आपने परिभाषा दी है उसके अनुसार ४ लाख या ५ लाख लैन्डलैस हैं मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार अगर देखें तो राजस्थान में ४ लाख भी लोग भी ऐसे नहीं रहेंगे। जिन्होंने अपनी ट्रान्सफर ओफ लैन्ड की हो। लोग शहर में रहते हैं और लैन्डलैस की परिभाषा में आते हैं लेकिन पर्सनली लैन्ड कल्टीवेट करते हैं और उनके यहां पर हायर्ड लेबर भी मौजूद है अगर। हम लॉ में किसी तरह से लूप होल रखते हैं, उन लोगों को लॉ का बेनिफिट मिलना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि लैन्डलैस की डेफिनेशन है उसको चेन्ज करना चाहिये और जो लोग अरबन एरिया में रहते हैं या हायर्ड लेबर से काम कराना चाहते हैं उनके लिये ऐसी बात डेफिनेशन में होनी चाहिये कि ये सब पर्सनल लेबर से करें, ऐसा लैन्डलैस की डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहिये।

१. म. प.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक अधिकतम सीमा लगाने के मूल उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जहां सामाजिक न्याय है उसके साथ साथ बेकारी को दूर करने और हमारी प्रोडक्शन को और हमारी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अधिकतम सीमा लागू करने का सिद्धान्त है। यदि यह किसी भी अधिनियम की धारा से पूरा नहीं होता तो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिये। प्रस्तुत खंड है उसके अनुसार जो एक लन्चर डेफिनेशन दी है जिसको किसी तरह से फैलाया जा सकता है, जिसको जिस तरह से चाहे उसी तरह से········

मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई कसौटी बनाई जाय कि कौन काश्त करने की क्षमता रख सकता है तो मेरा खयाल है कि कुछ भौतिक उपकरण होंगे। किसी के पास बैल है, किसी के पास हल हैं, उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वह काश्त करेगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री तनसिंह)

समस्या भूमि की अधिकतम सीमा लगाने से हल नहीं होती। आज हम देखते हैं कि शहरों में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है और सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकी, सरकार द्वारा अपना उत्तर-दायित्व पूर्ण न करने से, जो परिणाम हो वह उसको अपने ऊपर न लेकर सरकार उनके ऊपर डालना चाहती है जो आज राजस्थान के ही नहीं किन्तु भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। आज तक राजस्थान में विकास कर रहे थे लेकिन सीलिंग लगने के साथ ही हमारे आर्थिक विकास में इस परिभाषा से एक बाधा उत्पन्न होती है। इससे किन लोगों का विकास होगा, इस बात को आज देखने की आवश्यकता है। यदि उन लोगों के लिए यह दृष्टिकोण हो कि जो खेती तो करते हैं लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है। लेकिन वे लोग जो पढ़ लिख कर दफ्तरों में जाते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो बेकार हैं और सड़कों पर चक्कर काटते फिरते हैं, जिनको अपने जीवन यापन के लिए साधन नहीं मिलते तो वे निराश हो जाते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ऐसे अयोग्य और बेकार लोग शहरों में न रहकर गांवों में जायेंगे। इसका सरकार कोई नियमन नहीं कर सकी है और इसीलिए उसने उनके लिए यह एक मार्ग खोल दिया है कि जो व्यक्ति किसी प्रकार खेती में, चाहे इकोनोमिक हो या न हो, किसी प्रकार टिक सकता है वह वहां जाय।

अधिकतम सीमा निर्धारण का मूल उद्देश्य यह है कि गांव में जहां सामाजिक अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है उसको मिटाना। उनके साथ में न्याय करने का जो उद्देश्य है, उससे हम सहमत हो सकते हैं लेकिन इस डेफिनेशन के मुताबिक शहरों के लोग गांवों को बढ़ते जावेंगे। सामाजिक न्याय देने का जो नारा है वह इतना खोखला होगा कि इससे उसका कोई आवश्यक परिणाम निकलेगा नहीं और उल्टा यह होगा कि इससे गांवों में भी बेकारी बढ़ती जावेगी और राष्ट्रीय उपज में भी कमी आवेगी। यदि इस परिभाषा में संशोधन करते हैं और उन लोगों को ही लैंडलैस मानने का निश्चय करते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में आज तक काश्त करते आ रहे हैं, मजदूर या सब टिनेन्ट के रूप में काश्त करते आ रहे हैं, तो यह बात समझ में आ सकती है कि हमारा मूल उद्देश्य एक स्वस्थ उद्देश्य है। यदि इसको इतना ढीला बना देते हैं कि जितने यहां शहरों के बेकार लोग हों वे गांवों पर आगे जाकर बर्डन बन कर रहें तो सीलिंग लगाने के मूल उद्देश्य से हम अलग जा रहे हैं। सांचोर से आये माननीय सदस्य ने इसमें जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे तो कई कठिनाइयां और समस्याएं पैदा हुई हैं जिनका निश्चित समय पर ही विवेचन होगा। लेकिन यहां इस समय इतना ही निवेदन करना है कि हर एक परिभाषा का जब निश्चय करें तो उसकी गम्भीरता और इम्प्लीकेशन्स को देखकर ही करें। मैं इस सशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून में लैंडलैस पर्सन्स की जो परिभाषा दी जा रही है उस परिभाषा का मतलब इस कानून के बनाने के बाद जिन लोगों को फायदा हो सकेगा उन लोगों की क्या श्रेणी होगी ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): On a point of clarification. I wanted to know one thing from the Hon'ble Member Shri Tan Singhji whether his intention is that residence near the land should be necessary. Does he mean to suggest this ? From his speach, I could infer that this will promote migration of the population from cities to towns and villages. Does he mean to suggest that it is necessary for an agriculturist to reside within a certain area ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : No. No. Residence is not enough. This amendment is quite clear.

श्री दामोदरलाल व्यास : But the arguments advanced by you in this connection were quite different.

श्री भैरोंसिंह (जारी):इस परिभाषा के अनुसार हम यह तय करने वाले हैं कि इस कानून के बनने के बाद, जो भूमि सीलिंग निर्धारित करने के बाद सरकार के हाथ में आती है जो कि दूसरे लोगों को बांटने के लिए आती है वह किस प्रकार के लोगों में बांटी जावे ? हमें यह कहना चाहिए कि 'लैंडलैस पर्सन्स' की परिभाषा इस कानून का हृदय है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस जमीन को इस कानून के द्वारा लेने का प्रयत्न कर रहे हैं वह कुछ तो जो सरकार के कब्जे में रही है वह आवेगी और इस कानून के द्वारा ज़मीन आवेगी उन काश्तकारों के कब्जे से जिनके पास सीलिंग एरिया से अधिक जमीन होगी। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी से जमीन लेकर दूसरे आदमी को देना चाहते हैं। यह इसलिए कर रहे हैं कि एक आदमी अननेचुरली रिसोर्सेज का ज्यादा लाभ न उठा सके और इस तरह से उनको बांट दिया जावे कि सोशल जस्टिस के नाते जो व्यक्ति बेकार हों और जिनके पास भूमि न हो, तो उनमें यह बांट दिया जावे, वितरण कर दी जावे ताकि बेकारी दूर हो सके और जीवन यापन के साधन वे भली प्रकार से जुटा सकें।

अभी जो परिभाषा सरकार की ओर से की जा रही है वह परिभाषा स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करती है कि सरकार केवल उन आदमियों को जमीन नहीं देना चाहती है जो वास्तव में खेतिहर हैं, लेकिन जमीन पर उनका अधिकार न होने के कारण, एक सब-टिनेन्ट के तौर पर हैं। ऐसे खेतिहर हैं जो खेती का काम करते हैं, न तो उनके पास जमीन है न जोतने के लिए निश्चित योजना है। लेकिन सरकार ने जो शब्द जोड़े हैं जो आदमी " Who can reasonably be expected to cultivate land personally..."

यह परिभाषा सरकार इस प्रकार से बनाने जा रही है कि जिससे ऐसा लगता है कि सरकार की दृष्टि में वह व्यक्ति भी "एग्रीकल्चरिस्ट" माना जावे जो आज वास्तव में नहीं है। लेकिन किन्हीं सरकम्स्टान्सेज के नाते यदि उसको जमीन दे दी जावे तो वह जोत सकता है, खेती कर सकता है और पैदावार बढ़ा सकता है। यह एक सरकार का दृष्टिकोण है। जिन लोगों से उम्मीद की जा सकती है इस बात की, उम्मीद तो हर एक व्यक्ति से की जा सकती है, कोई शहर का रहने वाला है, खेती नहीं करता है, उससे भी उम्मीद की जा सकती है कि गंगानगर डिविज़न में उसको

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन दे दी जाये, तो वह खेती कर सकता है, ट्रेक्टर खरीद सकता है, इंजिन लगा सकता है। मशीनरी और इम्प्लीमेन्ट्स वह खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है और अच्छी प्रकार से खेती कर सकता है। सरकार के दृष्टिकोण में रीजनेबल एक्सपैक्टेशन्स होने चाहिए। उसमें मौजूद हैं, उसमें हैं तो जमीन का अलॉटमेंन्ट उसके नाम पर किया जा सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कानून का जो मूल मतलब है उसको खराब कर देंगे।

मतलब दरअसल यह है कि सोशल जस्टिस का मतलब ही यह है कि जिन लोगों के पास दूसरे प्रकार का धंधा नहीं है और जो केवल जमीन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन्हीं को जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन जब हम यह परिभाषा देते हैं तो उसमें यह सवाल नहीं है। इसमें तो सरकार की इच्छा है कि वह चाहे किसी भी आदमी को एग्रीकल्चरिस्ट मान सकती है, इस परिभाषा से किसी भी आदमी को एग्रीकल्चरिस्ट बनाने की बात हो सकती है। इस लिये जहां तक मैं सोच और समझ पाया हूँ वह यह कि हम इस परिभाषा में किसी आदमी को लाकर बैठा सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमें ऐसी परिभाषा रखनी चाहिये कि जिसमें पर्सनल लेबर का किसी प्रकार भी एक्सप्लोइटेशन न हो सके। जो जमीन पर पर्सनल मेनुअल लेबर करता है उसका जमीन पर अधिकार होना चाहिये। निश्चित तौर से जिनसे आप जमीन ले रहे हैं उनकी केवल मुआवजा लेने से इच्छापूर्ति नहीं हो सकती और न हमारा वह पर्पज़ हो पूरा हो सकता है जिस पर्पज़ के लिये हम जमीन लेना चाहते हैं।

जब सीलिंग हम लागू करने जा रहे हैं इसको सुनकर लाखों हरिजन जो दूर दूर गावों में रहते हैं, जिनके पास आजीविका के साधन नहीं हैं वे यह सोच रहे हैं कि अब तो सीलिंग लागू होने वाला है और हमें भी ज़मीन मिलने वाली है। और वे इस बात की ताक लगाये बैठे हैं कि अमुक गांव के अन्दर अमुक व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन है उसकी जमीन का बंटवारा होगा। लेकिन मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि जब यह कानून बन जायगा तो उन हरिजनों को जो आज आस लगाये बैठे हैं, जिनका एप्रोच सरकार तक नहीं है या जो पोलिटिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से एप्रोच नहीं कर सकते और जिस रूप में परिभाषा हमारे सामने आयी है, वह यदि किसी रूप में पास हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन लोगों को इसके लिये उम्मीद नहीं करनी चाहिये। आज आप पिछले चार पांच सालों के आंकड़े जमीन के बंटवारे के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिअल डिजर्विंग पर्सनल्स को जमीन न मिल करके उन लोगों को जमीन मिली है जिनके बाप दादाओं ने कभी खेती नहीं की और आगे भी जिनके बेटे पोतों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे भी आगे खेती कर सकेंगे, उन लोगों को जमीन दी गई है। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जो जमीन डिर्जव करते हैं उनको किसी भी प्रकार से जमीन नहीं मिल सकेगी। और कानून में जो यह परिभाषा रखी है उससे कम्पीटिशन होगा और उसको रीजनेबिली एग्जीक्यूट कर पायेंगे या नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

यह नहीं कह सकता। इसमें भी कई कन्सीडरेशन सामने आयेंगे। अभी अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्सनल मेनुअल की जो बात उठायी वह निश्चित रूप से सही है। इससे तो यह होगा कि हम किसी भी आदमी को जमीन दे सकते हैं जो स्वयं काश्त न करता हो वह किसी से भी मेनुअल लेबर लेकर उसका फायदा उठा सकता है। अगर आप यह सोचते हों कि राजस्थान में जमीन जोतने वाले लोगों की कमी है तो आप इस प्रकार की परिभाषा रख सकते हैं और वे पर्सनल मेनुअल लेबर को कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैसी हालत में इसमें एक दो धारायें बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार रिअल एग्रीकल्चरिस्ट का अभाव मालूम हो तो वे रीजनेबल तरीके से इसमें ला सकते हैं

जब सीलिंग का प्रश्न पैदा करते हैं तो हमारे सामने राजस्थान के उन लाखों लोगों का चित्र सामने आ जाता है जो जमीन के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं और जो वास्तव में एग्रीकल्चरिस्ट हैं और जमीन न होने के कारण बिना खेतीवाले मजदूर कहकर पुकारे जाते हैं। सरकार यदि इसी प्रकार की परिभाषा रखती है और लूप होल्स रखती है तो जिन लोगों को वास्तव में जमीन मिलनी चाहिये उनको न मिल सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय इस शर्त के साथ कि एग्रीकल्चारेस्ट की जो परिभाषा टिनेन्सी एक्ट में दी हुई है वह इस काम के लिये डिफेक्टिव रहती है। इस धारा के लिये एग्रीकलचरिस्ट की डेफिनेशन अलग से दी जानी चाहिये और वह इस तरह से रखी जाय की जो पर्सनल लेबर कन्ट्रीब्यूट करता हो उसी को जमीन मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य टिनेन्सी एक्ट में जो एग्रीकलचरिस्ट की परिभाषा दी हुई है उसको ठीक नहीं समझते।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि उनका यह सजेशन है कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन है उसमें वे और प्रावधान करवाना चाहते हैं मेनुअल लेबर का ?

Whether manual labour should be indispensable for evey man ?

श्री भानसिंह (बयाना) : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am asking from the Hon'ble Member not from you.

श्री भैरोसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं, इस सीलिंग पर्पज़ के लिये मेरा दृष्टिकोण है कि जमीन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाय जो लाजिमी तौर से पर्सनल लेबर मेनुअल करते हों इसके लिये एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा अलग से दी जा सकती है। इस खंड के अन्तर्गत जमीन केवल उसी को मिलेगी जो पर्सनल मेनुअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करता हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : Your answer has not come. I wanted to know his views.

श्री अध्यक्ष : वे चाहते हैं कि सीलिंग के लिये परिभाषा अलग हो और टिनेन्सी एक्ट में दूसरी हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या एग्जीस्टिंग परिभाषा को बदलवाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अगर राजस्व मंत्री महोदय, उसको बदलाना चाहे तो बदल सकते हैं किन्तु अगर उसको नहीं बदलते हैं तो इस स्थान पर तो वह बदल दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब यह है कि इसको बदल कर मेनुअल लेबर को कम्पलसरी रख दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसके द्वारा हम ज़मीन की सीमा का निर्धारण करना चाहते हैं। इसका मूल उद्देश्य हमने यह रखा है कि जो भूमिहीन किसान हैं और जो हल जोतने वाले लोग हैं, उन लोगों को जमीन मिल सके और उसके साथ साथ उन लोगों को जिनके पास आर्थिक जोत से कम भूमि है, उन लोगों को भी जमीन मिल सके ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। हमारे सीलिंग लाने के ये ही दो मुख्य उद्देश्य हैं।

इस संबन्ध में जो लैण्डलैस की व्याख्या की है वह स्पष्ट नहीं होती। इसमें यह पेचीदगियां बढ़ेंगी कि सीमा का निर्धारण करने के बाद उसका वितरण किस प्रकार से होगा। उस जमीन का हकदार कौन होगा, यह बात इससे स्पष्ट नहीं होती है। तब क्या होगा कि इतना जो महत्वपूर्ण कानून बनाने जा रहे हैं उससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हम देखते हैं कि अभी तो कानून बना ही नहीं है उससे पहले ही यह स्थिति हो गई है कि बहुत सारे लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। धन्धा तो वह दूसरा करते हैं, काम अलग करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ज़मीन ज्यादा हैं उनसे खरीद रहे है...और इस आशा पर खरीद रहे हैं कि जमीन अच्छी जगह है हम बैठे बैठे इससे आमदनी ले लेंगे, मजदूर रख कर खेती करवा लेंगे। आप पिछले चार पांच वर्षों के आकड़े देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर नहरी इलाकों में इस प्रकार की ज़मीनों की खरीद हो रही है। इन सारी बातों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कानून के अन्दर हमने लैण्डलैस की जो व्याख्या की है वह साफ नहीं है इसके अनुसार कोई भी जमीन ले सकता है, चाहे वह नौकरी करता हो या दुकानदारी करता हो। जिसके पास जमीन नहीं वह भी जमीन खरीद सकता है। लेकिन हम जो सीलिंग कायम करके यह चाहते हैं कि बची हुई जमीन उन लोगों को मिले जो वास्तव में जमीन जोतते हैं, गांव के पास रहते हैं। लेकिन जमीन के अभाव में दूसरों की जमीन पर मज़दूरी करते हैं ऐसे लोगों को जमीन मिल सके यही इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति को हमें बहुत कटोरता के साथ और दृढ़ता के साथ में लागू करना चाहिये ताकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वह पूरा हो सके और इसमें ज़रा सी भी ऐसी गुंजाइश न दें जिससे हमारा मूलभूत उद्देश्य नाकामयाब सिद्ध हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें लैन्ड लैस की व्याख्या बहुत स्पष्ट करनी चाहिये। चाहे महात्मा गांधी ने कहा हो, चाहे विनोबाजी कहते हों या कोई राजनैतिक पार्टी कहती हो, चाहे वह कांग्रेस हो या अन्य

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी पार्टी, उन सब के कहने का उद्देश्य एक ही है और वह यह कि जमीन किसकी, जो जोते उसकी। जो दूसरी प्रकार का श्रम करता है, नौकरी करता है, व्यापार या धन्धा करता है, वह जमीन का मालिक नहीं हो सकता। महात्मा गांधी और विनोबाजी का मूल सिद्धान्त है जमीन जो जमीन जोतता है उसकी है और हम भी चाहते हैं कि जमीन जोतने वाले को हो मिले और वही जमीन का सच्चा हकदार बने। तो हमारा जो सीलिंग के पीछे मकसद है वह इस कानून को देखते हुए पूरा नहीं होता। हम देश में लोगों को काम देना चाहते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, पर काम आप इसके विपरीत करने जा रहे हैं। एक काम करने वाला दूसरे काम पर भी हावी होने जा रहा है और दूसरे की मेहनत को एक्सप्लोइट करना चाहता है। मजदूरों का शोषण करना चाहता है। इधर भी आमदनी करना चाहता है, उधर जमीन लेकर मजदूरों से मजदूरी कराकर उनका शोषण करके उधर भी आमदनी करना चाहता है। अगर इस व्यवस्था को आप नहीं बदलेंगे तो बेकारी की समस्या हल नहीं होगी, और प्रोडक्शन भी नहीं बढेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा जब कि कुछ लोग बेकार बैठकर दूसरों से काम कराकर आमदनी करना चाहते हैं। उनका बैठे हुओं का श्रम बेकार जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं।

तो इसलिये हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है कि मुल्क का उत्पादन बढ़े, लोगों को काम मिले और सामाजिक न्याय सबको दिला सकें। सामाजिक न्याय क्या है? यह है कि एक आदमी दुकानदारी करता हो, उसका पेशा दुकानदारी हो पर किसी तरह अच्छी जगह एक जमीन ले ली अपने को लैन्डलैस बता कर। वह इधर भी कमावे और उधर भी कमावे और जो केवल खेती पर निर्भर हैं उनको बेकार कर दें। यह सामाजिक न्याय नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिये सामाजिक क्रान्ति हम करना चाहते हैं। तो इसका रूप वाकई क्रान्तिकारी होना चाहिये। इसके पीछे जो मूल बात है, मूल उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होनी चाहिये।

अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि यह लैन्डलैस बिल जैसा रक्खा गया है उसका दुरुपयोग होगा। हर क्षेत्र में इसका दुरुपयोग होगा। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूँ कि जो राजनैतिक दृष्टि से काम करते हैं वे इसे ज्यादा समझते हैं। समझते हैं चलो इस प्रकार के मौके आ रहे हैं, ठीक बात है। जो अपने मिलने वाले लैन्डलैस हैं उनको भी दिला देंगे। और होता अक्सर यही है। चाहे सत्ताधारी पक्ष को ही हो। लोग किसी तरह इन कामों के लिये सत्ताधारी गुट्ट से सम्बन्ध बढ़ा लेते हैं और इसलिये बढ़ा लेते हैं कि उस जमीन को किसी प्रकार से उसको कोई न कोई लोभ या लाभ देकर हासिल कर ले। ऐसे लोग पत्रकार हो सकते हैं, दूसरे तरह के दुकानदार हो सकते हैं। तीसरे तरीके और कोई हो सकते हैं। जिन्होंने इस प्रकार से जमीनें ली हैं और सत्ताधारी लोगों ने राजनैतिक दृष्टि से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये अपना स्वार्थ साधने के लिये या अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिये दी है। और यह तरीका आज तक जारी है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अगर आप इसको सही मायने में बदलना चाहते हैं तो फिर कानून को सही तरीके से बनाइये। नहीं बदलना चाहते हैं और जारी ही रखना चाहते हैं तो हैं तो सत्ताधारी पक्ष इसको इस प्रकार से रखना चाहता है कि इसमें कुछ ढोल और गोलमाल बना रहे जिससे हम आगे जाकर हमारे जो राजनैतिक पीड़ित लोग हैं उनको फायदा पहुंचा सकें। आज कल बहुत से राजनैतिक पीड़ित हो गये हैं। सत्ताधारी दल सोचता है कि उनको फायदा पहुँचाते हैं तो वे हमारे लिये काम करते हैं, अपना कोई धन्धा नहीं करते, हमारे काम के पीछे बेरोज़गार हैं तो उनको कुछ तो कराना ही है। इस प्रकार से उनको जमीनें दे दी जाती हैं। उनको कहते हैं तुम बेटो हमारे लिये पत्र निकालो, हमारे राजनैतिक काम करो, हमारी खबरें छापो और इसके बदले में ये जमीनें लो। इनको दूसरों से जुतवाओ। उनकी मेहनत को एक्सप्लोइट करो। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हो रही हैं, हो चुकी हैं।

अगर इस 'लैन्ड लैस' की व्याख्या में आप इसका उल्लेख स्पष्ट नहीं करते कि जो गांव में जमीन जोतता है दूसरों की उसको पहले बची जमीन मिलेगी दूसरों को नहीं मिलेगी। आर्थिक जोत से कम जिसके पास है उसको थोड़ा देकर उसकी आर्थिक जोत करेंगे। अगर इस उद्देश्य से हम जमीन देंगे तभी हमारा मूल उद्देश्य पूरा होगा। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें इन सारी बातों पर विचार करने के बाद लिखी हैं, उसकी चार लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ :

"It is obvious, therefore, that there is urgent and pressing need for the imposing of ceilings on holdings of agricultural lands in Rajasthan, so that land may be available for distribution amongst landless tenants or tenants of un-economic holdings."

उन्होंने भी इसी चीज़ को सामने रख कर दो चीज़ों की पूर्ति की बात कही है इसलिये जरूरी है कि दोनों चीज़ों की पूर्ति हो सके।

अगर आप इस व्याख्या को ढीला रख देते हैं तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। आपका सारा कथन कि हमने क्रान्ति की है व्यर्थ होगा। इसलिये मैंने जो संशोधन रक्खा है, मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय इसके महत्व को समझेंगे और इसको इतना मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे कि जिस पर्पज़ को लेकर सीलिंग करना वे चाहते हैं वह पूरा हो सके। इस बात को लेकर मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस लैंड लैस पर्सन की डेफिनेशन को लेकर एक अमेन्डमेन्ट क्लॉज दिया है और इस अमेन्डमेन्ट के समर्थन में जो भाषण दिया है उससे जाहिर होता है कि उन लोगों ने, जो क्लॉज रक्खा है उसका मिसयूज़ सरकार कर रही है या कर सकती है, इसको उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। पर यह जो अमेन्डमेन्ट आया है वह स्वयं सही है या गलत है, इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है। मैं सिर्फ इतना

(श्री पी० के० चौधरी)

ही कहना चाहता हूं कि यह जो क्लॉज है बिल में ठीक ही है और जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है, मैं समझता हूं इसमें कॉन्स्टि-ट्यूशनल डिफीकल्टी है। वह यह है कि आर्टिकल १९ में क्लॉज एफ है कि All citizens shall have the right to acquire hold and dispose of property,

to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or businesses.

अब इन्डाइरेक्टली आप जिस तरह लैंड-लैस एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन देना चाहते हैं उसका मतलब तो यह हो जाता है कि हैरिडिटरी जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वे ही उसके हकदार होंगे। हम इसे हैरिडिटरी क्लॉज बनाने के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते— that by birth a man's destiny in the society should be fixed. यह तो हम नहीं चाहते। सोशलिज्म भी नहीं कहता कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण रहे, या स्पीकर महोदय का लड़का स्पीकर रहे, यह तो नहीं चाहते। राजा का लड़का राजा बना रहे, हम यह नहीं चाहते, हम यह भी नहीं चाहते कि एम. एल. ए. का लड़का एम. एल. ए. हो, मिनिस्टर का लड़का मिनिस्टर बने, यह हम नहीं चाहते और जब यह नहीं चाहते तो क्यों हम यह करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट का लड़का उसके घर में जन्म लेने वाले life long should remain agriculturist और जिन्होंने एग्री-कल्चरिस्ट के घर में जन्म नहीं लिया बारबर है, कारपेन्टर है, वह एग्रीकल्चरिस्ट कभी नहीं हो सकता। इस अमेन्डमेन्ट की मंशा तो यह है कि जो गांव में पहले जागीरदार था या जिन के पास ज़मीन है उसके सिवाय दूसरा कोई नापित हो, कारपेन्टर हो, या कोई मोची हो। हरिजन हो किसी को यह जमीन देने का अधिकार सरकार को नहीं रहेगा। इस अमेन्डमेन्ट का मतलब तो यह होगा। क्रान्ति की जो बातें इसके द्वारा करते हैं उसको मैं समझता हूं इसमें क्रान्ति से अनर्थ ज़्यादा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : डेफि-नेशन यह नहीं है कि हरिजन का लड़का ही करेगा।

श्री पी० के० चौधरी : मेन प्रोफेशन नापित हैं, धोबी हैं, गांव में और कई तरह के लोग हैं उनका मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं है। तो इस डेफिनेशन के आज आप आवेश में आकर भाषण के दौरान में वह जावें और अमेन्डमेन्ट को मन्जूर कर लें तो मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिये सीलिंग ला रहे हैं उसको सबोटेज करेंगे। आपका मकसद पूरा नहीं होगा। माइन्यूटली विचार करके देखना चाहिये। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है। इसको देखना चाहिये। एग्रीकल्चरिस्ट कोई हैरिडिटरी नहीं है तो क्या उस गांव में आप ज़मीन देना नही चाहेंगे? फिर दूसरा पहलू भी है। अगर आप इधर इस बात को लागू करते हैं तो फिर क्या जो बारबर नहीं बन सकता, आज सारे ब्राह्मण जूते की दुकानें करते हैं। बाटा की दुकानों के मैनेजर अधिकतर ब्राह्मण पुरोहित मिलेंगे। कई कौमों के मिलेंगे। वहां तो फिर आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि बाटा की दुकान का मैनेजर शिड्युल्ड कास्ट के मोची के सिवाय और दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह की रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट का

(श्री पी० के० चौधरी)

लड़का नहीं है उसको जमीन न दी जाय। इस सूरत में मैं इस अमेन्डमेन्ट को मिसची-वियस समझता हूं। इसके जरिये से आवेश में आकर सोशलिज़्म का नारा लगाते हैं और इस आवेश में बह जाते है। पर इसके क्या इम्प्लीकेशन्स हैं यह नहीं देखते। इसको मन्जूर अगर करेंगे तो इसकी मंशा यह होगी कि आगे जाकर गांव में किसी के भी जिसका काश्त मेन पेशा नहीं है वे काश्त नहीं कर सकेंगे, जिन हरिजनों को जमीन देने का नारा बुलन्द करते हैं उनको जमीन नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट है....

श्री चन्दनमल वैद्य (सरदार शहर) : Mr. Chaudhary, the amendment is more in your favour than the clause itself.

श्री पी० के० चौधरी : हमारी फेवर का सवाल नहीं है। तो जो अमेन्डमेन्ट है मैं समझता हूं कि उस अमेन्डमेन्ट को उस दृष्टि से देखकर फिर उसके ऊपर राय देनी चाहिए। कोई आवेश में आकर 'मेन प्रोफ़ेशन ऑफ़ एग्रीकल्चर' मान लें और उसके बाद में जमीन देवें, तो जिस परपज़ के लिए सीलिंग ला रहे हैं और लैण्डलैस को ज़मीन देना चाहते हैं, इस क्लॉज़ को एडॉप्ट करने के बाद में हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। यह बात ज़रूर है कि गवर्नमेन्ट के फेवर का आदमी हो तो उसको ज़मीन लेकर गंगानगर में दे दें लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं होगा। लेकिन उससे हमारा ऑब्जेक्ट भी पूरा होगा या नहीं, मैं तो कहता हूं कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा। जो आर्टीकल १९ है उसमें right of any person to carry on any profession. उसमें दिया हुआ है। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन्स वहां पर लगा सकते हैं when it is in the interests of the general public...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): It does not affect...

श्री पी० के० चौधरी : It affects Indirectly. Government will refuse to allot to person in village who is willing to have agriculture even on compensation आप उसको रिफ्यूज़ करेंगे क्योंकि उसका मेन वर्क एग्रीकल्चररिस्ट का नहीं है। indirectly you are violating the provisions of Constitution. जिसको वॉइलेट करने का या उसके प्रोविज़न पर रेस्ट्रिक्शन का अधिकार आपको जब दिया जाता है when it is in the general interest of the society.

लेकिन जब जनरल इन्टरेस्ट ऑफ़ दी सोसाइटी नहीं समझते हैं, मैं तो उसी को जनरल इन्टरेस्ट समझता हूं कि जो गांव के आदमी हैं, मोची हैं, कुम्हार हैं या जो जो अनएम्पलॉइड हैं उनको आप ज़मीन दें

१.३२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो किसी मिनिस्टर या एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के रिलेटिव को ज़मीन दे दें तो ऐसे कानून हम कहीं न बना दें कि जो हमारा मकसद है वह डिफ़ीट हो जाये। मैं तो चाहता हूं कि यह

Page No.55

(श्री पी० के० चौधरी)

क्लॉज जैसा है वैसा रहना चाहिए और उसी का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने क्लॉज २ के न्यू क्लॉज (२६ए) में जो संशोधन साँचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे से अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे मैं उनकी भावना पर आघात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उनके भाषण में जिस प्रकार की ध्वनि लग रही थी वह, यह हो सकता है कि उन्होंने विधान के प्रति अपना ज्यादा लगाव दिखाया हो लेकिन उस विधान की जो कुछ भावना है, उसकी गहराई में जाने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यहां बोलकर अखबारों में जो कुछ छप जाये उससे हरिजन भाइयों पर....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि प्रेस को अपील करने वाली भावनाओं को आप व्यक्त न करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह निवेदन कर रहा था....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : राम राज्य का गठबन्धन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हो सकता है उससे कुछ लोग जो यहां पर सुनने वाले बैठे हैं उन पर असर पड़ जाये ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा—we are not going to appeal to the gallery.

श्री दयाकृष्ण विजय : I am not apqealing to the gallery. I only suggested...

श्री उपाध्यक्ष : I treat it as appealing to the gallery.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी भावना उसके पीछे रही है, जो कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है वह कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करने की दृष्टि से कहा है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी डेफिनेशन लैण्डलैस टिनेन्ट की होनी चाहिए और यहां पर यह परिभाषा क्यों दी गई है? यदि हम इसके इतिहास की पृष्ठभूमि में जायें और इन सारी बातों पर बहुत गहराई से विचार करें तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर हमें सीलिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी। सीलिंग करने की आवश्यकता तब हुई जब अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने किसानों से अपना लगान वसूल करने के लिए कुछ जमींदार बीच में बना दिए। कुछ लोगों को जागीरदारी दे दी और उन्होंने अपने प्रभाव के कारण उन काश्तकारों से जो कि वास्तविक टिनेन्ट थे उन लोगों की जमीन को उनकी गरीबी का लाभ उठाकर अपने कब्जे में कर ली। वास्तव में जमींदारों का काम जमीन रखना नहीं था बल्कि उनका काम केवल किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेजी हकूमत को देना था। लेकिन धीरे धीरे चलकर जमींदारों के पास इतनी जमीन एकत्रित हो गई कि समाज के अन्दर एक विषमता पैदा हो गई। उन्होंने इतनी जमीन इकट्ठी कर ली

Page No.56

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कि जो गांवों में किसान थे जिनका वास्तव में जमीन के ऊपर मालिकाना हक था वह हाली बन गए, मजदूर बन गए और जो केवल सरकारी अधिकारी मात्र थे वह भूस्वामि बन गए। अब जमीन ऐसे भू-स्वामियों से वापिस लेकर उन काश्तकारों को दी जाये जो कि भूमिहीन हैं. और इसी आशय का एक कानून यहां पर विधान सभा में बना रहे हैं और उसका मकसद यह है कि वह विषमता जो अंग्रेजी काल की देन है उसको दूर करें और समाज में समता का वातावरण पैदा करें। मेरे पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा वह प्रेस या गैलेरी को प्रभावित करने की दृष्टि से कहा। लेकिन उस विधान की भावनाओं को हम यहां पर लागू नहीं कर सकते बल्कि हमें उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भावना से हम बिल लाये हैं। इसका मकसद यह था कि राजस्थान के अन्दर करोड़ों की सख्या में ऐसे लोग हैं जो हाली का काम करते हैं, एक जेली का काम करते हैं और अपने पेट का निर्वाह करते है। उस जमीन को जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, जो सर्दी की कंपकपाहट को नहीं देखते, जो गर्मी की तपतपाहट को नहीं देखते, जो वर्षा की बौछारों को नहीं देखते और हम सब के लिए सोना पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, आज उनको उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं हैं। यह वास्तव में हमारे सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे राजस्थान के लोग जो हमारा पेट भरने के लिए सुनहरी खेतों में बालें पैदा करते हैं, बाजरा पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, उनके पास आज मालिकाना हक जाना चाहिए। इसलिए हमने सीलिंग किया है न कि केवल किसी हरिजन भाई को दे दी जाये या ब्राह्मण को दे दी जाये जैसेकि किसी मिनिस्टर साहब के सावले को गुड़ाबांध में जमीन दे दी, किशनगंज में किसी मिनिस्टर की पत्नी के नाम जमीन है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह ठीक होगा कि इस संबंध में आप खामखां इधर उधर का संकेत कर रहे हैं ? This is not relevant. We are transgressing the traditions.

श्री चन्दनमल वैद : (सरदार शहर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बुरी बात है कि किसी मिनिस्टर के साले के पास जमीन है या पत्नी के पास है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो पेश करना चाहिये। अगर नहीं, तो यह वास्तव में हम लोगों का अपमान है........

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर प्लीज। यहां अभी प्रमाण पेश करने का प्रश्न नहीं है। ऐसा रेफरेन्स यहां नहीं दिया जाये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): प्रमाण प्रस्तुत करने का जबरदस्त प्रश्न है। The Hon'ble. Member has already said this thing and I would like to know who is the Hon'ble Minister concerned. I think it is within the competence of the House that any charges levelled by any Hon'ble Member should be localised.

श्री उपाध्यक्ष : I have discouraged the observations and therefore, I do not like any further debate.

श्री श्रीभानसिंह: In that case, if your honour has discouraged this thing, but as he has already made his

Page No.57

(श्री श्रीमानसिंह)

observation, then it should be ordered to be expunged.

एक माननीय सदस्य : If the remaks are facts, than they should not be expunged but we should have them clarified.

श्री उपाध्यक्ष : My observation is as the reference was not partaining to any Hon'ble Minister present in the Cabinet, as such I cannot take cognizance of it.

श्री श्रीमानसिंह: The Ministers are already defined in our Rules of Procedure. They include Cabinet Ministers as well as Deputy Ministers and the number of our Ministers is very limited, and when the Honble Member says that a Minister had land alloted to his wife. कि मिनिस्टर साहब ने अपने रिश्तेदार को गुढबांध में जमीन दी है, अपने साले को जमीन दी है....

श्री उपाध्यक्ष : This repetition would again be damaging the question क्योंकि मैंने इस शिकायत का किसी मिनिस्टर से इसका सम्बन्ध नहीं पाया है इसलिए मैं इस पर कोई व्यवस्था आगे की नहीं देना चाहता।

श्री श्रीमानसिंह : आगे के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। He has passed a sweeping remark against the hon'ble Ministers and he must either substantiate his remark by localsing it or it must be expunged if your honour wants to set healthy traditions in the House.

श्री उपाध्यक्ष : The remarks were ambiguous. We should proceed with debate.

श्री श्रीमानसिंह : I press, Sir, that the Hon'ble. Member must be asked to withdraw his remarks if he is not able to substantiate them.

श्री उपाध्यक्ष : I have disallowed the observations of the hon'ble Member. For the present it will be suffi ient that I have discouraged the observation and that will service the purpose of the House,

श्री मानसिंह : But the Hon'ble member has already made his observation in the House.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : The wife may be agriculturist, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : My observations will be sufficient for the purpose.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार केवल विधान की दुहाई देकर यह कहा जाय कि हरएक जाति के व्यक्ति को, हरएक व्यक्ति को हर प्रोफेशन करने का अधिकार है, मैं इससे किसी प्रकार की आपत्ति नहींकरता, लेकिन इसे भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? इस बात की दृष्टि से उसकी ओर दृष्टिपात अवश्य करना पड़ेगा। जैसाकि अभी कहा गया, मैं उस बात की ओर नहीं जाना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में कुछ ऐसे लोगों का निर्माण हो गया जिनके पास अधिक जमीन हो गई, और जो वास्तव में कल्टीवेटर्स थे, अपने श्रम को बहाकर खेती करने वाले लोग थे वे भूमिहीन हो गये, उन भूमि हीनों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जमीन मिले, इस मकसद से हमने एक सीमा तय की। जिन लोगों के पास जमीन अधिक हैं उन लोगों से जमीन ली जाय और जो लोग वास्तव में कल्टीवेटर्स हैं, काश्तकार हैं, भूमि पर श्रम करने वाले लोग हैं उनको ही जमीन मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से यहां पर यह सारा विधेयक लाया गया है, और उसी उद्देश्य की दृष्टि से यहां पर सारा वादविवाद हो रहा है। भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा यहां पर दी गई है। उस पर जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बहुत ही दोषपूर्ण है। इसमें कई ऐसी खामियां हैं कि जिससे हरेक व्यक्ति जो शक्ति रखता है वह उसकी परिभाषा में आ जाता है। "Can reasonably be expected to cultivate land" हर आदमी में इतनी शक्ति होती है कि वह हल की मूठ पकड़ सकता है, अगर हल की मूठ जो पकड़ सकता है वह काश्तकारी कर सकता है। मैं नहीं कह सकता कि विधान सभा में बैठते हुए या वकालत करते हुए कल मैं कहूँगा कि मैं भी हल चला सकता हूँ तो जमीन देने से आप मुझे इन्कार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा जमीन लेना न्यायोचित नहीं है, नैतिक नहीं है। दूसरा धन्धा करते हुए, दूसरी जगह आजीविका चलाते हुए मुझे खेती के लिए जमीन मिलनी चाहिए। वह अधिकार लूंगा और संविधान ने अपनी धारा १९ में या अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति हर प्रोफेशन कर सकता है। कोई भी इस प्रकार की बात से मना नहीं कर सकता है, यह ठीक है कि राज्य को अधिकार है कि वह बेकार आदमी को काम दे, क्योंकि बेकार हाथ रहेंगे तो तूफान खड़े हो सकते हैं। उनसे इन्कलाब और क्रान्ति पैदा हो सकती है। संविधान क्या कहेगा, हर राजनैतिक कहेगा कि हर आदमी को काम देना चाहिए ताकि वह सत्ता के खिलाफ बगावत करने को तैयार नहीं हों। लेकिन जो भूमिहीन, लैण्डलैस लोग हैं, उन लोगों को भूमि पर किस प्रकार से बसाया जाय उसके लिए आवश्यकता है कि हमारी परिभाषा स्पष्ट हों, विस्तृत हो। उसके अन्दर केवल वे ही व्यक्ति आयें जो कि वास्तव में भूमिहीन हों और जो हाली के नाते भूमि पर काम करते हों, जो जेली के नाते भूमि पर काम करते हो, और तीसरे जमीन के पांतिदार के नाते काम करते हों। ये तीनों ही श्रेणियां नज़र आती हैं। इन तीनों ही श्रेणियों को प्राथमिकता मिले भूमि वितरण के समय-इस प्रकार से स्पष्ट परिभाषा जब तक नहीं होगी तब तक यह सारा कानून और परिभाषा दोषपूर्ण और अपूर्ण होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो शब्द रखे गये हैं "Can reasonably be expected to cultivate land......" वह मैं हटाना चाहता हूँ और जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें इस प्रकार की बात नहीं है। जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है 'Landless person shall mean an agriculturist whose main profession is cultivation and who cultivates land personally" उसमें यह और भी बढ़ाया जा सकता है जैसा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक्सप्लेन किया है कि अपने खुद के श्रम से करता है—"by his own labour."

यह बढ़ाया जा सकता है और 'does not hold any land in his name' यह इस प्रकार की इतनी स्पष्ट परिभाषा है कि किसी को इस पर किसी प्रकार का आक्षेप करने को जमीन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं मिलने का कारण नहीं हो सकता है, बल्कि प्रमुखता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जिनके पास भूमि नहीं है। कहीं ऐसी बात नहीं आजाती है कि इससे जातिवाद पनपेगा। एक जाति में जन्म लेने से किसी का अधिकार नहीं होता है। यह हम मानते हैं कि जन्म से जाति नहीं है। हमारे यहां भी कर्म से जाति मानी गई है. कर्म के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन कुछ रूढ़ परिणाम ऐसे दिखाई देते हैं कुछ कारणों से, उन रूढ़ परिणामों के अन्दर चले जाते कि ब्राह्मण जाति में पैदा हुए तो ब्राह्मण कहलाने लगा, वैश्य जाति में पैदा हुए तो अपने आपको वह वैश्य कहने लगा, क्षत्रीय जाति में पैदा हुआ तो अपने आपको क्षत्रीय कहने लगा, और वे शूद्र जाति में पैदा होने वाले लोगों से सेवा लेने का अपना अधिकार समझने लगे। आज कोई भी ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रीय हो, इस प्रकार की चीज को भुलाकर उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करें, यह अलग सी बात है। लेकिन जहां पर जमीन देने का प्रश्न है, उनको भूमी का मालिकाना हक देने का प्रश्न है, जहां ऐसी सामाजिक समस्याओं में विषमता को मिटाकर समता का वातावरण पैदा करना है, वहां इस बात की दुहाई नहीं दी जा सकती है। यह सुनने में बहुत अच्छी बात लगे, लेकिन वास्तव में समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस संबंध में समस्या का समाधान किस प्रकार से निकालें, उस बात की ओर ध्यान देगें तो निश्चित रूप से मालुम पड़ेगा कि यहां पर जो परिभाषा दी गई है इसके अन्दर यह अत्यन्त दोषपूर्ण है, बहुत ही अपूर्ण है। इस को यहां से हटाना चाहिए, और जो संशोधन सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत ही व्यवहारिक है, और इस के अन्दर थोड़ा सा और परसन्स के बाद by his own manual labour बढ़ाये जांय तो बहुत ही स्पष्ट बात रहेगी, और किसी प्रकार का उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो वास्तव में भूमिहीन हैं उनको निश्चित रूप से जमीन मिलेगी। मैं इस कथन के साथ इस बात को प्रतिपादित करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी छोटी सी बात थी कि हम लोग इस विधेयक पर जब सोच रहे थे तब हमारी दृष्टि में यह था कि कि हम समाज के अन्दर नये मूल्यों को कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज समाज के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को नहीं लेना चाहते हैं। उनको बदलने का हमारा उद्देश्य है, और हम यह चाहते हैं कि साफ़ रूप से समाज के अन्दर समाजवादी ढांचे की बात को लेकर चलते हैं और जगह जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना चाहते हैं, तो हम यह चाहते हैं कि जिनके हाथ में ज़मीन है या जिनके हाथ में सांचे या मशीन हैं उनके मालिक वही हों। आज बात क्या है कि लोग पूंजीवाद की ओर इशारा करते हैं, और पूंजीवाद की बात को बदलना चाहते हैं, और जिनके हाथ में मशीन, यह मिल है हम चाहते हैं कि मिल के सांचे मज़दूर के हाथ में आयें और मिल का मालिक वही हो.......

राजा श्री मानसिंह (बैर) : It is not clear whether the Hon'ble Member is speaking for the Congress party or...

श्री उपाध्यक्ष : I feel that he is coming near the point.

राजा श्री मानसिंह : Whether he is speaking on behalf of the Congress party or individually for himself.

श्री शोभानसिंह (बयाना) : You don't expect him to speak for the Swatantra party.

(हंसी)

राजा श्री मानसिंह : What the Hon'ble Member is saying should be clear.

श्री उपाध्यक्ष : Please speak on the amendment only.

श्री मूलचन्द डागा : मेरे ख्याल से मैं उसी ओर संकेत कर रहा था और आप समझ सकते तो इस बात को कह रहा था कि हम चाहते हैं कि जो मिल में सांचे पर काम करता है वह मिल का मज़दूर मिल का मालिक बन जाय।

इस प्रकार से मैं यह नहीं चाहता कि कुछ लोग घरों में बैठे रहें या बाजार में काम करें या और कुछ काम करें और उनकी जमीन दूसरे जोतें और वह उनका शोषण करें। मैं चाहता हूँ उस चीज़ को जिसमें शोषण नहीं है और वह तभी होगा जब कि जमीन उनकी होगी जो जोतते हैं। उनकी नहीं जिनके घर में बिना मेहनत के मनों अनाज आ जाता है और वे आराम से पोलटीकल पार्टीज में खेल खेलते हैं। हम यह नहीं चाहते कि वे लोग तो राजनैतिक पहलवानी करें और उनके लिये हमारे मज़दूर जमीन जोतें और जमीन पर काम करें। विनोबाजी का यह पैगाम है कि जमीन उनकी है जो जमीन को बोये या जोते। हम इस पैगाम को दर गुजर नहीं कर सकते। जो लोग राजनैतिक अखाड़े में कुश्ती लड़ना जानते हैं उन लोगों के आधार पर जो उस धरती पर काम करता है जो धन उगलती है उनका शोषण करके उस धन को अपने घर में डालते हैं उनको पनाह देना सीलिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। हम उस मूल्य को कायम नहीं रखना चाहते जो पुराना है। हम उस प्रकार के आर्थिक ढांचे में बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं। १६५३ में सीलिंग के बारे में कार्यवाही शुरू करते हैं और ६ साल बाद आज उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं और उसके लिये रीज़नेबल परिभाषा बनाना चाहते हैं जिससे शोषण कायम रखा जा सके। जिसके पास पैसा है वह नहरी जमीन लेकर काश्त करावे या अच्छी जमीन लेकर काश्त करावे और वे मजदूर जो परिस्थिति के कारण कमजोर हो गये है, उनके हाथ कुछ न लगे और जिनके पास पैसे की ताकत है वे अच्छी से अच्छी जमीन ले लें, अच्छी कीमती और उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लें। आप परिभाषा यह देते हैं कि काश्तकार या हल जोतनेवाला उसको कहा जा सकता है जो हल की मूंठ पकड़ना जानता हो। मैंने पुरुषकार की कहानी में यह पढ़ा था कि एक जमाना था जब राजा लोग त्योहार के दिन हल की मूंठ पकड़ते थे। वे भी यह कह सकते थे कि मैं काश्तकार हू ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : राजा साहब ऐसे नहीं हैं।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) जो लोग मेहनत करते हैं, जमीन जोतते हैं, जिनके बदन और सिर पर धूल पड़ती है, वे काश्तकार हैं। वे लोग काश्तकार नहीं हैं जिनके

(श्री मूलचन्द डागा)

सिर में जवाकुसुम पड़ा हो। सीलिंग का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थिति पैदा करे जिससे लैंडलैस टिनेन्ट को जमीन मिले। आप जो ड लैंलैस टिनेन्ट का मतलब निकालते हैं उससे ऐसा लगता है कि आप श्रमिक के मूल्य को बदलना नहीं चाहते और पूंजीवाद को कायम रखना चाहते हैं। हम जमींदारों को क्यों नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे? हम चाहते क्या थे? हम चाहते यह थे कि समाज में श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े। हमारा दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जो लोग कमजोर बन चुके हैं उनको जमीन पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि आदमी के श्रम की प्रतिष्ठा कम करें। लेकिन जो श्रम का दावा नहीं कर सकते, श्रम की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते उनकी प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं तो उचित नहीं है। हमारे सामने दो बातें हैं, एक तो पुराने समाज को बदलना और नये समाज की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करना। जो लोग समाज में उत्पादन कर सके उनकी प्रतिष्ठा कायम करनी है। हमें उन लोगों की प्रतिष्ठा कायम नहीं करनी है या उनकी फौज तैयार नहीं करनी है जो उत्पादन नहीं कर सकें और दूसरों का शोषण करके जीवित रहें। हम नया समाज बनाना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से यह सीलिंग बिल लाया गया है। यदि यह उद्देश्य नहीं है तो लोग मिकेनाइज्ड फारमिंग के नाम पर या दूसरे नाम पर लंबी चौड़ी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लैंड लैस टिनेन्ट की परिभाषा यह नहीं है कि आसानी से बैठकर गरीबों का शोषण कर सके। हम इस परिभाषा को बदलना चाहते हैं। आखिर सवाल क्या है? सवाल यह है कि नये समाज का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिये पुरानी बातों को भुलाना होगा और इतिहास को नव निर्माण करना होगा, यह नहीं कि पिछले इतिहास को याद किया जाय। हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं इसलिये दूसरों पर आधारित रहना चाहते हैं तो यह नहीं चलेगा। सवाल यह है कि जो खुद जाकर जमीन जोतते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जमीन मिले। इसी लिये यह सीलिंग है। इसमें सीलिंग की जो परिभाषा है उसको वास्तव में ठीक तरह से बनाना पड़ेगा क्योंकि सारे सीलिंग में यह बात है कि लैंड लैस टिनेन्ट किसको मानते हैं। मेरा पड़ोसी कहेगा कि मैं भी लैंड लेस टिनेन्ट हूँ यदि उनके पास जमीन नहीं है और वे जमीन पर काम नहीं करते हैं तो वे कैसे लैड लैस टिनेन्ट कहे जा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस परिभाषा में ठीक तरह से परिवर्तन किया जाय।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में जो संशोधन आया है मैं उसका विरोध करता हूँ। जो एग्जिस्टिंग क्लॉज है उपाध्यक्ष महोदय, वह इस तरह से रीड करता है:

"Landless person" shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate the land personally, but who does not hold any land whether in his own name or in the name of any member of his joint family.

अब जो संशोधन इसमें आया है वह संशोधन एक लिमिटेशन रख देता है, वह यह लिमिटेशन रखता है कि वह आदमी

(श्री आबिद्अली)

जिसका, प्रोफेशन कल्टीवेशन नहीं है वह डिप्राइव हो जायगा और उसको लैंड लैस किसान नहीं माना जायगा। इस संशोधन के फेवर में जो भी आर्गुमेंट्स यहां रखे हैं, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा कि ये इर्रेलेवन्ट हैं। खास बात जो इस वक्त हाउस के सामने रखी गई, इस वक्त संशोधन के फेवर में जो पोइन्ट डवेलप हुआ है वह यह है कि इस क्लॉज की मंशा यह है कि सब-टिनेन्ट उस राइट से डिप्राइव हो जायगा, हालांकि उसके वार्डिंग्ज कहीं इस बात को जाहिर नहीं करते। सब-टिनेन्ट अलबत्ता एक आदमी जो खातेदार है और जो एक्च्युअली काश्त करता है उसके राइट को युजुर्प करना चाहते हैं, हालांकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट आ चुका है कि जो १९५५ से खुद काश्त करता है उसको खातेदारी राइट हो जायेंगे। जो आर्गुमेंट्स दिये जाते हैं They are absolutely irrelevant so far as the gist and purpose of this clause is concerned.

एक बात और कही गई और वह यह कि उनको जमीन दी जाती है जो हल की मूंठ पकड़ना जानते हैं और उनको यह समझा जाता है कि वे लैंड लैस टिनेन्ट्स हैं। जो राइट्स थे वे दिये गये थे किन सरकम्स-टान्सेज में, यह देखना चाहिये। यह आर्गुमेन्ट रेज करना कि सब-टिनेन्ट को उनके मीन्स से डिप्राइव किया जायगा, उचित नहीं है और यह कहीं स्टेन्ड नहीं करता।

फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोइंट रेज किया। मैं निवेदन करूँगा कि वह बहुत सब्सटेन्शियल आर्गुमेन्ट था। वह महज वर्ड के ऊपर ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट-यूशन में साफ प्रावधान है कि एक आदमी इन्डिपेन्डेन्टली कोई प्रोफेशन एडोप्ट कर सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ और वह इस तरह से देता हूँ कि ग्रामीण किसी कोर्ट या तहसील में चपरासी या पियोन था और ३० साल नौकरी करने और पेन्शन लेने के बाद जब उसकी नौकरी समाप्त होती है तब वह गांव में आकर बस जाता है तो इस अमेन्डमेन्ट के अनुसार यह हुआ कि क्योंकि उसका प्रोफेशन एक चपरासी का था इसलिये अब उसको जमीन नहीं मिल सकती। समझ में नहीं आता कि तब वह क्या करेगा।

उसकी पेंशन की बात है, मेरे पडौसी कहते हैं कि वह पेंशन से खायेगा। मैंने इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है, वह चपरासी शब्द है, उसको पेंशन सात रुपये मिलती है। इसका मतलब यह है कि सात रुपये में वह परिवार का पालन पोषण करे, उसको जमीन मिलने वाली नहीं है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शाहर) : उसके परिवार को जमीन मिल जायगी, उसको नहीं मिलेगी।

२ म० प०

श्री आबिद्अली : यह ऑब्जेक्शन रेज किया गया है कि उसके परिवार को जमीन मिल जायगी। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र एडवोकेट हैं और एल० एल० बी० हैं, वे जानते हैं कि जो हैड ऑफ फेमिली होता है, वह तमाम देख रेख करता है और वही मैनेजर होता है। इन सरकम्सटान्सेज में चूंकि

(श्री आबिदअली)

यहां परिवार की बात है तो जो बेटा है और एक बच्चा है, उसको जमीन नहीं मिल सकती है। इसी तरह से जैसा मेरे पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा था कि मेरे पड़ोसी जान लें कि मैं लैंड लेस टिनेन्ट हूँ तो मुझे जमीन मिल जानी चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि मैं लीगल प्रेक्टीशनर हूँ मुझे यह लिबरटी होनी चाहिए....

श्री शोभानसिंह (बयाना) : Sum and substance of the argument is here.

श्री आबिदअली : मुझे यह लिबरटी होनी चाहिए कि गांव में जाकर बस सकूं और मेरी अगर यह स्प्रिट है कि कल्टीवेट करू Why should I be deprived of this right ?

तो इसलिए जो शब्द यूज़ किये गये हैं, जो क्लॉज हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है : "or can reasonably be expected to cultivate land personally"

पर्सनल शब्द आ जाता है, कल्टीवेट लैंड पर्सनली, वहां बैक डोर से आने का मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था, जिसको लाइटली इगनोर नहीं करना है, एक आदमी का जो प्रोफेशन है, उसके लिए प्रावधान करके उसको डिबार नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह का यह क्लॉज है, उसी तरह इसे रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह बहस चल रही है, श्री लक्ष्मीचन्दजी, एम. एल. ए. जो हमारे हैं, उनके अमेंडमेंट के ऊपर। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरह से देखा जाय तो इसका यह मतलब, जो सीलिंग का है, वह तब अच्छी तरह से फलीभूत हो सकता है, जब इसके अन्दर, उन लोगों को, जो खेती के अन्दर मदद देते थे, काश्तकार को पीढ़ियों से मदद दे रहे थे, उनके हक को वैसा का वैसा रख कर, जिनके पास भूमि है, उनसे लेकर, उनको दी जाय। यह सबसे पहला जरूरी काम था, जैसे Charity begins at home इस कहावत के अनुसार पहले जो नजदीकी दायरे में है, उनको देने की अत्यन्त आवयकता महसूस होती है। जैसे कि मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों में, बड़े बड़े काश्तकारों में, जो हरिजन समुदाय, जैसे वीवर्स और चमार हैं, उन लोगों के पास आज के वर्षों पहले से जमीन थी, वे बराबर वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे, उनकी जमीन छीनी जाकर उन्हें लेबरर्स बना दिया गया। मैं जागीरदारों के वास्ते कहूँगा और भू-स्वामियों के वास्ते भी कहूँगा कि जैसे दरोगा या दूसरे लेबरर्स हैं, जो पीढियों से काम करते हैं, उनके पास ज़मीन न रह कर, उनकी ज़मीन पर कब्जा हो गया है, सबसे पहले उनके दुःख का निवारण करने के लिए सवाल होना चाहिये। देखा जाता है तो इस प्रकार का सवाल आयेगा कि गवर्नमेंट की एजेन्सी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो ज़मीन के हकदार नहीं होंगे, और इसके अतिरिक्त, जैसा कि मेरे पहले माननीय सदस्य ने इसके ऊपर छाया डाली है, उस प्रकार के तब के वास्ते व्यवस्था है, उसके पहले अत्यन्त आवश्यकता है कि उनको भूमियां मिलें तो बहुत कुछ क्रांति हो और इसके अतिरिक्त इसका बड़ा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सदुपयोग हो। मैं यह अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ कि लेबरर्स, जो काम करते है, इस बिल में लेबरर्स की परिभाषा है, उनको और जिन खेती करने वालों का सवाल है, उनके वास्ते व्यवस्था हो जमीन के वितरण की।

(श्री मूलचन्द डागा के विपक्ष की ओर बैठने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, should I fix your seat on this side ?

(हंसी)

(यस की आवाज)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में प्रबन्ध किया जाय। इसके अतिरिक्त दूसरे खेती करने वाले हैं, उनका गवर्नमेंट इसे डील करते वक्त ख्याल करे। मैं यह देखूंगा कि बहुत से जागीरदार और बड़े बड़े जागीरदारों के अन्दर छुट गइय्ये हैं, वे बिना ज़मीन के खेती करने में बड़ी दिक्कत में पड़े मिलेंगे, उन लोगों को पहले हक हासिल होना चाहिये। इसलिए यह सीलिंग का प्रावधान है, वह इसलिए लागू किया गया है और इस चीज का ज़्यादा लाभ देने के लिए जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिये। यह नहीं हो कि वे तो रह जायं और जो दूसरे नाहकदार हैं उनको ज़मीन मिलती रहे। इस चीज के वास्ते गौर करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम शुरू में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ पर बोल रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो सीलिंग के विषय में, जो राजस्थान की भूमि के विषय में फर्माया, उस विषय पर कुछ मैं भी कहूँगा। कहने के पहले मैं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को यह निवेदन करूं कि सीलिंग के बिल को लाने से पहले एक सदन में झंझट खड़ा कर देते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर हरिप्रसाद। संशोधन का प्रश्न है, सारे बिल पर बोलने लग जायं तो सारे समय का अपव्यय होगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पर आ रहा हूँ, पांचवां छठा संशोधन है.......

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : संशोधन के पहले झंझट पर आना जरूरी है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं, जिन्होंने जमींदार, भूमिदारों और हरिजनों की आड़ में शिकार खेला है, उनसे जोरदार शब्दों में अपील करूंगा कि माननीय सदस्यों ने हरिजनों की आड़ में शिकार खेलने का प्रयत्न किया है। आज जहां तक भूमि का सवाल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्षों से इस भूमि पर अपना कब्जा करे बैठे हैं। वे चाहते हैं कि आज हमारे हाथ से भूमि खिसकती है तो कुछ इधर उधर की बात करें और जो सही खेती करते हैं, जो काश्तकार हैं, जो मजदूर हैं वे दिन में पांच घन्टे मजदूरी करें वे बच्चों के लिए खेती के कार्य को करें और इस देश के लिए और अपने लिए अन्न पैदा करें, वे ऐसा सोचे

(श्री हरिप्रसाद यादव)

तो यह हमारा टिनेन्सी एक्ट में संशोधन है, वह आड़े आ जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग आने के पहले मैं यह कहूँ कि आज बड़े बड़े नेता सदन में भाषण करते हैं, कि हमारे यहां यह जमींदार बिल पास होना चाहिए, हम भूमि की रक्षा करें। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कहे कि हम खेती के लिए खाद देते हैं, बीज देते हैं लेकिन बीज समय पर नहीं मिले तो उत्पादन नाम

(हंसी)

मात्र का रह जाता है। मैं कहूँ कि आज पहले हम यह सोचें कि राजस्थान में करोड़ों एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी हुई है, उसके अन्दर भी सीलिंग करने का ध्यान दिया जाय और जो लोग खेती कर रहे हैं, यह न हो जाय कि आज हम इस देश में, राजस्थान प्रदेश में हम खेती की उपज बढ़ाने जा रहे हैं, वह कम हो जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आज लोग खेती कर रहे है, जो लोग ट्रेक्टर चलाते है,....

श्री उपाध्यक्ष : किस संशोधन पर बोल रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री हरिप्रसाद यादव : छठे संशोधन पर जो आज शुरू हुआ है, क्लॉज नम्बर २

(हंसी)

पर, श्री पी० के० चौधरी ने कहा कि हरिजनों को जमीन मिल जायगी तो मजदूरों का यह हो जायगा। मैं निवेदन करूं कि कोई हरिजनों की आड़ में आना चाहता है कोई मज़दूरों की आड़ में आना चाहता है। उदाहरण के रूप में जो हरिजन भूमिहीन हैं, जो जमीन का आधा बांटा देते हैं वे दिल पर हाथ रख कर भाषण दें, तो में स्वागत करूंगा। नहीं तो जिस तरह डींग मारते हैं, जोशीले भाषण देते हैं, जो जागीरदार हजारों वर्षों से इस भूमि के पति बन कर रहे हैं, वे आज जोशीले भाषण देते हैं, राजाजी कहते हैं कि हरिजन भूमिहीन रह जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस सीलिंग के बिल को पास करने से पहले, जो छठा अमेंडमेंट बिल है, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। जो भूमि की आज सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कहें कि आज भूमि एक वर्ग को मिलनी चाहिए तो हमारे राजस्थान में जो पैदावार बढ़ाने के नारे को लेकर हम चले हैं, नागोर में दो अक्टूबर को....

श्री उपाध्यक्ष : फिर...माननीय सदस्य.. माननीय सदस्य, फिर नागोर पर चले गये हैं, लाना मुश्किल हो जायगा विषय पर

(हंसी)

बोलिये। इतने फासले पर न चले जाइये।

एक माननीय सदस्य : ये तो साहब भोपाल सागर पहुंच गये।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की भूमि के लिये हमारे नेता बताते हैं कि इस पर ऐसे काम होने चाहिये, वैसे काम होने चाहिये, तो जो बिल चल रहा है उस पर माननीय सदस्यों ने विचार धारा रखी, डागाजी ने कहा कि मजदूर खेती करना चाहते हैं, मैं पूछता हूँ कि पाली जिले के आस पास जमीनें पड़ी

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हैं वे बंजड़ क्यों रहीं ? हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास जमीन ज्यादा से ज्यादा रहे और करोड़पति जमीनें ले कर बैठ जायें, पाली मिल का मालिक जमीन लेकर बैठ जाय, उसका विरोध नहीं करें। तो मैं चाहता हूँ कि सीलिंग का बिल आ रहा है उससे पहले छठा संशोधन है उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और यह जमींदारी बिल है उसको पास करें........भूमि हीन बैठे

(हंसी)

रहें और इन करोड़पतियों के पास, मिलपतियों के पास हजारों एकड़ जमीन रहे और वे पाते भी बन जायें, यह नहीं हो सकता। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सीलिंग के बिल को जल्दी से जल्दी पास करें........

कुछ मानीनय सदस्य : यह सीलिंग का बिल कहां है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : इसको पास करने से राजस्थान विधान सभा में भी जो एक समस्या है वह हल हो जायगी, क्योंकि हम जब भी सेशन में आते हैं तो काम काज की बातों को छोड़ कर सीलिंग ही सीलिंग की बातें करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी पास करें।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैन्डलैस की परिभाषा के सिलसिले में एक संशोधन सदन में पेश हुआ है, मैं उस संशोधन का विरोध करना चाहता हूँ। उस संशोधन के पक्ष में और विरोध में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। इस संशोधन का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनसे तो मैं सहमत नहीं हूँ पर उनके इस विचार से सहमत हूँ कि इस संशोधन का विरोध करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : हरिप्रसादजी के विचार से भी ?

(हंसी)

श्री चन्दनमल वेद : उनके विचार तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागोर से भोपाल सागर तक जमीन नाप रहे थे, उतनी मेरी हिम्मत नहीं है।

(हंसी)

कुछ माननीय सदस्यों को चिन्ता है कि इस बिल में जो लैन्डलैस की परिभाषा है उस परिभाषा के अन्तर्गत उन लोगों को जमीनें मिल सकेंगी, जो खेती का काम नहीं करते, यह मैं समझता हूँ उनकी गलत आशंका हैं। जो लोग धोबी, नाई, दर्जी का पेशा करते हैं, उनको इस बिल में दी गई लैन्डलैस की परिभाषा के अनुसार जमीनें मिल सकेंगी ऐसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि कानून की अवहेलना कर के उनको जमीनें दे दी जायें, कानून की अवहेलना तो करते रहेंगे। पर इस धारा में लैंडलैस कि परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार, उसके आधार पर किसी धोबी, नाई, दर्जी का पेशा करने वाले को, किसी बिज़नेस मैंन को, किसी वकील को, जैसा कि कई वकील समझते हैं कि परिभाषा रही तो हम लोग भी जमीनें लेने के हकदार रहेंगे, यह बात गलत है।

एक माननीय सदस्य : वकालत छोड़ने के बाद मिल सकेंगी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं भी वकील हूँ। लैंडलैस की परिभाषा इसमें दी हुई है : "Landless person" shall mean an agiculturist by profession......

लैंडलैस टिनेन्ट वह है जो प्रोफेशनली खेती करता है, लैंडलैस कल्टीवेट कर सकता है पर लैंड नहीं है इसलिये वह कल्टीवेट नहीं कर रहा है, वह जमीन इसलिये नहीं जोत रहा है कि उसके पास जमीन नहीं है। जो व्यक्ति नाई का, धोबी का, दर्जी का पेशा करता है, क्योंकि उसके भी दो हाथ हैं और वह हल की मूठ पकड़ सकता है, इस कारण उसको भी जमीन मिल सकेगी, यह इस परिभाषा से सम्भव नहीं हो सकेगा। बल्कि जो संशोधन आया है, उसके तहत यह चीज़ ज़्यादा सम्भव हो सकती है कि जिनका खेती का धन्धा नहीं है वे लोग भी कह सकते हैं कि हमारा मेन धन्धा, हमारा मेन प्रोफेशन तो खेती ही था, क्योंकि हमारे पास जमीनें नहीं थीं इसलिये खेती का धन्धा नहीं करते। इसमें यह :

" Landless person" shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land......"

मेन प्रोफेशन और प्रोफेशन में डिफरेंशियेट करना पड़ेगा, क्लॉज में यह है कि प्रोफेशनल एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिये और संशोधन में यह है कि मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर होना चाहिये, दूसरा भी प्रोफेशन हो सकता है वैसे और काम कर रहे हैं पर मेन प्रोफेशन तो उनका एग्रीकल्चर ही है, ऐसा कह कर जमीन लेने के हकदार हो सकते हैं। क्लॉज में एक ही प्रोफेशन का रखा है। इसलिये मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग जो खेती नहीं करते हैं वे लोग लैंडलैस टिनेन्ट्स की परिभाषा में आ कर जमीनें नहीं ले लें इसलिये यह रखना जरूरी है। जिन माननीय सदस्य ने संशोधन मूव किया है इस आशा से कि जिन लोगों का खेती के अलावा दूसरा धन्धा है वे लोग भी इस परिभाषा के अनुसार ज़मीनें मांगने के हकदार हो जायेंगे, उन माननीय सदस्यों के लिये यह जरूरी हो जायेगा कि इस बिल में जो लैंडलैस की परिभाषा दी है, उसका समर्थन करें, बजाय इसके कि अमेंडमेंट पर जोर दें।

तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है, इस पर गौर करेंगे और मेरी बातों पर गौर करेंगे।

दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लैंडलैस टिनेन्ट की परिभाषा के संबंध में बहस हुई कि कौन कौन जमीनें ले सकते हैं, बिज़नेस मैंन, वकील, धोबी, नाई, दर्जी, बाटा की दुकान का मैनेजर जमीन ले सकता है कि नहीं, बड़ी दिलचस्प बहस शुरू हो गई, और विधान के आर्टिकल की बात भी आई। यह बात ठीक है कि विधान के अनुसार हम किसी को खेती करने से नहीं रोक सकते, पर जहां तक जमीन देने का सवाल है, सरकार अपना डिस्क्रिशन बरत सकती है। सरकार पर इस बात का दबाव नहीं डाला जा सकता कि वह सस्ता धान देती है इसलिये हर शख्स को सस्ता धान दे, रियायत पर जमीनें देती है तो हर शख्स को जमीनें दें, यह दबाव सरकार पर नहीं डाला जा

(श्री चन्दनमल वेद)

सकता। यह जो लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लाना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि ज़मीन पर बोझा ज्यादा है। तो ऐसी दशा में हर व्यक्ति जमीन लेने का हकदार बन जाय इस प्रकार की बात नहीं रखनी चाहिये। मैं खेती नहीं करता पर इस प्रकार का प्रावधान रखने से चूंकि मेरे पास जमीन नहीं है, मैं जमीन लेने का हकदार हूँ और जमीन लेने वालों की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप जमीन की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जमीन पर बोझा ज्यादा बढ़ गया है, वह बोझा कम हो जाय तो इसके लिये यह तरीका नहीं कि हर आदमी को कह दें कि तुम जमीन ले लो। इससे जमीन पर और बोझा बढ़ जायगा। तो जमीन पर बोझा कम करने के लिये यह कानून बना रहे हैं इसलिये उन लोगों को जमीन देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता जो जमीन पर खेती नहीं करते और जमीन से अपनी आजीविका नहीं पैदा करते। इसलिये यह प्रश्न तो उठता ही नहीं। अगर उन लोगों को ज़मीन दी जावेगी जो सम्पन्न व्यक्ति हैं तो इससे क्या लाभ होगा। अगर एक आदमी से ज़मीन छीन कर किसी सम्पन्न व्यक्ति को दे दी जाती है तो इससे क्या सुख हो और क्या लोगों का भला हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम अपना समय यहां पर क्यों बरबाद करें। अगर ऐसा करना है तो मैं समझता हूँ कि गाय को दुह कर उसका दूध कुत्ते को डालना है। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। सीलिंग का मकसद यह है कि जमीन उन लोगों से लेकर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उन लोगों को दी जावे जिन के पास ज़मीन नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को दी जाने से कुछ लोग यह समझते हैं कि क्योंकि विधान में यह रखा है कि हर एक व्यक्ति को ज़मीन मांगने का अधिकार है और सरकार को उनको ज़मीन देनी होगी लेकिन मैं समझता हूँ कि यह तरीका ही गलत है। अगर इस पर कोई आस लगाता है तो मैं यह कहूँगा कि उनको यह आशा छोड़ देनी चाहिये और बिल में जो परिभाषा दी है, मैं समझता हूँ कि ठीक है। इसमें सभी बातों को सेफ गार्ड किया गया है और ऐसा है कि जो खेती पर निर्भर नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, सीलिंग के महान प्रश्न पर विचार करते हुए जो परिभाषा भूमिहीन किसानों की दी हुई है उसपर विचार कर रहे हैं। अभी तक विभिन्न महानुभावों के विचार सुने और परिभाषा को देखने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह परिभाषा काश्तकार और गैर काश्तकारों के बीच में संघर्ष पैदा करने वाली ह और संघर्ष की बातें इस परिभाषा में निहित हैं। एक तरफ कुछ तनाव इस वर्ग में है जो काश्तकारों का पेशा आजतक कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ विचारों का खयाल ऐसी भावना को लेकर किया जा रहा है और निहित है, कुछ ऐसे लोग जिनको कि जमीन पर बसाये जा सकें, जिनके पास अभी तक कोई खेती करने के लिये जमीन नहीं रही है और जिन्होंने खेती नहीं की है। जहां तक मैं समझता हूँ इन दोनों में यह संघर्ष है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जमीन की समस्या को हल करने का प्रश्न है वह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न खाली काश्तकार तक ही नहीं

(श्री मोहरसिंह)

बल्कि सारे देश की समस्या है । जिसको विचार करते समय हमको बहुत से प्रश्नों को सुलझाना पड़ेगा । एक तरफ जहां किसानों की समस्या पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि किसान चार प्रकार के हैं । एक तो वे जो जमीन पर काश्तकारी करते हैं और जिनके पास गुजारे लायक जमीन है । दूसरे वे किसान हैं जिनके पास काश्त करने के लिए थोड़ी जमीन है । तीसरे काश्तकार वे हैं जिनके पास काश्त की भूमि नहीं है और दूसरों की भूमि पर काश्त करते हैं । चौथे काश्तकार वे हैं जिनके पास काश्त करने के लिए भूमि है और वे काश्त नहीं करते लेकिन जमीन पर कब्जा किये हैं । पांचवें काश्तकार वे हैं जो नये सिरे से जमीन पर काबिज होना चाहते हैं ।

इन सब बातों पर विचार किया जावे तो हम समस्या को हल कर सकते हैं । लेकिन जहां तक यहां पर भूमिहीन की परिभाषा दी गई है उस पर विचार करें तो हमें सब से पहिले एक चीज़ पर सोचना बहुत जरुरी है कि जमीन किनको मिले । जमीन महज उन को मिले जो काश्त करना जानते हैं । अगर काश्त नहीं करना जानते उनको जमीन मिल जावे, तो समस्या का हल नहीं होगा ।

एक तरफ हम बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं । एक तरफ हम अनाज की समस्या को हल करना चाहते हैं जो कि बहुत ही विकट समस्या है । इसके अलावा तीसरी बात हम को इस पर विचार करते समय नहीं भूलना चाहिये कि फिलहाल जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं और खेती का काम कर रहे हैं, उनके स्टेन्डर्ड को घटाना नहीं है, उनके स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठाना चाहिये । इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों पर विचार करते समय मैं समझता हूँ कि भूमिहीन किसानों की जो परिभाषा क्लॉज २ में दी है वह ठीक नहीं है । इससे तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए द्वार खुलेंगे जो आज तक इस प्रकार की भूमि को लेने से वंचित रहे हैं । कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के कृपा पात्र होंगे उनके लिए यह दरवाजा खुलेगा जो आज तक जमीन को प्राप्त नहीं कर पाये और जो आज तक जमीन पर कोई काश्त नहीं करते थे, न खेती करते थे । क्या उनके लिए द्वार नहीं खुलेगा ? जबकि देश में काश्त करते जो लोग आ रहे हैं उनकी भी समस्या को अभी तक हल नहीं कर पाये हैं । उन लोगों को क्या भारत के विधान में बेकार रहने की इजाज़त दी हुई है या क्या वे लोग बेकार रहेंगे ? यह कदापि नहीं है । सामाजिक न्याय यह भी नहीं है । जो जमीन का काम कर रहे हैं उनका हक पहले बनता है । जिनके पास कुछ दूसरा काम है उसको बताये ताकि रख कर परिभाषा के तहत में उनको अधिकार दें, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि जो जमीन का काम करते हैं उनका हक पहला है ।

वैसे तो हमारी सरकार पर मेरा एक क्लेम है कि आज तक इस प्रकार के कानून हम पास करने की कोशिश करते हैं जिसमें इस प्रकार की गुंजायश रहे कि लोग सरकार के मुंह की तरफ देखते रहें और सरकार जिसको चाहे उसे कानून का फायदा पहुंचा सके । सरकार यह चाहती है कि एक चीज आजादी के साथ में नहीं रहे । अलॉटमेंट का प्रश्न आया उस समय मैंने गंगानगर में, बीकानेर

(श्री मोहरसिंह)

में देखा कि आज तक स्थाई अलोटमेंट के कदम नहीं उठाये गये। अलोटमेंट समय पर नहीं किया जाता और जिस समय उस अलोटमेंट का समय निकल जाता है, किया जाता है इसलिये कि गवर्नमेंट स्थाई रूप से कानून नहीं बनाना चाहती। अगर सरकार स्थाई रूप से कानून बनादे तो लोग उनके मुंह की तरफ नहीं ताकते रहें। उन्हीं लोगों को जमीन मिल पाती है जो सरकार के कृपा पात्र होते हैं और सरकार के अधिकारियों के मुंह की तरफ ताकते हैं। उन लोगों को जमीन दिलाने के लिये गुंजायश रहे। इसलिए भूमेहीन की परिभाषा में यह रीजनेबली शब्द रखा हैं। कौन इस बात का पता लगावेगा कि वह रीजनेबली काश्त कर सकता है या नहीं। उसके लिये कौन सा मापदंड है। जिस पर सरकार की महरबानी होगी वह व्यक्ति रीजनेबली की हालत में आ जावेगा। यह कोई स्थाई हल होगा क्या? इससे लोग ज्यादा नाज पैदा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि लोगों को सरटेनटी नहीं रहेगी। इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा।

अभी एक साथी की तरफ से कहा गया कि एग्रीकल्चरिस्ट के घर में जिसने जन्म ले लिया उसको जमीन मिले बाकी को नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि यह इस चीज की मंशा ही नहीं। और इस बात को सामाजिक न्याय के साथ सोचते हैं तो हमें सोचना होगा कि जिनके पास काश्तकारी है, जो जमीन पर निर्भर हैं उनको बराबर ध्यान में रखना होगा। आज जमीन की नकली भूख आगई है। नाज के भाव तेज हैं इसलिये, लेकिन हमको इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि जब ६ धड़ी का नाज था उस समय आज जिनको हरिजन कहते हैं, बीकानेर में जब ५६ का अकाल पड़ा, लगान नहीं देने की वजह से अपने घर बार छोड़ कर चले गये। ५५ प्रतिशत लोग उस समय लगान नहीं दे सके और इस वजह से वहां से चले गये और अपनी जमीन पर काबिज नहीं रहे। उस समय नाज सस्ता बिक रहा था।

उन लोगों के लिए खयाल रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीन के लिए जो विकल हैं, लालायित है, न कि भाव तेज हो जाने से उन लोगों को जमीन देना है जो कि उसके लिए लालायित हो रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जमीन देनी पड़ेगी जो कि जमीन पर काबिज हैं, जिनके पास थोड़ी सी जमीन है या जिनके पास कतई जमीन नहीं है। आज देश में बेकारी बढ़ रही है उसको भी मिटाना है। जिनके पास धन्धा नहीं है उनके लिए और साधन करने होंगे। जिनके पास धन्धा भी है लेकिन जो जब चाहे जहां जमीन पर काबिज हो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ही इस प्रकार की परिभाषा रख कर उनको जमीन देना चाहते हैं। इसलिए जमीन तो उनको ही देनी है जिनको कि आज आवश्यकता है और जो कि काश्तकार हैं, जो हाथ से खेती करते हैं, जमीन उसकी होनी चाहिये जो कि काश्त करता है, Land to the tiller of the land. जिनके पास धन्धा नहीं हैं, बेकार हैं, उनको जमीन देने के लिए और इसके लिए कौन निर्धारण कर सकेगा इसमें हम यहां आकर जमीन के बारे में क्यों पडे। उनके लिए तो दूसरे धन्धे या जरिये मोहैय्या कर

(श्री मोहरसिंह)

देना चाहिये जिससे कि उनको हम रोटी दिला सकें। उनके साथ भी सामाजिक न्याय हो सके। आज हम देख रहे हैं कि जमीन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बेकारी के आंकड़ों को देखें और उनको ध्यान में रखते हुए इसमें ऐसा करेंगे तो जमीन पर और भी अधिक प्रेशर बढ़ने वाला है। इस समस्या का दो तीन चार वर्षों में ही फिर भयंकर रूप हमारे सामने आने वाला है। इसलिए क्लॉज २ में जो भूमिहीन की परिभाषा रखी है उसको सोच विचार कर हमको तरमीम कर लेना चाहिये। जो आदमी फिजूल जमीन पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन जमीन पर वह काश्त नहीं करता है, वह जमीन का मालिक नहीं हो सकता। जो आदमी काश्त दूसरों से करवाता है वह भी उस जमीन का मालिक नहीं हो सकता। लैंड टू दी टिलर होना चाहिये। मैं इस क्लॉज से थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज से बाहर जाते हैं तो न जाइये।

श्री मोहरसिंह : केवल थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ।

जमीन का मालिक वही होना चाहिये कि जो काश्त करता है हाथ से। इसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बात और है कि जो छोटे बच्चे हैं काश्तकार के जिनके वालिद नहीं हैं, नाबालिग हैं, उनके लिए इसमें समावेश रखना पड़ेगा, विधवा औरत है, जिनके केवल जमीन का ही पेशा रहा है, इस प्रकार की जहां समस्या खड़ी हो तो उसके लिए भी इसमें समावेश रखना पड़ेगा। बाकी जो जमीन अपने कब्जे में रख कर दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, जिनकी इस प्रकार की वृत्ति बन गई है कि जमीन अपने कब्जे में रखना और दूसरों का शोषण करना, उनको आज इस युग में गवारा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो संशोधन आया है कि महज खुद काश्त करता रहे वैसा होना चाहिये। यहां पर भूमिहीन की जो परिभाषा की गई है और उसमें जो संशोधन आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष इस समय भूमि पर उच्चतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी वादविवाद चल रहा है। उसमें सबसे पहला प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है, कि जिनके हित के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं, जिन लोगों को रोटी और रोजी देने का प्रबन्ध कर रहे हैं, वे कौन लोग हों ? उनके लिए जो यह मूल विधेयक है, उसमें भूमिहीन शब्द रखते हुए इसकी परिभाषा की है। मूल में जो परिभाषा की है, वह मैं समझता हूँ, मेरी दृष्टि से पूर्ण, सम्यक, तथा समीचीन प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी, उसमें एक माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा है, । मेरा विश्वास है कि वह संशोधन भी, इसी दृष्टि से रखा है, कि कौन लोग वास्तविक अधिकारी हैं, अधिक सीमा के बाद जो भूमि निकलेगी, उसको पाने के कौन योग्य अधिकारी हैं वे अपनी दृष्टि से यह समझते हैं कि इसमें इस प्रकार का संशोधन कर दिया जावे, जैसा कि संशोधन दिया है तो इससे वास्तविक अधिकारियों को फायदा हो सकेगा और मूल रूप में ही इसको रखा गया तो अनाधिकारी इसका फायदा उठावेंगे। उनकी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

यही इस संशोधन से मंशा प्रतीत होती है। लेकिन जब हम मूल परिभाषा को देखते हैं, तो मैं, काफी विचार करने के बाद भी यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार इससे वे लोग, जिनको भूमि मिलनी चाहिये या इसके जो वास्तविक अधिकारी होने चाहिये वे इससे वंचित रह जावेंगे और कुछ अनाधिकारी लोग इससे लाभ उठावेंगे। क्योंकि मूल जो क्लॉज है उसमें स्वयम् में परिभाषा इन शब्दों में की गई है Landless person shall mean an agriculturist by profession, who cultivates or...

सबसे पहले ही यह है कि वकीलों के लिए, दूकानदारों के लिए, सीमेन्ट फैक्टरी चलाने वालों के लिए या बाटा फैक्टरी चलाने वालों के लिए, इसके दरवाजे इन्हीं शब्दों से बन्द हो जाते हैं, जिनमें बताया गया है shall mean an agriculturist by profession... जिसका प्रोफेशन, जिसका पेशा ही एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर का पेशा करने वालों में .

राजा श्री मानसिंह (वैर) : How does one become an agriculturist ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उस पर मैं आ रहा हूँ।

वह पेशा करने वालों में जागीरदार भी हो सकते हैं, जमींदार भी हो सकते हैं, छोटे किसान भी हो सकते हैं जिनके पास कम जमीन है। साथ साथ वे किसान भी हो सकते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है या अब तक जो जागीरदार, जमींदार या बड़े किसानों की जमीन लेते रहे हैं लेकिन नये नये कानूनों के अनुसार, अब शायद उस जमीन को पाने में दिक्कत आती है और दूसरा यह भी हो सकता है कि जब वह इस बात के लिए अधिकारी है कि अपनी जमीन का वह मालिक हो, तो क्यों दूसरों की जमीन को जोतता रहे, क्यों जोतावन कर रहा है, क्यों न अपनी जमीन का मालिक हो, तो जो पेशे से एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वह भूमिहीन किसान होगा और वह इनकी परिभाषा में होगा। उनको आगे जाकर क्वालिफाई किया है, इन शब्दों से "by profession" यानी agriculturist by profession who cultivates and actually cultivates...

"कल्टीवेट" से मतलब यह है कि जिनके पास जमीन है, जिनके पास बैल है, जिनके पास बीज है या दूसरे साधन हैं, और जिनको परमात्मा ने एक दृढ़ शरीर भी दिया है, वह योग्यता भी दी है, जो कि एक किसान को योग्यता होनी चाहिये, उनके लिए शब्द आय हैं 'हू कल्टिवेट' लेकिन साथ साथ यह भी है कि दुर्भाग्य से कहिये, ऐसा नहीं है, जब कि न्याय यह चाहता है कि हर किसान के पास अपनी जमीन हो, अपनी जमीन का वह मालिक हो। अब तक जो व्यवस्था रही है, सामाजिक या राज्य की या कानून की जो व्यवस्था अब तक रही है, बहुसंख्यक लोग वे पाये जावेंगे, जो खेती करते आये हैं बाप दादाओं के जमाने से लेकिन जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। दूसरों की जमीन जोतते आये हैं, वे जागीरदार जमींदारों और बड़े २ किसानों की दया पर रहे हैं। तो वे, वे लोग हैं जो बैल भी रखते हैं, हल भी रखते हैं जिनके हाथ पैर भी खेती करने लायक हैं, जिनकी योग्यता है और परम्परा से जिनका

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पेशा भी यही रहा है लेकिन जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। उन लोगों के लिए ये शब्द इसमें रखे हैं or can reasonably be expected to cultivate the land personally...

ये शब्द उन लोगों के लिये रखे हैं, जिनके पास अब तक अपनी जमीन नहीं रही है लेकिन जो जमीन को बोते रहे हैं, अगर जमीन हो तो अब भी उस पर खेती कर सकते हैं। वास्तव में भूमिहीन शब्द जो है, वह उन्हीं के लिये उपयुक्त हो सकता है और होता है। जिन लोगों के पास जमीन रही है या जो खेती करते आ रहे हैं अगर उनके पास थोड़ी जमीन है और वह "इकोनोमिक होल्डिंग" नहीं है, तो वे भी इसमें आ सकते हैं या जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है, उनको भूमिहीन माना जा सकता है। हमारे जिन हरिजन भाइयों के लिये या दूसरे दूसरे जो विमुक्त जाति के नाम से जाने जाते हैं, जो खाना बदोश कहलाते हैं वे वे ही लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है और इनके अलावा भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं, जिनको यदि भूमि मिल जाय तो वे खेती कर सकते हैं। आज दुर्भाग्य से जिनको जरायम पेशा लोग कहते हैं या दूसरे दूसरे नामों से जो जातियां पुकारी जाती हैं वे जरायम इसलिये हुई कि उनके पास जरिया नहीं था रोजी कमाने का। अगर उनको जमीन दे दी जाती है, वह अच्छी तरह से अपना जीवनयापन कर सकते हैं। यह तो एक दम नहीं हो सकता, कि वे सब लोग पढ़ लिखकर इन्जीनियर, डॉक्टर या वकील बन सके लेकिन जब तक वे पढ़ते लिखते नहीं तो उनके लिये आजीविका का कोई न कोई साधन तो होना ही चाहिये। व्यापार वे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं खेती का अनुभव वे, अपने श्रम से खेती कर सकते हैं। यह उनका हक है। बिनोबाजी ने शब्दों से तो खेती का अनुभव हरएक को कुछ न कुछ होना चाहिये, वे इसको ईश्वरीय देन मानते हैं, वे खेती को हवा और पानी की तरह आवश्यक मानते हैं। आप सब बातों को छोड़िये, जो लोग दूसरा धंधा नहीं करते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वकील, डॉक्टर या इन्जीनियर जो बन नहीं सकते, मास्टर नहीं बन सकते, दूसरा धंधा, व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा नहीं, जिन लोगों में से अधिकांश की संख्या ऐसी है जो खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास खेती नहीं है, उनके लिये ये शब्द Reasonably be expocted to cultivate the land personally. इसमें ये लोग जाते हैं।

माननीय सदस्यों की तरफ से इस बारे में कुछ आपत्ति उठायी गई है. वे इस प्रकार सोच सकते हैं, इससे तो उनका ऐसा कहना, है, कि पक्षपात का दरवाजा खुलता है, इससे कुछ लोगों को निहाल किया जा सकता है, बेजा तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है, और इससे बहुत से लोग फायदा उठायेंगे। यह हो सकता है और इस प्रकार से फायदा उठाने के जो शब्द कानून के अन्दर होते हैं, तो वे विशेष महत्व रखते हैं। जब यह बिल कानून के पंडितों के सामने जायगा, सरकार तो इसको डिफाइन नहीं कर सकती, सरकार उसके लिये कैसे कहेगी यह जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड शब्द है यह जब अदालत के सामने जायगा, उसका अर्थ जो अदालतें लगायेंगी, वही मान्य होगा। इसका अर्थ

Page No.74

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अगर यह लगायें कि वकील, डॉक्टर, बड़े जमींदार और जागीरदार भी इससे फायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीजें अदालतों में जायगी वे ही इसका सही रूप से 'रिजनेबली' इस शब्द का अर्थ कर सकती हैं। इसके अन्तर्गत कौन कौन आ सकते हैं ? क्या जो दूसरे धंधे करते हैं वे भी एग्रीकल्चरिस्ट में आ सकते हैं या नहीं जो बैल रखते हैं, जिसने खेती का काम किया है या जो हल रखते हैं अब तक जिन्होंने दूसरों के खेत बोये हैं क्या उन्हीं को इसमें लिया जाता है ? मैं समझता हूँ यह तो एक lay man सोच सकता है, कोमन सेन्स से यह साफ मालूम देता है, कानून के पंडित इससे कोई भिन्न अर्थ लगायेंगे यह माना नहीं जा सकता। मन चाहे जिसको फायदा पहुंचा सके यह इसकी कतई मन्शा नहीं है। जिसके संरक्षण और सुरक्षा के संबन्ध में शंका की जाती है वे वास्तविक रूप से अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे और दूसरे ही लोग लाभ उठायेंगे मेरी राय में इस प्रकार का कोई अर्थ इसका नहीं निकलता और न ऐसी आशा दूसरों से भी की जा सकती हैं।

आखिर यह भी to cultivate the land personally. यह भी कहा जाता है, कि दूसरों से खेती करायेंगे खुद केवल सुपरवीजन रखेंगे और हायर्ड मजदूर रखकर काम करायेंगे। लेकिन जब पर्सनल शब्द इसमें लिखा गया है, तो उसका स्पष्ट अर्थ है, वही व्यक्ति भूमिहीन किसान की परिभाषा में आयेगा जो खेती कर सकता हो और अपने हाथ से खेती कर सकता हो। जो ज़मीन को काश्त करने वाला हो उसको ही ज़मीन मिल सकेगी, इसका सबसे अच्छा सेफ गार्ड पर्सनल-शब्द से आगया है। केवल वही इस परिभाषा से लाभ उठा सकते हैं who does not hold any land.

जमीन जिनके पास अधिक नहीं हैं। लैन्ड लैस का शब्दार्थ भी यही है, जिसके पास भूमि नहीं, लैन्ड लैस किसान का यही मतलब है कि जिसके पास भूमि न हो। भूमि न होते हुए भी जो पुश्तों से किसान हैं, परम्परा से किसान हैं। आज ऐसे लाखों लोग हैं, जो बिना भूमि के किसान हैं, परम्परा से कृषि करते आये हैं, आज जिनके पास भूमि नहीं, आज का सामाजिक न्याय यह चाहता है, कि वे लोग जो हाथ पैर से खेती करते आये हैं, परमात्मा ने जिन्हें इस योग्य बनाया है, दुर्भाग्य से जो दूसरा काम करने के अयोग्य हैं उनको इस कानून से फायदा पहुंचना चाहिए। इस परिभाषा के रहते हुए फायदा मिल सकता है जो कि मूल विधेयक में दी हुई है। इसके विपरीत जो संशोधन रखा है, वह मैं समझता हूँ उतना लाभकर नही हो सकता, उनको जिनके लिये कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। इसमें एक तो वे शब्द आते हैं shall mean an agriculturist whose main profession is cultivation... जिनका मुख्य पेशा एग्रीकल्चरिस्ट का हो। गौण कोई दूसरा हो। इससे इसका बड़ा लम्बा चौड़ा विस्तार हो जायगा। मूल में जो शब्द है उनका कोई अर्थ नहीं निकल सकता, इसका साफ मतलब है कि agriculturist by profession हो। इस संशोधन के अन्दर भी हिज़ मेन प्रोफेशन इसमें और उसमें और कोई ज़्यादा अन्तर मालूम नहीं होता। केवल अन्तर जो कुछ है, वह मूल विधेयक की धारा से

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

'shall mean an agriculturist by profession.' and 'shall mean agriculturist whose main profession is cultivation.' इसमें केवल 'मेन' शब्द और रखा गया है। इस शब्द को अगर हटा देते हैं, तो मूल में और संशोधित धारा में कोई अन्तर नहीं होता। केवल मेन शब्द का संशोधन रखा है। मेरा यह मानना है, कि मूल में 'मेन' शब्द का नहीं रखना अधिक उपयुक्त है। यह केवल सच्चे भूमिहीनों को लाभ पहुंचाने के लिये ही ऐसा रखा गया है, 'मेन' शब्द के रखने से भूमिहीनों को लाभ नहीं पहुंच सकता। इससे होगा क्या, कि जो लोग शहरों में वकालात करते हैं वे बड़े बड़े फार्म्स के मालिक हो जायेंगे, जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है, इंगलैन्ड व अमेरिका में होता है, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन होती है, वहां के रईस कहलाते हैं, वे लोग शहरों में कम रहेंगे उनका कारोबार गांवों में ज़्यादा होगा उनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और बड़े रईस कहलाते हैं। उसी प्रकार यहां इस प्रकार की परिभाषा में बदल लिया गया, तो मेन शब्द इसमें रखा गया, तो यहां भी बड़े बड़े रईस पैदा हो जायेंगे, जयपुर में तो वकालात करेंगे, और इसके आसपास दस बीस माइल के अन्दर ज़मीन खरीद लेंगे और उन पर खेती दूसरों द्वारा करवा लेंगे। अगर हम, इसमें 'मेन' शब्द रखा है, उसको हटा देते हैं तो उसमें और मूल में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता। और मैं यह समझता हूँ कि इस 'मेन' शब्द को रखने से वास्तविक रूप में जो भूमिहीन हैं, उनको लाभ नहीं पहुंचता। मूल विधेयक में जो शब्द रखा है वह वास्तव में किसान को लाभ पहुंचाने वाला है। इसलिये इस संशोधन का विरोध करते हुए जो विधेयक में मूल रूप में जो परिभाषा दी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीचन्द जी ने जो संशोधन रखखा है, उसका समर्थन करता हूँ। लैंडलैस टिनेन्ट के अन्दर जो यह लिखा है कि: shall mean an agriculturist by profession who cultivates...' यहां तक तो समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन आगे जब यह लिखा है 'or can reasonably be expected to cultivate the land personally.' यह इतनी वेग टर्म है कि जो भी अलॉटमेन्ट कमेटी या जो भूमि का अलॉट करने वाला अधिकारी होगा वह इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। जब हम प्रिन्सिपल ऑफ दी सीलिंग को इतना स्ट्रोंग बना रहे हैं तो उसको देखते हुए ऐसी वेग टर्म नहीं रखनी चाहिये। नहीं तो इससे क्या होगा कि जब अलॉटमेन्ट का टाइम आवेगा तो कोई भी आदमी जिसने अभी अभी बैल खरीदे हैं या थोड़ा सा इरादा किया है वही डिमान्ड करने लग जावेगा कि हमें भी ज़मीन दी जावे। इसलिये—reasonably be expected... यह नहीं होकर, लक्ष्मीचन्दजी ने जो लिखा है कि Landless person shall mean an agriculturist whose main profession is cultivation and who cultivates land personally but does not hold any land in his own name or in the name of any member of his joint family or holds less than the area specified in Sec. 42. यह होना चाहिये जैसे मेरे अभी पहले के साथी ने फरमाया कि कई ऐसे दबे हुए टिनेन्ट मिल जावेंगे जो बड़े बड़े काश्तकारों के नीचे काम करते थे। वे लोग इस ओर

(श्री दलपतसिंह)

'Can be reasonably expected to cultivate' के हैडिंग के नीचे ले सकते हैं। पर इसके नीचे तो एक बी. एजी. की डिग्री लेकर आने वाला भी डिमान्ड कर लेगा। इसलिये अगर यह संशोधन मान लिया जावेगा तो वेग टर्म की समस्या नहीं रहेगी। और सीलिंग का ध्येय सिम्पल हो जावेगा।

अगर पुराने दबे हुए काश्तकारों को राहत पहुंचाना है तो इसके लिये कुछ ऐसा एडीशन कर दिया जावे कि by profession he was doing labour for four or five years and that could be reasonable... इसलिये मेरी राय है कि जो लक्ष्मीचन्दजी ने संशोधन दिया है उसे बहुमत से पास कर दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : बहुमत से ?

(हंसी)

श्री रामचन्द्र (डगसु–.) : उपाध्यक्ष महोदय, इस टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज के अन्तर्गत लैंडलैस पर्सन की डेफिनेशन देते हुए सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको देखने से पता लगता है कि आपका विचार उस संशोधन को लाने में क्या है। आप इसमें मेन शब्द रखकर ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं कि जिसके द्वारा सीलिंग के लगाने पर भी लैंडलैस को जमीन नहीं मिल सकती। आपने जोर दिया है कि उसका main occupation is cultivation. हो अर्थात् whose mainoccupation is cultivation.

मेन ऑक्यूपेशन उसीका हो सकता है जिसके पास बाप दादों से जमीन आ रही हो। जिसके पास खेती बाड़ी करने का सामान हो। उसका मेन ऑक्यूपेशन हो सकता है। वह शख्स जिसके पास घर की कोई जमीन नहीं और इतना गरीब है कि खेती करने के लिये वह न बैल, न हल इत्यादि ही खरीद सकता है उसके ऑक्यूपेशन के साथ मेन शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। ऐसी दशामें उनका तो मेन बिजनैस अब भी वही मजदूरी करना रहेगा। और जो बड़े बड़े लैंडलार्ड हैं, जागीरदार हैं, उनको ही सैंकड़ों बीघा जमीन मिलती रहेगी। तो इसको लाने से आपका अभिप्राय अब भी यह है कि उन लोगों को जो वास्तव में लैंडलैस हैं उनको जमीन न मिले और जो मजदूरी करते आये हैं वह वैसी ही मजदूरी करते रहें और जिनके पास जमीन रहती आई है उनको ही और जमीन मिलती जाय तो नितांत अनुचित है।

सरकार की मंशा यह है इस विधेयक के लाने से कि जो वास्तव में लैंडलैस हैं उनको जमीन मिले और इसी दृष्टि से जो विधेयक में डेफिनेशन है वह उपयुक्त है। इस डेफिनेशन को मानने से इस एक्ट की जो मंशा है वह पूरी हो जायगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर किया गया तो गरीबों के लिये यह अन्याय होगा।

हम देख रहे हैं कि सरकार की नीति सदा बड़ी उदार रही है। इस विधेयक को लाने के पहले ही सरकार ने ऐसे नियम बना दिये हैं कि प्रत्येक लैंडलैस टिनेन्ट को १५। १५ बीघा जमीन दे दी जावे और सहकारी खेती के लिये उनको प्रोत्साहित किया जावे। अब भी इसमें वही प्रावधान किया गया है।

(श्री रामचन्द्र)

लेकिन वास्तव में आज हमारे लैंडलैस एग्रीकल्चरिस्टों के साथ जो बीत रही है वह हम ही जानते हैं। पर आज उनको जिन्होंने हमेंशा मजदूरों का फ़ायदा उठाकर उनसे खेती कराकर सारा लाभ स्वयं उठाया है उन्हें स्पष्ट खतरा नजर आ रहा है कि यदि लैंडलैस टिनेन्ट को जमीन मिल गई तो उन्हें मजदूर नहीं मिलेंगे। इसलिये वह इस तरह का संशोधन ला रहे हैं। अगर यह संशोधन मान लिया गया तो वे यह करेंगे कि अगर किसी लैंडलैस टिनेन्ट को कोई जमीन मिलने वाली है तो वे राज कर्मचारियों से मिलकर यह रूकावट डालेंगे कि यह मेन कल्टीवेटर नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें परिभाषा को जैसी मूल विधेयक में व्याख्या रखी गई है इसको वैसी की वैसी ही रख दिया जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लैंड लैस पर्सन की परिभाषा के बारे में विवाद चल रहा है। इसके बारे में मेरा विचार यह है कि जो इस विधेयक में लैंडलैस पर्सन की परिभाषा दी गई है वह बिलकुल उपयुक्त है। इसके बारे में जो संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूँ।

मैं निवेदन करूं कि जब सीलिंग का बिल आया था तब भी राम राज्य की तरफ से इसका विरोध किया गया था कि सीलिंग नहीं आना चाहिये क्यों कि हमारे पास जमीनें इतनी ज्यादा हैं कि जिन को हम कल्टीवेटरों को दे नहीं सकते इतनी ज्यादा हैं। और आज यह संशोधन उपस्थित किया गया है कि लैंडलैस पर्सन की परिभाषा में यह बताया जाता है कि जमीन उन्हीं लोगों को दी जावे जिनका खास प्रोफेशन कल्टीवेशन है।

३ म. प.

तो इस का मतलब यह हुआ कि जो शुरू से काश्त कर रहे हैं और जिनके पास ज़मीन है वह ही काश्त करें दूसरे नहीं। तो एक तरफ़ तो यह कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन ज्यादा है और काश्तकार नहीं हैं और दूसरी तरफ़ यह कहते हैं कि काश्तकारों को ही ज़मीन दी जाये। यानी यह मतभेद इन्हीं के शब्दों में आता है। इसका मतलब यह है कि वह यह चाहते थे कि सीलिंग न हो। इसलिए यह प्रस्ताव यहां लाया गया है जिससे सरकार को बताया जा सके कि हमारे पास काश्तकार हैं ही नहीं जिसको कि ज़मीन दें। आज जैसे प्रदेश में राजस्थान नहर बन रही है, वहां पर लाखों एकड़ ज़मीन हैं लेकिन वहां पर लोग कम हैं और ज़मीन ज्यादा है और वहां पर दूसरे जा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोफ़ेशन नया अख्तियार करते हैं तो ज़मीन उनको नहीं दी जा सकती क्योंकि आप ऐसा संशोधन लाये हैं कि काश्तकार ही काश्तकारी करें और दूसरे नहीं। जिनके पास ज़मीन पहले से है वही रखें दूसरे नहीं ....

श्री दलपतसिंह (आबू) There is no question of Jagirdar, when it will be declared that after 30 acres, no land will be given to any person, Jagirdar or anybody, else. It is a question of landless persons to be provided with land.

Page No.78

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं बताना चाहता हूं ३० एकड़ का क्यों रखा है वह हमको हटाने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह शब्द हम परिभाषा में रख देते हैं। लैंडलैस की परिभाषा वह है कि जो एक्चुअल काश्तकारी का काम करे दूसरा सवाल जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन है तो इनको तो फालतू जमीन अपने पास से देनी पड़ेगी। आज हम स्कूल खोल रहे हैं, बेसिक स्कूल खोल रहे हैं और वहां पर लड़कों को खेती का काम सिखाया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन स्कूलों में ब्राह्मणों के लड़के, महाजनों के लड़के और कारपेन्टरों के लड़के खेती का काम सीख रहे हैं अगर वह खेती करना चाहें तो वे संशोधन से नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहिले कभी खेती नहीं की, उसके बाप दादों ने खेती नहीं की और न वह काश्तकार ही थे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आपको खेती करने के लिए उचित संतोष दिलाये और अगर वह एफ़ीडेविट देते हैं तो ज़रूर उनको खेती करने का मौका देना चाहिये। मैं वकील हूँ और वकालत छोड़ता हूँ और मैं एफ़ीडेविट देता हूँ कि मैं खेती करूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी गलती न करिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां पर भूमि किस को वितरण की जायगी यह परिभाषा नहीं है। भूमि वितरण के तो नियम बने हुए हैं व बनेंगे। यहां तो लैंड लैस पर्सन की परिभाषा करने की है और पर्सनल कल्टीवेशन किस को मानेंगे उसकी परिभाषा तो टिनेन्सी एक्ट की दफा ५ के क्लॉज़ २५ में दी गई है कि अपने नौकरों से करायें या वह खुद करें उसको पर्सनल कल्टीवेशन कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा कि अगर आपको पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा को बदलना है तो टिनेन्सी एक्ट की धारा को बदलिये। लैंडलैस वह कहलायेंगे जो खुद काश्त करेंगे और ऐसी वजूहात रखते हैं जो खुदकाश्त करेंगे और जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो मुझे निवेदन करना है कि यहां पर यह कहा जाये कि दूसरे लोगों को ज़मीन दे दी जायगी। मैं कहता हूँ कि हर आदमी को कोई भी पेशा अख्तियार करने का अधिकार है। एक काश्तकार दुकान कर सकता है, कोई मनाई नहीं है, एक काश्तकार वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो क्या डॉक्टर और वकील को इसकी मनाई है कि वह काश्त का पेशा नहीं करे और वह काश्तकार नहीं बन सकता। यहां पर तो सवाल यह है कि जो आदमी खेती करना चाहे तो ऐसी स्थिति में उसको ज़मीन दे दी जाये, अगर ज़्यादा उसके पास ज़मीन नहीं है। अगर दूसरे पेशे को कोई अख्तियार करता है तो उसको वह मौका दिया जाना चाहिये। जो संशोधन आया है यह सीलिंग को फ़ेल करने के लिए लाया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): मंत्री महोदय की तरफ से यह क्लियर हो जाना चाहिये कि यह सीलिंग की ज़मीन जो जोतते हैं उनको ही दी जायगी। या नया प्रोफेशन करने वालों को भी दी जायगी ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: बिलकुल मिलेगी। इस एक्ट के प्रावधान के मुताबिक मिलेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : तो उसको क्लियर करना चाहिये।

Page No.79

राजा श्री मानसिंह (कपूर) : Sir, I do oppose the Bill as a whole, but as we are considering it clause by-clause will speak on clause 2 only. I feel that sometimes the Hon'ble Member piloting the Bill makes a mistake and puts in some clauses which are justified. The denifition of 'landless person' which has been included in the Bill is quite correct.

The word 'agriculturist' has been defined in the Tenancy Act as a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding. "Land cultivated personally" has also been defined therein under Section 5, sub-section (25) as:—

"land cultivated personally" with all its grammatical variations and cognate expressions, shall mean land cultivated on one's own account, by one's own labour, or by the labour of any member of one's family or by servants on wagespayable in cash or in kind but not by way of a share in crops, or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family or one's paid manager or a salaried agent.

Provided that in the case of a person who is a widow or a minor or is subject to any physical or mental disablity or is a member of the military naval or air service of India or who, being a student of an educational institution recognised by the State Government is below the age of twenty five years, land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision".

The only thing that does hit my mind is this one word 'profession'. The Cabinet consists mainly of lawyers and, of course, a loophole must be made in every Bill or Act for the lawyers to earn their livelihood. This one word, Sir, will create much harm to the people who are to get land in the future and at the same time will lead to corruption.

This word 'profession' should, therefore' be deleted and I will request the Hon'ble Minister to consider this. In other respects, the definition contained in the Bill is quite correct except for one word 'profession'.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, दो अमेन्डमेन्ट्स हाउस के सामने हैं, एक तो फ्रेग्मेन्ट के ऊपर है और दूसरा पर्सनल कल्टीवेशन के ऊपर, उसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर है। दूसरा अमेडमेंट माननीय सदस्य जो सांचोर से आये हुए है उन्होंने पेश किया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काफ़ी बहस इसके ऊपर हो रही है, खास तौर पर बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उनको इस बात की बहुत जल्दी है, वे जानना चाहते हैं कि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन लैण्डलैस टिनेन्ट्स को होगा और कैसे होगा। सदन में सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तब और जब यह बिल पेश हुआ और बाद में जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तब काफ़ी बहस इस पर हुई है, और उस बह।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के दौरान में मैं उसका जवाब देते हुए जो नीति सरकार की है उसको मैंने बहुत ही स्पष्ट रखा है और उसी नीति के आधार पर इस बिल को बनाया गया था। सिलेक्ट कमेटी ने खास तौर से इस बात को ध्यान में रखा है। बहुत से माननीय सदस्य जो कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स थे उन्होंने लैण्डलैस टिनेन्ट्स पर काफी बहस की है और बहस करने के बाद दूसरे स्टेट्स ने जो लैण्डलैस टिनेन्ट्स की डेफ़िनेशन की है, उसको प्लानिंग कमीशन ने किस तरहसे सोचा था, इन बहुत सारी बातों को गौर करके सिलेक्ट कमेटी ने इस डेफ़िनेशन को रखा है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही है कि जो ज़मीन हम सीलिंग से लेना चाहते हैं वह हम उनको जिनको भूमिहीन किसान हम कहते हैं, देना चाहते हैं। यह कहना कि वकील, डॉक्टर या शहर में रहने वाले लोगों को दे देगें बिल्कुल ग़लत है। इस डेफ़िनेशन से मैं आपको बतलाऊंगा कि दरअसल में डेफ़िनेशन के अन्दर जो एप्रिहेन्शन बहुत से माननीय सदस्यों ने ज़ाहिर किया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। जो अमेंडमेंन्ट पेश किया गया है और समझता हूं कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने यह पेश किया है वह खुद टिनेन्सी एक्ट के जो और प्रोविज़न्स है जिनको भरतपुर सेआने वाले माननीय सदस्य ने रेफ़र किया था उनको अगर ध्यान में रखा जाता तो मेरे ख़याल से इस प्रकार के अमेंडमेंट पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। यह अलग बिल नहीं बन रहा है बल्कि मेन प्रिन्सिपल बिल में एक अमेंडमेंट है। उसमें जो टर्म ऑलरेडी डिफ़ाइन्ड है, दुबारा यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

आप से मैं अर्ज करूं कि जहां तक इस डेफ़िनेशन का ताल्लुक है, इसको अगर आप देखेगें तो डेफ़िनेशन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अन्दर ज़रा सी भी गुन्जायश हो इस बात का शक करने की कि किसी लैण्डलैस टिनेन्ट के अलावा, लैण्टलैस पर्सन के अलावा, दूसरे को ज़मीन अलॉट हो जायगी। इस टिनेन्सी एक्ट में एग्रीकलचरिस्ट को डिफ़ाइन कर रखा है कि एग्रीकल्चरिस्ट वह होगा whose principal source of income is agriculture. यह साफ़ लिख रहा है इसलिए यह कहना कि शहर के रहने वालों को, वकील, डॉक्टर, व्यापारी या तिजारत करने वालों को ज़मीन दे देगें, यह एप्रिहेन्शन, धारणा, ऐसा ख्याल करना मैं समझता हूं कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है अगर एग्रीकल्चरिस्ट की डेफ़िनेशन को आप देखेगें तो।

इसी तरह से पर्सनल कल्टीवेटर का फेक्टर इसके अन्दर लिख दिया गया है, he must be an agriculturist by profession.

दूसरी बात यह है कि पर्सनल कल्टीवेशन करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। यह इस के अन्दर खास तौर पर है। पर्सनल कल्टीवेटर की डेफ़िनेशन ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में दी गई है। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आने वाले है उन्होंने कहीं पर पुरानी डेफ़िनेशन पढ़ी है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, क्योंकि टिनेसी एक्ट में बहुत से अमेंडमेंट्स किये गये हैं, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है इसलिए मैनेजर का कह दिया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर्सनल कल्टीवेटर की डेफ़िनेशन करके इस लेवल पर ले आये हैं कि कोई पोसिबिलिटी नहीं है कि मैनेजर रखकर और खुद शहर से रह कर ऐसा कर सकें। उसके अन्दर यह जरूरी है कि मेनेजमेंट खुद का होना चाहिए या मेम्बर्स ऑफ़ दी फ़ेमिली का होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट को पर्सनल कल्टीवेटर में रख दिया है तो कोई इत्मिनान नहीं है कि शहर में रहेगा या और जगह चला जायगा और जमीन किसी और से काश्त करवावेगा। दूसरी बात, क्राप शेयरिंग को प्रोहिबिट कर दिया है। वह लेबर एन्गेज कर सकता है। उसको वेजेज़ पे करता है he has to pay wages, but he cannot share crops with them. इस एलीमेंट को इसलिये इन्ट्रोड्यूस किया है कि पर्सनल कल्टीवेटर में जो सब-टिनेन्ट इन्ट्रोड्यूस हो जाते हैं और दूसरे पर्सनल कल्टीवेशन का डेफ़िनेशन है उसमें रेज़िडेन्स का एरिया मुकर्रर नहीं किया है कि within the rapious of five miles रिसायड करता है। या रिसायड करता है। यह पॉइण्ट बाकी रह या within the radious of five miles within the radious of en miles जिसके लिए कानून में एमेंडमेंट लाने के लिए विचार किया जा सकता है। आज पर्सनल कल्टीवेशन का डेफ़िनेशन सदन के सामने विचार के लिए नहीं है। इसलिए जो विचार यहाँ पर माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है वह बात नहीं है। इन दोनों डेफ़िनेशन्स के अन्दर यानी "एग्रीकल्चरिस्ट" और "पर्सनल कल्टीवेशन" के अन्दर यह बात कही गई है कि पर्सनल मेनेजमेंट उसका रहेगा। हम यह मानते हैं कि लेबर के लिए इसमें है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर बतलाया, इस डेफिनेशन के अन्दर, मैं आपको सही बात कहना चाहता हूँ कि वही आदमी हो जो खुद किसानी करता है वह लेबर एन्गेज नहीं कर सकता है, सर्वेन्ट्स एन्गेज नहीं सकता है, तो मैं अर्ज करूंगा कि जो काश्तकारी करने वाले साहबान हैं वे इस बात को जानते है कि बगैर इसके किसान का काम नहीं चलता है। हर फेमिली को किसी न किसी तरीके के लेबर को एन्गेज करना पड़ता है इसलिए अगर वे पर्सनल कल्टीवेशन के डेफिनेशन के अन्दर यह चाहते हैं कि लेबर को, हायर्ड लेबर को बिल्कुल ही निकाल दिया जाय तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बगैर एग्रीकल्चर नहीं चल सकता है, अगर किसान खेती नहीं कर सकता है अगर उसको इस बात की इजाजत नहीं दी जाय तो उसका पर्सनल मेनेजमेंट इन्वेल्व्ड होना चाहिए वह डेफिनेशन के अन्दर ऑल-रेडी मौजूद है। पर्सनल कल्टीवेटर के अन्दर मैनेजर का प्रोविजन था उसको हमने डिलीट कर दिया है। क्राप शेयरिंग को डिलीट कर दिया है, और यह रखा गया है कि हायर्ड लेबर रखेंगे। पर्सनली उसका या उसकी फेमिली का मेनेजमेंट रहेगा, और पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन मौजूद है। 'agriculturist' को डिफाइन कर रखा है, whose sole and principal source of livelihood is agriculture. तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि दूसरे आदमी आजायेंगे और ऐसे आदमी आजायेंगे जो कि लैंडलैस लेबर नहीं हैं, उनको जमीन दे देंगे। इसलिए आप इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर पढ़ने की कोशिश करें।

दूसरी बात है कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो कोई कमी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं रहती इस डेफिनेशन के अन्दर।

माननीय जो हमारे भरतपुर से आये हुए सदस्य हैं वे कहते हैं कि केबिनेट में वकील है इसलिये इसको वकीलों के लाभ के लिए रखा है। फर्क इतना ही है कि वे लेटेस्ट अमेन्डमेंट की जानकारी नहीं रखते हैं और पुराने सन् ५४ के लॉ की जानकारी रखते हैं।

(हंसी)

राजा श्री मानसिंह (वैर) : This is Tenancy Act.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is un-amended Act. There have been many amendments in it.

एक माननीय सदस्य : वे प्रगतिशील हैं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जो डेफिनेशन दिया गया है इसके ऊपर बहुत जोर दिया कुछ माननीय सदस्यों ने "or can reasonably be expected to cultivate land personally..............." मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जितना एग्रीकल्चर लेबर है अगर यह बात नहीं रखते हैं तो जो बहुत से लोग मजदूरी करते हैं, खेती की मजदूरी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, अगर यह बात नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि 'एग्रीकल्चर' का एप्रिहेन्शन जो होगा कि वही आ सकता है वरना आने की गुन्जायश नहीं है। यह बिलकुल गैरवाजिब बात होगी। इसका इन्टरप्रिटेशन जब लॉ में किया जाता है तो खास तौर से देखा जाता है कि रीज़नेबली एक्सपेक्टेड जैसा कि माननीय भरतपुर से आये हुए सदस्य ने कहा था कि रीज़नेबली एक्सपेक्टेड का मतलब यह है कि योग्यता होनी चाहिए। वह खेती कर सकता है तो पहली बात यह देखी जायगी कि खेती करने की शक्ति हो। पर्सनल कल्टीवेटर के एलीमेंट में हल पकड़ने का तो कोई सवाल नहीं है। पहली बात यह देखनी पड़ेगी कि वह पर्सनल कल्टीवेशन कर सकता है या नहीं........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उसकी जांच क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से माननीय सदस्य इस बात को नहीं जानते हैं कि He is also a member of that Committee and if he is not capable of judging......कौन रीज़नेबली एक्सपेक्टेड है ? यह तो हो सकता है कि देखना पड़ेगा कि यह खेती कर सकता है या नहीं........।

श्री मोहरसिंह (चूरु) : आपके पास इसका आधार क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आधार मैं बतला रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिये। आधार में बतला रहा हूँ कि खेती करने वाले मजदूर हो, जिनका मेन सोर्स ऑफ लिविंग खेती है वे पर्सनल कल्टीवेशन करने के काबिल हैं उन्हीं लोगों को जमीन मिलेगी। कल से मान लो कि आर्म्ड पर्सनल-डिस्चार्ज होकर आते हैं उनको क्या जमीन नहीं मिलेगी ? जो पोलिटिकल सफरर्स हैं उनको इस रूल के अनुसार किसी तरह की जमीन नहीं मिलेगी। यह नहीं हो सकता है। मैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आपकी बात खूब समझता हूँ। आप समझने की कोशिश करें। आपका कोई एमेंडमेंट नहीं है, और जिस एमेंडमेंट को आप सजेस्ट करते हैं वे एमेंडमेंट करने वाले खुद नहीं समझते है कि किसी लीगल फ्रेज्योलोजी में बैठाकर टिनेन्सी एक्ट में एमेंडमेंट नहीं हो सकता है। पर्सनल कल्टीवेशन और 'एग्रीकल्चरिस्ट' को डिफाइन कर रखा है, इसलिए इसको यहां वापिस करने की आश्यकता नहीं रहती है। इस डेफिनेशन के अंदर हम उसको इन्सर्ट कर नहीं सकते जो वे चाहते हैं। मैं बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझ सका हूँ कि वे चाहते क्या हैं? केवल भूमिहीन का नारा लगाकर उनकी वकालत करना चाहते हैं तो मैं अदब से कहता हूँ कि इस डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छी डेफ़िनेशन भूमिहीन के लिये कोई हो नहीं सकती। आप यदि चाहते हैं कि जो मजदूरी करते हैं उनको जमीन मिले तो यही डेफ़िनेशन उपयुक्त है। आप यदि चाहते हैं कि जो खेती करते हैं, उनको ही जमीन मिले तो जो लोग मजदूरी करते हैं मिलों में या और कहीं उनके लिये यदि यह चाहते हैं कि उनको जमीन नहीं मिले तो ऐसी नीति न तो सरकार की है और न दूसरे लोग ही ऐसा चाहते होंगे। यह कोई नहीं चाहता होगा कि उनको एग्रीकल्चर पर कमाने का मौका नहीं दिया जाय। इसलिए यह जो डेफ़िनेशन दी है लैंडलेस टिनेन्ट्स की वह बिल्कुल ठीक है।

श्री मोहरसिंह : इसमें आप यह स्पष्टीकरण करेंदें कि आपको कैसे पता लगेगा कि वे जमीन पर खेती करते हैं, इसका आप के पास क्या रेकॉर्ड है?

श्री दलपतसिंह (आबू) : इसमें यह और जोड़ दिया जाय "or can reasonably be expected to cultivate..." के बजाय "or is an old agriculturist labour..."

श्री दामोदरलाल व्यास : सिलेक्ट कमेटी ने कई जगह की डेफ़िनेशन रखी थी। कोई यदि यह एक्सप्रेस करे कि मैं खेती करूंगा That has been considered by the select committe. इसका मतलब यह है कि सब बातें देखी जायेंगी कि आया वह आदमी पर्सनली कल्टीवेशन कर सकता है या नहीं। उसका कोई दूसरा धन्धा main source of livelihood तो नहीं है। अलॉटमेन्ट कमेटी इन सारी बातों पर गौर करेंगी। उसमें इस सदन के सदस्य होंगे, सरपंच होंगे, तहसील पंचायतों के प्रधान भी होंगे अभी जो अमेन्डमेन्ट किया है उसके अनुसार। इसके अलावा अलॉटमेन्ट का तरीका ऐसा है कि मजमाए आम में गांव में अलॉट की जायगी। जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं उनके बारे में मजमाए आम, जनरल मीटिंग ऑफ दि विलेज में जो, अलौटमेन्ट होगा वह ठीक होगा। इसलिये यह जानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि लैंड लेस टिनेन्ट है या नहीं........

श्री मुरलीधर व्यास : अलॉटमेन्ट करने वाला कानून साफ़ होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून बिल्कुल साफ़ है समझने की देरी है। it is very clear.

दूसरी बात फ्रेगमेन्ट के लिये यह रखी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गई है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट की यह पॉलिसी है कि जमीन पहले लैंडलैस टिनेन्टस को दी जायगी और जिसके पास फ्रेगमेन्ट है उसको रूल नंबर २ रखेंगे। हमने इस चीज को रूल्स में रिजर्व किया है। फ्रेगमेन्ट रखने की जरूरत इसलिये पड़ी है कि राजस्थान में रिजर्व किया है। फ्रेगमेन्ट रखने की जरूरत इसलिये पड़ी है कि राजस्थान में ऐसे कई डिस्ट्रिक्टस है जहां जमीन पर काफी प्रेशर है और कई ऐसे डिस्ट्रिक्टस हैं जो सेन्डी हैं और जिनमें जमीन काफी है। जहां जमीन ज्यादा मिलती है और लैंडलैस की तादाद कम है तो वहां रेस्ट्रिक्शन लगाना उचित नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है। जब फर्स्ट प्रायोरिटीवालों की जरूरत पूरी होगी तभी फ्रेगमेन्टवालों को अलॉट की जायगी। इसलिये फ्रेगमेन्ट लफ्ज रहना चाहिये, इसको ओमिट करने की जरूरत नहीं है। रूल्स में प्रोविजन कर दिया जायगा। प्रायोरिटी उनको दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है और दूसरी बात then only the land will be allotted to those people who have got fragmented lands. The second priority will be for those having uneconomic holdings, if surplus land is available.

श्री मुरलीधर व्यास : एलॉटमेन्ट कोऑपरेटिव से करेंगे या किससे करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Honble Member should know the land policy of the Government, and that is that co-operative society of landless tenants gets first priority.

राजा श्री मानसिंह : 'Tenant' is a person who has got land. Landless agriculturists do not have any land.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then there is another amendment by Hon'ble Member from Salumbar that the definition of fragment should be changed and it should be 3 acres of irrigated and 9 acres of unirrigated land. मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सैक्शन ५३ ऑफ दी टिनेन्सी एक्ट में डिविजन ऑफ होल्डिंग्ज पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज न हों और उसको चैक करने के लिये सैक्शन ५३ में प्रोविजन किया है कि कितनी लिमिट होगी। मान लीजिये कहीं ६ एकड़ अनइकोनोमिक मानी जाय but what about Barmer, Jaisalmer and other desert areas जहां ५० एकड़ भी अनइकोनोमिक मानी जायगी इसलिये यहां पर लिमिट नहीं रखकर सैक्शन ५३ में जो लिमिट रखी गई है वह बिलकुल ठीक है। इसलिये बिल्कुल रिजिड लिमिट नहीं रख कर जो डेफिनेशन फ्रेगमेन्ट की रखी गई है वह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ मैंने काफी कोशिश की है आपको समझाने की, आप उसे समझें। मंशा गवर्नमेन्ट की भी वही है जो आप चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीगल फ्रेज्योलोजी भी बिल्कुल ठीक है। रीजनेबल का आप यह मतलब नहीं समझें कि चाहे जो घुस जायगा। हमने डिफाइन कर दिया है। जो नॉनएग्रीकल्चरिस्ट है और जिसका प्रिन्सिपल सोर्स ऑफ इन्कम लैंड से नहीं है उसको जमीन नहीं मिलेगी।

Page No.85

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है....

श्री उपाध्यक्ष : There can be no discussion now.

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं इसे विड्रा नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने क्लॉज २ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज २ स्वीकार की गई।

क्लॉज ३। Dr. Bahadur Singh to move his amendment.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में वह चेप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेन्ट है और क्योंकि हमारा यह पहला दिन है और बहुत से अमेंन्डमेंन्ट आ नहीं सके हैं ऐसी अवस्था में इस इम्पोर्टेन्ट क्लॉज को कल लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३ (बी) पर डॉक्टर बहादुर सिंह बोलने के लिए तैयार हैं उसमें असुविधा नहीं है। I will consider this issue after we come to the second amendment.

डॉ बहादुरसिंह : मेरा निवेदन यह है कि इसमें बहुत आइटम्स हैं उनको एक एक करके लिया जाय।

राजा श्री मानसिंह : There are many sub-sections to this clause and we request you to take it sub-section-wise.

श्री उपाध्यक्ष : I am taking in the same way as you suggest.

राजा श्री मानसिंह : No sir. You have asked the Hon'ble members to move their amendments to section 30 B.

श्री उपाध्यक्ष : There is only one amendment in clause 30 B and I have asked him to move it.

राजा श्री मानसिंह : Yes. But before you come to 30 C, all the amendments to 30 B may be moved.

श्री मुरलीधर व्यास : अमेन्डमेन्ट बहुत से लोग रखना चाहते हैं। और समय थोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : जो नहीं रखे गये हैं उनको तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री तनसिंह : क्लॉज ३ (बी) आज डिसाइड नहीं होगा, कल भी अमेन्डमेन्ट आ सकते हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ३० डिसाइड नहीं होगा, आपका मतलब है, सबके सब क्लॉजेज एक साथ रखे जांय, इसलिए यह नहीं रखा जा सकता है।

श्री तनसिंह - मेरी अर्ज है कि चेप्टर महत्व पूर्ण मसलों से डील करता है। हम अमेन्डमेन्ट नहीं दे सकते इसलिए कि आज ही अजेण्डा मिला है, वैसे टोटल मालूम था, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ऐसा यह आज मालूम हुआ कि आज लिया जायेगा, इसलिए पहले दूसरा बिल था। ऐसी अवस्था में हम सोच रहे थे कि आज टैक्सेजबिल लिया जायेगा, यह कल लिया जायेगा। मेरा निवेदन है कि हम ३० बी, ३० सी वगैरह में अमेन्डमेन्ट देंगे, अगर अमेन्डमेन्ट आज दिये जायेंगे तो असुविधा रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका आशय, आपने पहले कहा, तब ही समझ गया। But we can take up 30 B to-day.

राजा श्री मानसिंह : Sir I would like to submit that we adjourn today and the Hon'ble members would sit ext a time on any other day to make up the time.

श्री उपाध्यक्ष : But have you taken the sense of the House that they can sit for extra hours.

राजा श्री मानसिंह : Sir I am speaking about this side.

श्री दामोदरलाल व्यास : No sir, I would oppose it. As a motter of fact : Section 30 C can be started tomorrow and discussion may go on up tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : I will take the pleasure of the house.
Is it the pleasure of the house to adjourn ? (हां और ना की आवाजें)

श्री रघुबीर सिंह (राजगढ़): जबरदस्ती आप क्यों करा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not proper sir. This session has been called only for this Bill.
उसमें भी आप तैयार होकर नहीं आये तो कोई बात नहीं।

श्री तनसिंह : आज का अजेन्डा आज ही मिला है, यह इन्फोर्मेशन आज ही मिली कि सीलिंग बिल आज ही लिया जायेगा, we were under the impression that Sales Tax Rules Bill will be taken today.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप की डिफिकल्टी समझ गया, आप क्या चाहते हैं ?

श्री तनसिंह : मेरी डिफिकल्टी यह है कि आज अजेण्डा मिला है। हम समझते थे कि सीलिंग बिल कल लिया जायेगा और सेल्स टैक्स बिल आज लिया जायेगा। घर पर मिलता और वहां से अमेन्डमेन्ट भेजते तो असुविधा होती। वहां मिला नहीं, आज

Page No.87

(श्री तनसिंह)

मिला है, अगर आज अमेन्डमेन्ट देते तो सर्कुलेट नहीं हो सकते, इसलिए कल अमेन्ड-मेन्ट रखे जायेंगे। क्लॉज दो अनइम्पोर्टेन्ट था। इसके बाद इम्पोर्टेन्ट क्लॉजेज़ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Government will agree to this proposal.

श्री दामोदरलाल व्यास: Okay, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : So we adjourh to meet tomorrow at 11 P. M.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३ बजकर ३४ मिनट पर, १ दिसम्बर, १६५६, ११ म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।]

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ३० नवम्बर, ५९)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
पहाड़ी व अन्य अभावग्रस्त तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला हार्ड ड्यूटी अलाउन्स।	१
माध्यमिक शालायें, ग्राम दीगोद तथा अयाना–कोटा।	
ज़िला जयपुर में हरिजनों को भवन निर्माण व नई बस्तियों की स्थापना हेतु दी गई सहायता।	
वैगन फैक्ट्री व बिजलीघर, भरतपुर के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा।	
दौसा सब–डिविज़न के अध्यापकों का बकाया वेतन।	
पलाना की कोयले की खानों से लाभ।	
केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण।	
ग्राम धूंवा (टोंक) में मोती सागर नामक तालाब के लिये अवाप्त भूमि का मुआवज़ा।	
पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के मार्फत विकास योजनाओं का निर्माण।	

	स्कम्भ
श्रमिक बस्ती, भीलवाड़ा।	
कन्या पाठशाला-ग्राम वाटिका (सांगानेर) की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन।	
श्रीनाथजी (नाथद्वारा), कल्याणजी (डिग्गी) तथा गोविन्दजी (जयपुर) के मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश।	
अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड दिया जाना।	
सरकारी विभागों को बिक्री कर से मुक्ति।	
प्रश्नों पर होनेवाला सरकारी व्यय।	
मौजा सिकन्दरा, तहसील सिकराय के स्वर्गवासी महन्त की सम्पत्ति के वारिस की नियुक्ति।	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि।	
एस. टी. सी. केन्द्र।	
ग्राम पंचायतों को म्यूटेशन करने हेतु प्रदत्त अधिकार।	
तहसील आमेट (उदयपुर) द्वारा हरे वृक्षों को काटने हेतु जारी किये परमिट।	

स्कम्भ

स्थगन प्रस्ताव ५८

बूंदी के बीड़ी-कारखाने की ताला-बन्दी के कारण उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित श्री मुरलीधर व्यास के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ६०

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (६१), सदस्य, विधान सभा,को दिनांक ३०-११-५६ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ६८

निम्न लिखित पत्र सदन की मेज पर रखे गये:—

(क) वित्तीय लेखे १९५७–५८, एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८

(ख) राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण अध्यादेश, १९५९

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति ७०

सचिव, विधान सभा, ने गत दो सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी। वे विधेयक इस प्रकार है:—

स्कम्भ

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक। ७०

(1) The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill, 1959.

2. The Rajasthan Municipalities Bill, 1959.

3. The Rajasthan Transport Authorities (Constitution and Proceedings) Validating Bill, 1959.

4. The Dungarpur State Devasthan Nidhi (Amendment) Bill, 1959.

5. The Rajasthan Sub-Grants Resumption Bill, 1959.

6. The Rajasthan Hindu Public Trusts Bill, 1959.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक ७०

1. The Rajasthan Settlement Rents Retrospective Application (Validation) Bill, 1959.

2. The Rajasthan Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and Production of Documents) Bill, 1959.

3. The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Bill. 1959.

स्कम्भ

कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उप-स्थापन ७०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मंत्री ने कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उप-स्थापन किया।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गयेः—

(क) राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १६५६

(ख) राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६

कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार ७१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मन्त्री, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गयाः—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है"।

स्कम्भ

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान बिक्री कर नियम वैधकरण विधेयक, १६५६ ७२

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, आबकारी तथा कर विभाग, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान टिनेन्सी छठा संशोधन) विधेयक, १६५८ ८०

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ः—

इस खण्ड पर दो संशोधन प्रस्तुत किये गये। इन पर की गई बहस में १८ सदस्यों ने भाग लिया। वाद-विवाद के पश्चात् खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये]

Critaria for upgrading Primary Schools to Middle School.

(b) Middle Schools.

Primary Schools having a total strength of 100 boys with 15 students in Vclass could upgraded provided:—

(1) There should be no Middle or High Schools within the radius of 10 miles.

(2) There should be about 5 feeder schools within the radius of 10 miles.

(3) The number of students in class VI should be at least 20.

(4) The public should be prepared to provide a suitable building.

(5) If there is no Middle School at Tehsil Headquarters that should be given first preference.

Page No.92

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये]

वित्तीय वर्ष १९५७–५८ व ५८–५९ में जिला जयपुर में मकान बनाने के हेतु जिन जिन स्थानों व जिन-जिन कार्यों के लिये सहायता दी गई उनकी सूची।

स्थान	तहसील	परिवार संख्या	दर	परिवारों को दी गई सहायता की रकम	पंचायत घर के लिए	पीने के पानी के कुंए के लिए सहायता	गांव के विकास के लिए सहायता.	कुल स्वीकृत रकम
				वर्ष १९५७–५८				
सांगानेर	सांगानेर	५०	३५०	१७,५००	६०००	२०००	५०००	३०,५००
फतेह टीबा	जयपुर	४३	३५०	१५,०५०	६०००	२०००	५०००	२८,०५०
पौमूं	आमेर	६	३५०	२१००	–	–	–	२१००
				वर्ष १९५८–५९				
फतेह टीबा	जयपुर	४०	३००)	१४२५०	–	–	–	१४२५०
”	”	३	७५०)					
कुन्दनपुरा	सांगानेर	२२	१५०)	४८००	–	–	–	४८००
”	”	२	७५०)					

१	२	३	४	५	६	७	८	९
सांगानेर	सांगानेर	५०	१५०	७५००	–	–	–	७५००
लालावाला	बस्सी	७	२००	१४००	–	–	–	१४००
चौमूं	आमेर	६	२००	१२००	–	–	–	१२००
लखेसरा	सांगानेर	८	३५०	२८००	–	–	–	२८००

नोट—वर्ष ५८–५९ में सहायता उन्हीं परिवारों को दी गई है, जिनके मकान अधूरे बने हुए थे ताकि वे अपने मकान पूरे करवा सकें।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SOWING THE NAMES OF THE PERSONS TO WHOM COMPENSATION WAS PAID

S. No.	Name of owner	Father's name	Caste	Village	Amount	REMARKS
1.	Keara	Rodu	Lohar	Dhuwan	468/-	Old well and Advani
2.	Nanoo	Hardewa	Gujar	-do-	288/-	-do-
3.	Ram	Narain	Mahajan	-do-	76/-	-do-
4.	Ram Kanwar	Jagan Nath	Gujar	-do-	36/-	-do-
5.	Ladhu	Sundar Lal	Patawari Mahajan	-do-	94/-	-do-
6.	Devia	Shri Kishan	Meena	-do-	82/-	-do-
7.	Jagan Nath	Balu	-do-	-do-	64/-	-do-
8.	Lakkha	Madhu	-do-	-do-	40/-	-do-
9.	Bhura	Bakhtawar	Mali	-do-	579/-	-do-
10.	Choga	Birdha	Bhil	Muglana	85/-	-do-
11.	Birma	Goru	Chamar	—do—	352/—	—do—
12.	Lodkia	Raghunath	Lohar	—do—	225/—	—do—
13.	Sukdeva	Herala	Balai	—do—	309/—	—do—
14.	Koria Bh	Bhura	Meena	—do—	904/—	—do—
15.	Ladhu	Chhatar	Chamar	—do—	224/—	—do—
16.	Sonia	Madhu	Meena	—do—	86/—	—do—
17.	Sundra	Chhotu	Kanihar	Choti Dhuwan	221/—	—do—
18.	Abdul Rahman	Allabanda	Nilgar	Dhuwan	736/—	—do—
19.	Madhu	Lachu	Meena	Choti Dhuwan	249/—	—do—

१	२	३	४	५	६	७
20.	Bhura	Kanwaria	Mali	Dhuwan	694/—	Old well and Advani
21.	Ram Narain	Bodhu	Mali	—do—	672/—	—do—
22.	Bhura	Bal Dewa	Meena	—do—	456/—	—do—
23.	Jagan Nath	Sarwana	Jat	—do—	144/—	—do—
24.	Ladhu Lal	Jamna Lal	Brahman	—do—	1,026/—	—do—
25.	Makhan Lal	Sheo Kumar	,,	—do—	518/—	—do—
26.	Lakha	Madhu	Mooru	—do—	244/—	—do—
27.	Mangala	Sri Kishan	,,	—do—	76/—	—do—
28.	Bakhtawar	Balai	,,	—do—	705/—	—do—
29.	Onkar	Jagan Nath	Khati	—do—	510/—	—do—
30.	Kalyan	Ram Sukh	Khati	—do—	75/—	—do—
31.	Nanga	Sri Kishan	Meena	—do—	76/—	—do—
32.	Onkar	Jagan Nath	Khati	—do—	317/—	—do—
33.	Bhura	Kana	Dhaker	—do—	250/—	—do—
34.	Mool Chand	Kalyan	Brahman	—do—	323/—	—do—
35.	Jagdish	Sri Narain	Bhora	—do—	663/—	—do—
36.	Phul Chand	Kanwar Lal	Mahajan	—do—	731/—	—do—
37.	Raghu	Narain	Bakar	—do—	201/—	—do—
38.	Ram Pal	Narain	Mahajan	—do—	905/—	—do—
39.	Gangle	Birdua	Phorakeer	—do—	383/—	—do—
40.	Gopal	Bajarang	Khati	—do—	264/-	-do-
41.	Mangi	Manna	Chamar	-do-	60/-	-do-
42.	Kalu Khan	Moshmmed Khan	Muslim	-do-	76/-	-do-

१	२	३	४	५	६	७
43. Jagannath	Sukha	Balai	Dhuwan	65/-	Old well and Advani
44. Harbhajan	Har Dewa	Gujar	-do-	55/-	-do-
45. Sukha	Sri Kishan	Chamar	-do-	363/-	-do-
46. Nanu	Har Dewa	Gujar	-do-	212/-	-do-
47. Bakhtawar	Chimna	Mali	-do-	422/-	-do-
48. Goru	Chitter	Dholi	-do-	194/-	-do-
49. Harji	Kana	Gujar	-do-	194/-	-do-
50. Goga	Kumar	Chamar	-do-	212/-	-do-
51. Bakhtawar	Dulia	[illegible]	-do-	98/-	-do-
52. Kaloo	[illegible]	[illegible]	-do-	63/-	-do-
53. Dewa	Nanoo	Gujar	-do-	70/-	-do-
54. Devia	Dhoolia	Chamar	-do-	44/-	-do-
55. Pokhar	Mangia	-do-	-do-	44/-	-do-
56. Gopa	Kamar	-do-	-do-	84/-	-do-

GRAND TOTAL Rs. 15,915/—

34 wells
22 Advani Say Rs. 16,000/—

———

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिए]

Districtwise Expenditure Incurred During 1959-60 (Up-to August, 1959) Under Plan Schemes.

(Rs. in Lakhas.)

S. No.	Itemes	Agriculture	Consolidation of Holdings	Animaly Husbandry	Cotoperation.	Forest & Soil Conservation	Fisheries.	C. D. & N. E. S.	Irrigation	Power	Industries	Mineral Development	Roads	Education	Medical & Public Health	Ayurved	Water Supply	Housing	Labour & Labour Welfare	Social Welfar & Welfare of back-ward classes	Publicity	Statistics	Mandis	Tourism
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Expenditure in Districts																							
1.	Ajmer	1.06	-	0.28	0.25	0.65	0.01	1.41	3.06	0.24	1.22	-	1.85		0.47	0.25	0.62	1.63	0.38	0.24	0.01	0.04	-	0.38
2.	Alwar	0.09	-	0.33	0.21	0.35	Neg.	0.92	-	0,38	0.17	-	3.22		0.35	0.08	Neg.	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.10
3.	Bharatpur	0.15	-	0.04	0.25	0.40	Neg.	1.11	0.40	0.93	0.13	-	2.77		0.34	0,07	-	0.06	0.02	0.10	0.02	0.01	-	0.02
4.	Jaipur	0.40	2.20	0.81	0.09	0.33	0.03	0.66	0.03	1.37	2.13	-	5.28		0.69	0.09	0.14	5.00	0.41	0.17	0.50	0.02	-	0.19
5.	Jhunjhunu	0.12	-	0.08	0.08	Neg	-	0.32	-	-	0.18	-	2.79		8.12	0.07	-	-	-	-	0.01	-	-	-
6.	Sawai Madhopur	0.27	-	0.10	0.22	0.11	0.01	0.72	0.36	0.43	0.17	-	3.03		0.05	0.07	-	-	0.04	-	0.01	0.01	-	-
7.	Sikar	0.17	-	0.06	0.20	0.14	-	0.36	-	0.05	0.33	-	3.48		0.13	0.06	0.01	0.03	-	-	0.02	-	-	-
8.	Tonk	0.11	-	0.04	0.10	0.17	-	0.22	3.09	0.33	0.29	-	2.46		0.02	0.06	-	0.02	0.03	-	0.01	-	-	-
9.	Bikaner	0.07	-	0.55	0.13	0.01	-	0.40	0.04	0.04	0.47	-	0.63	N	0.30	0.06	5.08	1.90	0.34	0.03	-	0.01	-	-
10.	Churu	0.17	-	0.12	0.02	0.01	-	0.19	-	-	0.18	-	0.27	O	0.23	0.08	0.13	-	-	-	0,01	-	-	-

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर देखिए)

तहसील आमेट द्वारा हरे दरख्त काटने का लाइसेन्स इजरा किये गये उसकी सूची सन् १९५९.

नम्बर शुमार	नाम आसामी मय सकूनत	जिस कार्य के लिये दरख्त काटने की इजाजत दी गई।	तादाद वृक्ष
१.	श्री केसरसिंह सा० किशनपुरिया	फसल में नुकसान होने से	७
२.	श्री शोभालाल सा० सरदारगढ़	,,	१०
३.	श्री माधुसिंह सा० किशनपुरिया	,,	१५
४.	श्री मोडा सा० नायला	,,	१३
५.	श्री भूरा सा० गादरोला	,,	४
६.	श्री मोना सा० सरदारगढ़	,,	८
७.	श्री मोहनलाल सा० भादरा	,,	१०
८.	श्री भक्ता सा० किशनपुरिया	,,	८
९.	श्री मोडसिंह सा० सरदारगढ़	तकाबी की अदायगी	३५६
१०.	श्री लच्छीराम सा० आमेट	फसल में नुकसान होने से	१०
११.	श्री भूरा सा० धोसुन्डी	,,	२०
१२.	श्री टेका सा० हवाला	,,	२८
१३.	श्री हगु सा० डींगरोल	,,	४०
१४.	श्री दोला सा० ,,	,,	१०
१५.	श्री लच्छू सा० किशनपुरिया	,,	१२
१६.	श्री रामचन्द्र सा० किशनपुरिया	,,	३५
१७.	श्री जयराम सा० डींगरोल	,,	३५

कुल वृक्ष ६१४

शुद्धि-पत्र

(सोमवार ३० नवम्बर, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६	४	प्रार्थना-प्रत्र	प्रार्थना-पत्र
१३	१८–१९	Miniister of power	Minister of Power
३३	अन्तिम से ४	heppen	happen
६१	१	एजोर्नमेट	एडजोर्नमेन्ट
६१	३ व १६	सरक्युलेट	सर्कूलेट
६३	६	shoud	should
६३	१०	fhe	the
६३	८	speah	speech
६७	अन्तिम से ६	मानतीय	माननीय
६८	१८	श्री भानसिंह	श्री श्रीभानसिंह
६८	२४	द्ष्टिकोण	दृष्टिकोण
१०५	१०	busineses	business
११०	४	apqealing	appealing
११३	३	remaks	remarks
११३	अन्तिम	localsing	localising
११४	१४	senvice	serve
११४	१६	श्री भानसिंह	श्री श्रीभानसिंह
११५–११६	शीर्ष	राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५७	राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५८
१२०	५	औब्जेक्शन	ऑब्जेक्शन
१२०	२६	पुरुषकार	पुरस्कार
१२१	३	जोड लैंलैस	जो लैंडलैस
१२३	११	begius	begins
१२८	७	रेन्वेयू	रेवेन्यू
१५७	१९	नितान	नितान्त
१५७	१	राजा श्री मानसिंह (कपूर)	राजा श्री मानसिंह (बैर)
१५७	७–८	Justifited	justified
१५७	८	denifition	definition

(२)

१	२	३	४
१६१	१६–२०	rapious	radius
१६१	२१–२२	रिसाइड करना है । यह पौइफट बाकी रह या with in the radious of five miles	विलोपित समझें
१६१	२३	raedious of en	radius of ten
१७२	४	motter	matter
१७४	२	adjourh	adjourn
१८४	३	SOWING	SHOWING
१८४	अन्तिम से ८	koria Bh	Koria
१८४	अन्तिम से ८	904/-	204/-